Tuesday, 18 November, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit 4-8-94
Fumigated On 1.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rupee**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—2, मंगलवार, 18 नवम्बर, 1969/27 कार्तिक, 1891 (शक)

No.—2, Tuesday, November 18, 1969/Kartika 27, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
32. कार निर्माण उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Car Manufacturing Industry	1—4
33. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण उपक्रम	Scooter Manufacturing Plant in Public Sector	4—5
41. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Factory in Public Sector	5—9
34. पोढी गढ़वाल में भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री का मद्यनिषेध के लिये अनशन	Fast by Former Union Health Minister for Prohibition in Pauri-Garhwal	9—11
37. छोटी कार	Smaller Car	11—17
38. कोयला के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और कोयला उद्योग के बीच विवाद	Controversies between Railway Board and Coal Industry over coal price issue	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
31. बिहार में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Bihar	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—2, मंगलवार, 18 नवम्बर, 1969/27 कार्तिक, 1891 (शक)

No.—2, Tuesday, November 18, 1969/Kartika 27, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
32. कार निर्माण उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Car Manufacturing Industry	1—4
33. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण उपक्रम	Scooter Manufacturing Plant in Public Sector	4—5
41. सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Factory in Public Sector	5—9
34. पोढी गढ़वाल में भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री का मद्यनिषेध के लिये अनशन	Fast by Former Union Health Minister for Prohibition in Pauri-Garhwal	9—11
37. छोटी कार	Smaller Car	11—17
38. कोयला के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और कोयला उद्योग के बीच विवाद	Controversies between Railway Board and Coal Industry over coal price issue	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos.		
31. बिहार में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Bihar	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
35.	औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of Dutt Committee on Industrial Licensing Policy	19
36.	समस्तीपुर से नरकटियागंज (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन	Broad Gauge line from Samastipur to Narkatiaganj (North-Eastern Railway)	19—20
39.	उद्योगों को वित्तीय रियायतें देने के सम्बन्ध में वांचू कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendation of Wanchoo Working Group for Financial Concessions to Industries	20
40.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों पर अभियोग	Prosecution of Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	20—21
42.	बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये जाना	Grant of Licences to Birlas	22
43.	महाराष्ट्र राज्य में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना	Conversion of Metre Gauge lines into Broad Gauge lines in Maharashtra State	22
44.	बिड़ला सार्थ समूह	Birla Group of Concerns	23
45.	कच्चे माल के आयात के लिये औद्योगिक उपक्रमों को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licences to Industrial Undertakings for Raw Material	23—24
46.	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Steel	24
47.	आसाम के लिये काली चादरों का कोटा	Quota of Black Sheets for Assam	24—25
48.	छोटी (मीटर) लाइन के डीजल लोको इंजनों का निर्माण	Manufacturing of Metre-Gauge Diesel Loco Engines	25
49.	औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति का प्रतिवेदन	Dutt Committee Report on Industrial Licensing Policy	25—26
50.	साम्यवादी दल का चुनाव	Election Symbol of Communist Party	26
51.	खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रतिनिधि मण्डल की प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of Khadi Gramodyog Sangh Delegation with Prime Minister	26—27

ता० प्र० संख्या विषय S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
52. रेलवे इंजनों की अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity of Railway Engines	27—28
53. सशस्त्र गुंडों द्वारा सोनाई हाल्ट स्टेशन और यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Sonai Halt Station and Passengers by Armed Goondas	28—29
54. सीमेंट उद्योग में संकट	Crisis in Cement Industries	29
55. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य संचालन के बारे में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Asoka Mehta Committee Report on working of Khadi and Village Industries Commission	29—30
56. रेलवे में यात्रा टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी वर्ग में शामिल करना	Treatment of T.T.Es. as running Staff on Railways	30
57. बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना की योजना	Scheme for Unemployed Engineers to set up Small Scale Industries	31
58. रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वांचू समिति का प्रतिवेदन	Wanchoo Committee Report on Railway Accidents	31—32
59. औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन	Change in Industrial Licensing Policy	32
60. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रेलवे विकास कार्यक्रम	Railway Development Programme during Fourth Five Year Plan	32—33

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

201. उड़ीसा से लाइसेंस के लिये निलम्बित आवेदनपत्र	Pending Applications for Licences from Orissa	33
203. रेलवे दुर्घटनाएं	Railways Accidents	33—34
204. क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लिये गये क्लर्कों के वेतन का निर्धारण	Fixation of Pay of Clerks drafted to Railway Board's Office from Zonal Railways	34
205. क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लिये गये क्लर्क	Clerks drafted to Railway Board's Office from Zonal Railways	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
206.	रेल कारों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों का आयात	Import of Rail Cars, Coaches and Wagons	35—36
207.	वर्ष 1969-70 में रेलवे की आय तथा व्यय	Railway Earnings and Expenditure during 1969-70	36
208.	मैसर्स वैस्टिंग हाउस, सेक्सबी एन्ड फार्मर (प्राईवेट) लिमिटेड कलकत्ता	M/s. Westinghouse, Saxby and Farmer (P) Ltd. Calcutta	36—37
209.	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	37—38
210.	अहमदाबाद के दंगों के दौरान गुण्डों द्वारा रेल गाड़ियों पर आक्रमण	Attack on Trains by Goondas during Ahmedabad riots	38—39
211.	चोरी की हुई रेलवे सामग्री का पकड़ा जाना	Seizure of Stolen Railway Material	39—40
212.	मधुकुण्डा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर झगड़ा	Clash at Madhukunda Station (South Eastern Railway)	40
213.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बड़े-बड़े नगरों में आवास सम्बन्धी समस्या	Accommodation problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Major Cities	40—41
214.	टूण्डला (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे 'लोको' कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Loco Staff Working in Tundla (Northern Railway)	41
215.	पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में मद्यनिषेध	Prohibition in Pauri Garhwal (Uttar Pradesh)	41—42
216.	गढ़वाल क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना तथा वहां मद्यनिषेध लागू करना	Declaration of Garhwal as Backward Area and Introduction of Prohibition	42
217.	हरिजनों के व्यवसायों में परिवर्तन	Shifts in Occupation Patterns of Harijans	42
218.	हरिजनों के लिये रोजगार तथा भूमि का आवंटन	Employment and Allotment of Land to Harijans	43
219.	इस्पात की कमी	Shortage of Steel	43—44

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
220.	लहरिया सराय, महेन्द्रघाट तथा जेसीडीह स्टेशनों पर टेलीफोन काटना	Disconnection of Telephones at Laheria Serai, Mahendru Ghat and Jasidih Stations	44
221.	चुनाव पोस्टरों का मुद्रण	Printing of Election Posters	45
222.	पूर्वोत्तर रेलवे में मुरैठा तथा कोराहिया स्टेशनों को हाल्ट स्टेशन बनाया जाना	Opening of Halts at Muraitha and Korabia on North-Eastern Railway	45
223.	पोर्टलैंड सीमेंट का वर्गीकरण	Grading of Portland Cement	45—46
224.	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Kerala	46
225.	अहमदाबाद के दंगों में भारतीय रेलवे को क्षति	Damage to Indian Railways during Ahmedabad riots	46—47
226.	विमलगढ़ तालचेर रेलवे परियोजना को आरम्भ करने से रूरकेला इस्पात कारखाने को हुई हानि	Loss to Rourkela Steel Plant as a result of the Licensing of dimalgarh Talcher Railway Project	47
227.	बंडीमुन्डा मार्शलिंग यार्ड से हटाये गये व्यक्तियों का दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को ज्ञापन	Memorandum sent by Displaced Persons from Bandomunda Marshalling Yard to General Manager of South-Eastern Railway	47—48
228.	रांची में साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये भारी इंजीनियरिंग निगम के कर्मचारियों परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to families of HEC Employees killed in Communal riots in Ranchi	48
229.	औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशें	Recommendation of Industrial Licensing Policy Enquiry Committee	48—49
230.	कोयला उद्योग द्वारा कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग	Rise in Price of Coal demanded by Coal Industry	49
231.	फिएट, स्टैण्डर्ड तथा यात्री कारों के मूल्यों में वृद्धि	Price Rise of Fiat and Standard Passenger Cars	49—51
232.	विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors with Foreign Collaboration	51

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
233.	बोकारो इस्पात कारखाने का पूरा होना	Completion of Bokaro Steel Plant	52
234.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर में अनियमिततायें	Malpractices in British.India Corporation Kanpur	52—53
235	छोटे पैमाने के उद्योगों में कोल्ड रोल्ड शीट्स की कमी	Shortage of Cold Rolled Sheets in Small Scale Industries	53
236.	बम्बई को मंगलौर से मिलाने के लिये कोंकण रेलवे का निर्माण	Construction of Konkan Railway to Link Bombay with Mangalore	53—54
237.	यात्रियों को ले जाने के लिये माल डिब्बों का प्रयोग किया जाना	Goods Wagons used for carrying Passengers	54
238.	देहाती क्षेत्रों से अस्पृश्यता का निवारण	Removal of Untouchability from Rural Areas	55
239.	सम्पूर्ण असम अनुसूचित जाति संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum by All-Assam Scheduled Castes Association	55
240.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल द्वारा भुगतान न किये गये बिल	Unpaid charges by Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	55—56
241.	छोटी तथा सस्ती कारों का निर्माण	Manufacture of Small and Cheap Cars	56
242.	बड़े उद्योगपतियों को दिये गये लाइसेंसों के बारे में जांच	Enquiry into Licences issued to Big Industrialists	56—57
243.	औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन	Production in Industrial Undertakings	57
244.	इस्पात का आयात	Import of Steel	57—58
245.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये उपक्रमियों को रियायतें	Concession to Entrepreneurs for setting up industries in backward areas	58
246.	समवाय विधि में परिवर्तन	Changes in Company Law	59

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.			Pages
247.	शिव सैनिकों द्वारा रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Damage to Railway Property by Shiv Sainiks	59
248.	कारों के उत्पादन लागत में वृद्धि	Increase in Production Cost of Cars	59—60
249.	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों का विकास	Development of Industrially Backward States	60
250.	उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने के लिए टेन्डर	Tenders for Mural Painting on Walls of Headquarters Office of Northern Railway	60—61
251.	औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against officials of Ministry of Industrial Development	61
252.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Workers in Hindustan Steel Works Construction Ltd.	61—62
253.	अपंग तथा असमर्थ लोगों को रेल की रियायतें	Railway concessions to Handicapped and disabled persons	62
254.	महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों का निर्माण	Construction of Retiring Rooms at Important Stations	62—63
255.	जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स सम्मेलन	Conference of All India Station Masters' Association held in Jaipur	63
256.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	63—64
257.	कलकत्ता की वृत्ताकार रेलवे परियोजना	Calcutta Circular Railway Project	64—65
259.	दक्षिण पूर्वी रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of Casual Labour in South-Eastern Railway	65
260.	कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway in Calcutta	65—66
261.	कम्पनियों में लाईसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन का विस्तार	Expansion of Production in Companies beyond Licensed capacity	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
262.	पश्चिम रेलवे के संगचल टिकट निरीक्षकों को रेलवे समय सारिणी और रेलवे नियम पुस्तिका की प्रतियों की सप्लाई	Supply of Copies of railway time-table Railway Manual to T.T.Es. on Western Railway	66–67
263.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	67—68
264.	सरल दण्ड प्रक्रिया संहिता	Simplified Code of Criminal Procedure	68
265.	राज्यों में मद्यनिषेध	Prohibition in States	68—69
266.	ईरान में रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Wagon Building Factory in Iran	69
267.	भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रीकल्स प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Heavy Electricals Project, Bhopal	70
268.	भागलकोट सीमेंट लिमिटेड, मैसूर	Bhagalkot Cement Ltd., Mysore	70—71
2′9.	राज्यों में मद्यनिषेध	Prohibition in States	71
271.	स्लैग सीमेंट बनाना	Manufacture of Slag Cement	72
273.	मैसर्स गोदरेज बोयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s. Godrej Boyce Mafg. Co. Bombay	72—74
274.	अधिक सीमेंट फैक्टरियां लगाना	Setting up of additional cement factories	74—75
275.	बाहरी छापेखानों को छपायी का काम देना	Giving of Printing Jobs to outside Presses	75
276.	टंगस्टन के लिये आयात लाइसेंस	Import Licence for Tungston	75—76
277.	लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन	Modification in Licensing policy	76
278.	दिल्ली में लघु उद्योगों को ऋण	Loans to Small scale industries in Delhi	77
279.	स्कूटरों की मांग	Demand for Scooters	77—78
280.	नेत्रहीनों के अधिकारों के संरक्षण के लिये विधान	Legislation for Protection of rights of the Blind	78

म्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
281.	सूडान में रेलों के आधुनिकीकरण के लिये सहायता	Assistance for Modernising Sudanese Railways	79
282.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	79
283.	डीजल इंजन चलाने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Employees for Diesel Engine Driving	80
284.	डबल्यू० डी० एम० 1 और 2 का प्रशिक्षण	Training of W.D.M. I and II	80
285.	मद्रास से अराकोनम तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Railway line from Madras to Arakonam	80
286.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	Hindustan Machine Tools	81—82
287.	रेलवे में रेलगाड़ियों के चलने पर ईंधन की लागत	Fuel Cost of Railway Traction	82—83
288.	कार के मूल्यों पर नियंत्रण	Control of Car Prices	83
289.	नई दिल्ली पार्सल कार्यालय में पार्सल क्लर्कों के लिये काम करने का मापदण्ड	Working Yard stick for parcel clerks at New Delhi parcel office	84
290.	रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में वाणिज्यिक और संचालन कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति जमा किया जाना	Depositing of Security by Commercial and Transportation Staff in Ratlam Division (Western Railway)	84—85
291.	दक्षिण पूर्व तथा उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial clerks on Southern, Eastern and Northern	85—86
292.	रेलवे कर्मचारियों का अत्यावश्यक तथा गैर अत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण	Classificatian of Railway Employees as Essential and Non-Essential	86
293.	निर्वाचन आयोग के पास अनिर्णीत निर्वाचन याचिकाएं	Election petitions pending with Election Commission	86

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
294.	प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की समाप्ति पर बड़े व्यापार गृहों द्वारा शेयर खरीद लिया जाना	Cornering of Shares by Big Business Houses on Abolition of Managing Agency System	87
295.	दिल्ली जाने वाली तूफान एक्सप्रेस का जमानिया स्टेशन (पूर्वी रेलवे पर) के निकट पटरी से उतर जाना	Derailment of Delhi Bound Toofan Express near Jamania Station (Eastern Railway)	87
296.	उत्तर रेलवे में सहायक कार्मिक अधिकारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Assistant Personel Officers on Northern Railway	88
297.	उत्तर रेलवे पर श्रेणी दो के अधिकारियों की श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Class II Officers to Class I Posts on Northern Railway	88—90
298.	सहायक कार्मिक अधिकारी को प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नत करने के बारे में विचार	Consideration of Assistant Personnel Officer for Promotion to Class I Service	90—91
299.	बेलाडीला में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Bailadila	91
300.	जबलपुर जगदलपुर रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Jabalpur Jagdalpur Railway Line	91—92
301.	मिश्रित एवं विशेष इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस का दिया जाना	Grant of Licences to Birlas for setting up Alloy and Special Steel Plants	92—93
302.	संयुक्त राज्य अमरीका को इमारती ढांचों की सप्लाई	Supply of Structurals to United States of America	93
303.	मुसलमानों के कुछ विशेष वर्गों को छात्रवृत्तियां तथा दाखिला	Scholarship and Admission to Special Classes amongst the Muslims	93—94
304.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of idle capacity of Hindustan Machine Tools	94—95

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
305. तांबे को बचाने के लिये नवीन देशी मिश्र धातु	New Indigenous Alloy to Conserve Copper	95
306. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में पदोन्नति सम्बन्धी नीति	Promotion Policy in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	96
307. रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये पश्चिम जर्मनी से प्राप्त ऋण	Loans received from West Germany for Rourkela Steel Plant	96—97
308. रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of Railway Accidents Inquiry Committee	98
309. हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल को हुई हानि	Loss Incurred by Heavy Electricals Ltd. Bhopal	98—99
310 भारतीय उद्योग को तकनीकी आवश्यकता	Technical needs of Indian Industry	99
311. रेलवे में अनुशासन हीनता के बारे में वांचू समिति की सिफारिशें	Recommendation of Wanchoo Committee on Deterioration of Discipline on Railways	99—100
312. ढोल निर्माण उद्योग	Barrel Fabrication Industry	100
313. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बारे में जांच	Probe into British-India Corporation	101
314. कूपर एलन तथा नार्थ वैस्ट टेनरी के कर्मचारी	Workers of Cooper Allen and North-West Tannery	101
315. मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड को पंजीयन प्रमाण पत्र देना	Grant of Registration Certificate to M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	101—102
316. यात्री टिकट निरीक्षकों (टी० टी० आई०) के बारे में जस्टिस राजाध्यक्ष की सिफारिशें	Recommendations of Justice Rajadhakshya on Travelling Ticket Inspectors	102
317. हावड़ा स्टेशन पर रेल सेवा का अस्त व्यस्त हो जाना	Disruption of Train Service at Howrah Station	102--103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
318.	रेल यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Basic Amenities to Railway Passengers	103
319.	मुख्य उद्योगों के लिये लाइसेंस सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for Licensing Key Industries	103—104
320.	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Industrially Backward Areas	104
321.	कारों का गुण प्रकार तथा मूल्य	Quality and Prices of Cars	104—105
322.	उद्योगपतियों की योजना अयोग के साथ बैठक	Meeting of Industrialists with Planning Commission	105
323.	औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान	Technical Research in Industrial Sector	105—106
324.	कार के मूल्यों पर से प्रतिबन्धों को हटाया जाना	Removal of Restrictions on Car Price	106
325.	भारत में सिगरेट बनाने के कारखाने	Cigarette Factories in India	106—107
326.	भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on Indian Railways	107
327.	कागज की कमी	Shortage of Paper	108
328.	इंजीनियरी और निर्माण उद्योगों के लिये इस्पात की आवश्यकता	Requirements of Steel for Engineering and Construction Industries	108
329.	सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण	Price Control on Cement	I09
3 0.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में काम करने वाले विशेषज्ञ	Specialists Working in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	109
331.	तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed Capacity of Oil Barrel Fabricators	109—110
332.	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Bharat Barrel and Drum Mfg. Co.	110—111
333.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को हुई हानि	Loss Incurred in Mining and Allied Machinery Corporation	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
334.	बांदा जंक्शन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Banda Junction (Central Railway)	111—112
335.	गांवों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries to solve Unemployment in villages	112
336.	बुन्देलखंड क्षेत्र का विकास	Development of Bundelkhand Area	112—113
337.	ललितपुर को बारगढ़ (मध्य रेलवे) से मिलाने वाली नई रेलवे लाइन बनाना	Introduction of New Railway Line connecting Lalitpur with Bargarh (Central Railway)	113
338.	मिश्र धातु और इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये जाना	Grant of Licences to Birlas for setting up Alloy and Steel Plants	113—141
3 9.	रियन ग्रेड लुगदी उद्योग में बिड़लाओं का एकाधिकार	Birlas Monopoly in Rayon Grade Pulp Industry	114
341.	पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Fifth Steel Plant	114—115
342.	एशियन केबल्स कारपोरेशन	ASIAN Cables Corporation	115
343.	मध्य प्रदेश में बिड़ला कागज मिलों से सम्बन्धित दस्तावेजों में हेर फेर	Tampering of Documents Relating to Birlas' Paper Mill in Madhya Pradesh	115—116
344.	कारों के मूल्यों में वृद्धि	Price Rise in Cars	116
345.	हावड़ा बरौनी सवारी गाड़ी (320 अप) का समस्तीपुर (पूर्व रेलवे) तक विस्तार	Extension of Howrah-Barauni Passenger (329 UP) upto Samastipur (Eastern Railway	116—117
346.	साहिबगंज लूप सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर ससुदन रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग का निर्माण	Construction of Railway siding at Masudan Railway Station on Sahibganj Loop Section (Eastern Railway)	117
347.	सरकारी उपक्रमों में न निपटाये गये क्रया देश	Orders Pending with Public Undertakings	117
348.	इस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Exports of Steel	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
349.	उत्पादन में मध्यम क्षेत्र वस्तुएं	Middle Sector Items of Production	118—119
350.	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये सहायता	Aid for Industrial Development in U. P.	119
351.	चुनावों के दौरान मोटर गाड़ियों का किराये पर लेना	Hiring of Vehicles during Elections	119
352.	उद्योगों का विकास	Development of Industries	120
353.	डा० भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट लाजपत नगर नई दिल्ली के निदेशिक के विरुद्ध छुआ-छात बरतने के बारे में शिकायत	Complaints against Director of Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi for Practising Untouchability	120
354.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव	Gheraos in Durgapur Steel Plant	120—121
355.	रेलवे यात्रियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधायें	Basic Amenities provided to Railway Passengers	121
356.	पश्चिमी बंगाल में उद्योग का विकास	Industrial Development in West Bengal	121—122
357.	मैसर्स एशियन केबल्स	M/s. Asian Cables	122
358.	मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Bennet Coleman and Co. Ltd.	122—123
359.	मुस्लिम वैयक्तिक विधि में सुधार	Reform in Muslim Personal Law	124
360.	सस्ता तथा शीघ्र न्याय	Cheaper and Expeditious Justice	124
361.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किया गया स्टेनलैस स्टील	Stainless Steel Developed by Council of Scientific and Industrial Research	124—126
362.	चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुधार	Improvement at Chandigarh Railway Station	126
363.	रेलवे आउट एजेंसिया	Railway out Agencies	126—127
364.	ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर पेय जल की व्यवस्था	Provision of Drinking Water at Jawalamukhi Road, Railway Station (Northern Railway)	127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
365.	कोपर लहर (उत्तर रेलवे) में पम्पिंग स्टेशन	Pumping Station at Kopar Lahar (Northern Railway)	127
366.	औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति	Industrial Licensing Policy Inquiry Committee	127—128
367.	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये योजना में धन का नियतन	Plan Allocation for Small Scale Industries	128
368.	पंजाब में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से परियोजना	Tractor Project in Punjab in Collaboration with Czechoslovakia	128—129
369.	मैसर्स शुल्टन एण्ड रेवलोन द्वारा प्रासधन सामग्री का उत्पादन	Manufacture of Cosmetics by M/s. Shulton and Revlon	129—130
370.	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी	Adverse Observations of Calcutta High Court against Former Chief Justice of India	130
371.	ओलावाकोट डिविजन (दक्षिण रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Railway Employees in Olavakkot Division (Southern Railway)	130—131
372.	राज्यों में वरिष्ठ सदनों का समाप्त किया जाना	Abolition of Upper Houses in States	131
373.	रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि	Increase in Railway Accidents	131—133
374.	बिहार में सीमेंट उद्योग	Cement Industries in Bihar	133
375.	बिहार से औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र	Applications for Industrial Licences from Bihar	133—134
376.	सफेद छपाई कागज की कमी	Shortage of White Printing Paper	134—135
377.	रेलवे बोर्ड के एक दल का जापान का दौरा	Visit by Railway Board's Team to Japan	135
378.	बोकारो इस्पात कारखाने को पूरा करना	Completion of Bokaro Steel Plant	136

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
379.	मैसर्स एशियन केबल्ज को पोलिचीन के पाइप/चादरों का निर्माण करने के लिये तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा अनुमति दी जाना	Permission given by DGTD to M/s. Asian Cables to Manufacture Polythene Pipes/Sheets	136—137
380.	ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Demand for Tractors	137
381.	वक्फ बोर्ड द्वारा बनाये गये स्कूल कालेज और सराय	Schools, Colleges and Sarais built by Waqf Board	138
382.	रेलवे लाइनों की तोड़ फोड़ की कार्यवाइयां	Sabotage on Railway Lines	138—139
383.	उत्तर रेलवे में डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा वार्षिक दौरे	Annual Tours Undertaken by Divisional Superintendents on Northern Railway	139
384.	किशनगंज (दिल्ली) और भटिंगा के बीच मालगाड़ियों में खाली डिब्बे	Unutilized Wagons in Goods Trains between Kishanganj (Delhi) and Bhatinda	139
385.	वक्फों की प्रबन्ध व्यवस्था के लिये राज्य वक्फ बोर्डों को अनुदेश	Directive to State Waqf Board for Management of Waqfs	140
386.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को नि:शुल्क रेलवे पास	Free Railway Passes to Central Government Employees	140—141
387.	दिल्ली/नई दिल्ली और नागपुर के बीच राजधानी एक्सप्रैस चलाना	Running of Rajdhani Express between Delhi/New Delhi and Nagpur	141
388.	नागपुर में छोटी कारों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र	Applications for a Licence to Manufacture Small Car at Nagpur	141
389.	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से अधजले कोयले तथा कोयले को हटाने के लिये ठेके	Contracts for Removal of Cinders and Coal from Stations on North-Eastern Railway	141—142
390.	मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay	142

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
391. खराब इस्पाती चादरों का सम्भरण	Supply of Defective Steel Sheets	143
392. सामाजिक नीति संकल्प	Social Policy Resolution	143—144
393. समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी	Employees of Social Welfare Department	144
394. पिछड़े वर्ग कल्याण महानिदेशालय के कर्मचारी	Staff under Directorate General of Backward Classes Welfare	144—45
395. बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण पूर्ण होना	Completion of Bokaro Steel Plant	145—46
396. इस्पात कारखानों को हुई हानि	Loss incurred in Steel Plants	146
397. इस्पात की कमी	Shortage of Steel	146—47
398. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि	Loss incurred in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	147—48
399. उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्टरी	Tractor Factory in U. P.	148
400. सहायक उद्योगों का विकास	Development of Ancillary Industries	148—49
26 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5011 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correctly Answer to Unstarred Question No. 5011 dated 26-11-1969	149—150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	150—55
श्री फेरुमान की मृत्यु	Death of Shri Pheruman	150—53
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	153—55
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	155—56
नियम समिति	Rules Committee	156
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	156
युवकों में बेरोजगारी तथा उनकी अन्य शिकायतों के बारे में याचिका	Petition Re-unemployment and other grievances of Youth	156

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill—	157
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of the time for Presentation of Report of Select Committee	157
खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक	Khuda Bakhsh Oriental Public Library Bill	157—167
खंड 9 से 28 और 1	Clause 9 to 28 and 1	157—61
पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	157—62
श्री अब्दुलगनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	163—64
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	164—65
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	165—66
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	166
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	166
श्री वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	166—67
तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक	Oil fields (Regalation and Development)	167—83
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	167
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	167
श्री जे० एन० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	170
श्री वि० ना० शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	170
श्री रा० की० अमीन	Shri B. K. Amin	171
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	172
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	173
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	173
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	174
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	174
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	174
श्री छी० म० केदरिया	Shri C. M. Kedaria	175

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	175
श्री पी० जी० सेन	Shri P. G. Sen	176
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	176
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	177
खण्ड 2 से 4 और 1	Clause 2 to 4 and 1	179
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	179
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanathan	179
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	180
श्री जे० एन० हजारिका	Shri J. N. Hazarika	181
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	181
श्री रंगा	Shri Ranga	182
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	182
पंजाब विधान परिषद् (उत्पादन) विधेयक	Punjab Legislative Council (Abolition) Bill	183—87
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	183
श्री मुहम्मद यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	183
श्री नानुभाई एन० पटेल	Shri N. N. Patel	183
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	184
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	184
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	185
श्री चित्ति बाबू	Shri C. Chittybabu	185
श्री रा० डो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	186—87

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 18 नवम्बर, 1969/27 कार्तिक, 1891 (शक)

Tuesday, Nov. 18, 1969/Kartika 27, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कार-निर्माण उद्योग का राष्ट्रीकरण

*32. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को पश्चिम बंगाल सरकार के उप-मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारत में कार-निर्माण उद्योग का राष्ट्रीकरण करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्यौरा क्या है और उस में क्या सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री को कार उद्योग के राष्ट्रीयकरण किए जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। फिर भी, प्रधान मंत्री के पश्चिम बंगाल में किये गए अभी हाल ही के दौरे में उप-मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अपने अनौपचारिक विचार विमर्श में यह उल्लेख किया था कि प्रारम्भिक उद्योग जैसे कारों का निर्माण करना है, इसे सरकारी क्षेत्र में रखना चाहिये।

(ग) सरकार 50,000 कारें प्रतिवर्ष बनाने वाले एक कारखाने के सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें सरकार गैर सरकारी क्षेत्र में कार बनाने वाले विद्यमान एककों को अपने हाथ में लेना चाहती है।

श्रीमती इला पालचौधरी : 'हिन्दुस्तान मोटर्स' के कारखाने में ताला-बन्दी घोषित कर दी गई थी तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस कारखाने के खोले जाने पर आग्रह किया था। उस कारखाने को खोलने पर बाध्य किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वी० कृष्णामूर्ति : हमें यही ज्ञात नहीं है कि हम बैठें कहां।

अध्यक्ष महोदय . माननीय सदस्यों को ब्लाकों के बारे में सूचना दे दी गई है। अब चूंकि विपक्ष में अन्य सदस्य भी हैं अतः कुछ व्यवस्था करनी ही होगी।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या हिन्दुस्तान मोटर्स के कारखाने में ताला-बन्दी घोषित की गयी थी तथा पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री ने कारखाना खोलने के लिये उन्हें विवश किया था ? उन्होंने कहा कि कारखाने को बलपूर्वक खुलाया जा सकता है तथा वह इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे थे। किन्तु जब कर्मचारियों ने यह नितांत आवश्यक बना दिया कि कारखाने में ताला-बन्दी की जाय तो वे कारखाने को खोलने पर कैसे बाध्य कर सकते हैं ? इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या इन मामलों को सुलझाने के संबंध में कोई कानून नहीं है अथवा क्या यह राज्य के मुख्य मंत्रियों की इच्छा पर निर्भर है कि वे कारखानों को खुलवादें चाहे इससे कारखाने के पूर्णतः नष्ट होने की आशंका ही क्यों न हो ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक इस मामले का संबंध है कोई ऐसा विशिष्ट कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत इसे निवटाया जा सके। इसका समाधान तो समझा बुझाकर कर ही किया जा सकता है। कर्मचारियों को समझा-बुझाकर ताला-बन्दी को समाप्त करना है तथा उन्हें कारखाने में जाकर काम करने के लिये प्रोत्साहित करना ही है।

श्री सु० कु० तापड़िया : तालाबन्दी कहाँ है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने बताया था कि उस कारखाने में ताला-बन्दी की गई है।

श्रीमती इला पालचौधरी : तालाबन्दी है। क्या पश्चिम बंगाल में 'बंगाल लेम्पस' तथा 'बंगाल पोटरीज' में भी तालाबन्दी थी तथा उनको भी बलपूर्वक खुलवाने के सम्बन्ध में इसी प्रकार का व्यवहार किया गया जबकि उन कारखानों के भी नष्ट होने की आशंका बनी हुई थी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : हमें समाचार मिला है कि तीन प्रमुख कार निर्माताओं द्वारा बनाई गई कारों के बढ़ाये गये मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में क्या निर्णय किया गया है। यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया तो सरकार अन्तिम मूल्यों की कब तक घोषणा करेगी तथा प्रत्येक कार पर कितने मूल्य की वृद्धि होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का संबंध केवल पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गये पत्र से है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : यह प्रश्न कारों के मूल्यों से सम्बन्धित है। ये प्रश्न परस्पर सम्बन्ध रखते हैं कारों की समस्या पूर्णतः प्रश्न से संगत है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल पत्र से है। खेद है माननीय सदस्य को अवसर नहीं मिला।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने दिल्ली में श्री संजय द्वारा निर्मित एक प्रोटोटाइप छोटी कार देखी है तथा क्या सरकार ने उसकी कार्यक्षमता देखी है और एक नया कारखाना स्थापित करने के प्रश्न को परीक्षा की है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इसका संबंध छोटी कारों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने से है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को कोई पत्र भेजा है जिसमें कारों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया है। सरकार का कहना है कि उसके पास कोई ऐसा पत्र नहीं आया। अतः माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है ?

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री जब कलकत्ता गई थीं उन्हें यह सुझाव तब उप-मुख्य मंत्री ने दिया था। इस बात को तो स्वय सरकार ने स्वीकार किया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत छोटी कार के निर्माण का प्रश्न बहुत दिनों से अनिर्णित पड़ा है...

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न डा० सुशीला नैयर के नाम था तथा वह प्रश्न पूछा नहीं गया है। अगला प्रश्न श्रीमती इला पालचौधरी ने पूछा है कि प्रधान मंत्री को पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने कोई पत्र भेजा है। किन्तु सरकार इससे इन्कार करती है अतः ऐसी स्थित में माननीय सदस्य का यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : उप-मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि प्रधान मंत्री जब कलकत्ता गई थीं तब उनके साथ विचार-विमर्श करते हुए उप-मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि बुनियादी उद्योगों को, जिनमें कार उद्योग भी सम्मिलित है, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखना चाहिये। बुनियादी उद्योगों पर अधिकार करनें के सामान्य विचारों के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने कार उद्योग विशेषकर 'एम्बैसेडर' कार तथा अन्य कारों का निर्माण करने वाले 'हिन्दुस्तान मोटर्स' कारखाने के सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के पक्ष में तर्क दिये थे। क्या यह सच नहीं है कि चूंकि कार निर्माताओं ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य-वृद्धि को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था तथा वे विज्ञापनों तथा अन्य उपायों से सरकार के निर्णय को अस्वीकृत करने के बारे में सक्रिय प्रचार कर रहे थे इसी कारण उप-मुख्य मंत्री ने यह तर्क दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उत्तर में बात चीत की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने विषय का उल्लेख नहीं किया ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : उन्होंने किस का उल्लेख नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला किन्तु उप-मुख्य मंत्री से किसी विषय पर मौखिक विचार-विमर्श हुआ था । किस विषय पर बात-चीत हुई थी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या उहोंने कोई तर्क प्रस्तुत किया था ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । वैसे मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि उत्तर में बताया गया है, हमें कोई पत्र नहीं मिला है किन्तु प्रधान मंत्री के कलकत्ते के पिछले दौरे में कार उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था : मुझे उसका ब्यौरा ज्ञात नहीं है । हमें जब यह प्रश्न भेजा गया तो हमने प्रधान मंत्री के कार्यालय से पूछताछ की, किन्तु हमें पता चला कि ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है । इस मामले का उल्लेख केवल विचार-विमर्श के दौरान ही किया गया था ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब कोई अन्य प्रश्न नहीं है । अगला प्रश्न, संख्या 33 ।

Shri Ishaq Sambhali : Question No. 41 is also connected with it and that may be taken with it.

Mr. Speaker : We will see it afterwards.

श्री स० मो० बैनर्जी : यह प्रश्न भी वही है तथा इस का विषय भी समान ही है । अतः इसको भी साथ ही लिया जा सकता है । सभा में यह प्रक्रिया हमेशा से अपनाई जाती रही है । यह आपके सचिवालय की गलती है कि उन्होंने इन प्रश्नों को अलग-अलग रखा है ।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण-उपक्रम

*33. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री लखन लाल कपूर** :
श्री रामावतार शर्मा : **श्री क० लकप्पा** :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में एक स्कूटर निर्माण-उपक्रम की स्थापना करने पर जिसकी घोषणा उन्होंने 24 अक्तूबर, 1969 को की थी, कितना धन व्यय होने की संभावना है ;

(ख) क्या यह घोषणा इस में लगने वाले धन के विनियोजना के बारे में मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् की गई थी ; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) स्कूटरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की वित्तीय कठिनाइयों का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है । सरकार ने उपयुक्त डिजाइन उत्पादन कार्यक्रम तथा सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के निर्माण का आर्थिक तथा तकनीकी सभाव्यता के बारे में परामर्श देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है । समिति से सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने वाले एकक की स्थापना हेतु अपेक्षित विनियोजन क्रम (रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में) के बारे में संकेत देने का भी अनुरोध किया गया है ।

(ख) सरकार ने मन्त्रालयों/सम्बद्ध विभागों के साथ परामर्श कर लेने के बाद स्कूटर बनाने वाले एक एकक को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ।

(ग) इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि यह योजना कब तक लागू की जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना

*41. **श्री ईश्वर रेड्डी :**   **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री वासुदेवन नायर :   **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :   **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना खोलने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और तथा उस योजना पर कितनी लागत लगने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस हेतु सरकार द्वारा निर्मित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति प्रायोजना की अनुमानित लागत तथा विवरण तैयार कर रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : सरकार द्वारा स्वयं चलाये जाने वाले उपक्रमों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : हमारा प्रयत्न यह है कि हम स्कूटरों के निर्माण के लिये अपेक्षित कलपुर्जों पर होने वाले विदेशी मुद्रा के व्यय में कमी करें। परन्तु हमारे पास जो आवेदन-पत्र हैं, जो गैर-सरकार क्षेत्र द्वारा दिये गये हैं, उनके अनुसार स्कूटर बनाने के लिये लगभग 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और हम उसको यथा-सम्भव कम करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री स० चं सामन्त : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस समय लाइसेंस केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही क्यों दिये जाते हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि निर्माताओं में प्रतियोगिता क्यों नहीं है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : हमारी नीति यह है कि यदि कोई गैर-सरकारी उपक्रम विदेशी सहयोग अथवा विदेशी मुद्रा के बिना स्कूटर बनाना चाहें तो उन्हे ऐसा करने की अनुमति दी जाये और इस प्रयोजनार्थ आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether Government have assessed the requirements of scooters and also whether steps being taken to meet the demand ? I would also like to know the number of persons who have applied for permission to set up scooter manufacturing factories, the number of applicants out of them who have been issued licences and whether they have started their work ? May I also know the steps taken by the Government to ensure that the factories start functioning soon and the demand of scooters is met ?

Shri F. A. Ahmed : I do not have separate figures of scooters and three-wheelers. It is, however, estimated that by 1973-74 about two lakh scooters, mopades and motor cycles etc. would be required. Accordingly, we want to set up a factory in public sector and if some private enterprise is prepared to manufacture them without any foreign collaboration or foreign exchange, we will allow them to do so.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked as to how many persons have submitted their applications to manufacture scooters without any foreign help and how many applicants out of them have been given licences for the purpose ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है। इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लीलाधर कटकी : सरकारी क्षेत्र में स्कूटर का कारखाना लगाने संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है और उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर स्कूटर उपलब्ध होगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने समिति से यथासंभव प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा है वह अपना प्रतिवेदन यथा-संभव शीघ्र प्रस्तुत कर देगी।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मन्त्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि सरकारी क्षेत्र में 50,000 स्कूटर बनाने वाले कारखाने के लिये लगभग 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि गैर-सरकारी फर्मों से भी आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। सरकार स्कूटर बनाने का कारखाना सरकारी क्षेत्र में क्यों लगाना चाहती है जिसमें 75 लाख

रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी, जबकि गैर-सरकारी फर्में बिना विदेशी मुद्रा के कारखाने स्थापित करने की स्थिति में हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि हमारे पास जो गैर-सरकारी फर्मों के आवेदन-पत्र हैं उनके अनुसार 75 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। जब हम सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमारा प्रयत्न यह होगा कि हम इस राशि को जहां तक हो सके कम करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक सदस्यों के नाम जुड़े हुए हों तो अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए मेरी अनुमति मांगने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। पहले उन सदस्यों को क्रमवार बुलाया जायेगा जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी है और बाद में अन्य सदस्यों को मेरी अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

Shri Ram Avtar Sharma : The hon'ble Minister had announced on 24th October, 1969 that a factory for manufacturing scooters will be set up in public sector. May I know whether that will be set up with foreign collaboration ? How will the scooter to be manufactured in public sector compare with Vespa and Lambretta which are available now and what would be its cost ?

Shri F. A. Ahmed : The Expert Committee set-up for this purpose would let us know the amount of investment required to be made and the price of scooter. We will be able to furnish this information on receipt of their report.

Shri Lakhan Lal Kapoor : The hon'ble Member has stated that foreign exchange would be required for the setting up of a scooter factory in public sector. At present our defence factories are not working to their capacity. Besides, private sector factories have capacity but they have no work. I want to know whether foreign exchange can be saved by manufacturing scooters parts in those public and private sector factories and whether the cost of scooter can thereby be reduced by 25 per cent ?

Shri F. A. Ahmed : One of the objects of Expert Committee is to find out whether components of scooters can be manufactured in India, in public sector or private sector. We shall try not to spend foreign exchange on items available in India. When we start producing 50—60 thousand scooters, we hope that its cost would be reduced and consumers will be able to get it at lower price.

श्री क० लकप्पा : सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने के बारे में सरकार वर्ष 1960 से विचार कर रही है। सरकार ने कई बार घोषणा की कि स्कूटरों की मांग 2,50,000 से अधिक है जो कि 20,000 से अधिक स्कूटरों का निर्माण होता है। क्या सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के मामले में वित्त मन्त्रालय ने कभी रुकावट डाली थी क्या इसी कारण बिलम्ब हुआ हैं ? क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने के लिये कोई समय-सीमा निश्चित करेगी और उसका पालन करेगी ? क्या सरकार इसी समय के अन्दर मैसूर राज्य के आवेदन-पत्र पर निर्णय करेगी जो उनके पास अनिर्णित पड़ा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य का कहना है कि तीन पहियों वाले स्कूटरों सहित दो लाख स्कूटरों की मांग हैं और 25,000 से कम स्कूटरों का निर्माण होता है। वास्तव में

इस वर्ष सितम्बर तक तीन पहिये वाले 73,000 स्कूटर बनाये गये थे न कि 25,000 जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया हैं। वर्ष 1973-74 तक मांग बढ़ कर दो लाख तक हो जायेगी और इसीलिये उत्पादन बढ़ाने के विचार सरकारी क्षेत्र में लगभग 50,000 स्कूटर बनाने हुतु एक कारखाना स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजनार्थ यह व्यवस्था की जा रही है...(**व्यवधान**)...

Shri Hukam Chand Kachwai : On a point of order, Sir. Can any hon'ble Member go up and sit beside ladies.

Mr. Speaker : Why do you feel uneasy about it ?

श्री क० लकप्पा : मैसूर से एक आवेदन-पत्र काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या वित्त मन्त्रालय ने उसमें रुकावट डालीं थी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मैसूर के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको अलग सूचना देनी होगी।

श्री क० लकप्पा : इस उत्तर में कहा गया है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय करने की स्थित में नहीं है और सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने के बारे में बहुत से आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हैं। परन्तु इस बात का उत्तर नही दिया गया कि क्या वित्त मन्त्रालय समय-समय पर बाधा डालता रहा है ? यह प्रश्न संगत है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं वकील हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : स्कूटर मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यातायात का उपयोगी साधन है परन्तु सरकार ने इसके उत्पादन के मामले में उपेक्षा का रवैया अपनाया है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में विचार करेगी जिससे लोगों को स्कूटर बहुत शीघ्र मिल सकें।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने पहले ही आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं और यदि कोई वर्तमान कारखाना उत्पादन बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र भेजना चाहता है तो उस आवेदन-पत्र पर भी गुणदोषों आधार पर, विचार किया जायेगा। परन्तु उसकी शर्त यह होगी कि हम स्कूटर बनाने के लिये उन गैर सरकारी फर्मों को इजाजत दे रहे हैं जिन्हें मशीनरी के लिए विदेशी मुद्रा की अथवा विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री शालवाले।

Shri Shrichand Goyal : Question No. 41 has already been answered, but kindly allow those Members to ask questions whose names are clubbed there.

श्री धीरेश्वर कलिता : प्रश्नों को मिला दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 को मिला दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में आयगा। यदि वे चाहे तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 41 का उत्तर दे दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामगोपाल शालवाले तो बुलाया है ।

श्री राम गोपाल शालवाले : यह प्रश्न संख्या 34 है ।

अध्यक्ष महोदय . में आपको आपके स्थान पर देख रहा था । मुझे पता न था कि अब आप इस ओर आ रहे हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या 41 का उत्तर दे दिया है और आपको हमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे पुनः बुलाऊंगा । उस समय आप अपनी प्रश्न पूछ लेना । अब श्री शालवाले का प्रश्न संख्या 34 लिया जा रहा है ।

Fast by Former Union Health Minister for Prohibition in Pauri-Garhwal

34. ***Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Union Health Minister, Shrimati Sushila Nayar, had gone on hunger strike in the past at Garhwal to press the demand for prohibition in Garhwal ;

(b) if so, whether the State Government or the Central Government had given any assurance to Shrimati Nayar with a view to persuade her to end her fast ;

(c) if so, the details of these assurances ;

(d) whether the Central Government propose to issue instructions to the State Government to enforce total prohibition in Garhwal District during the Gandhi Centenary year, as it is there in the neighbouring District of Kumayun ; and

(e) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) भारत सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था और ना ही उसे इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अश्वासन दिये जाने का पता ही ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नहीं, श्रीमान ।

(ङ) मद्यनिषेध राज्य विषय होने के कारण, इस मामले पर अन्तिम निर्णय राज्य सरकार ने करना है

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Prohibition is already in force in Kumayun District. Since it has not been introduced in Pauri Garhwal, even the young school going children and poor farmers take to drinking. Dr. Sushila Nayar's fast for the enforcement of prohibition in that area created imprecedented awakening among the people there I want to know whether it was the Central Government or the State Government on whose assurance. She broke her fast ?

श्री गोविन्द मेनन : जिस समय मुझे डा० सुशीला नैयर के अनशन के सम्बन्ध में पता चला, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य-मन्त्री से टेलीफोन पर बात करके उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया : मुझे बताया गया कि उन्होंने कुछ आश्वासन दिये और सम्भवतः उनसे संतुष्ट होकर डा० सुशीला नैयर ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। सदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनकी सफलता पर उन्हें बधाई दी। उसके पश्चात क्या हुआ, मुझे पता नहीं।

Shri Ram Gopal Shalwale : Gandhiji had said that if he were made a dictator for 24 hours, he would remove all the liquour shops without paying any compensation. Today, Congress is divided into two groups, I want to know which group supports and which one opposes the prohibition ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मनुभाई पटेल।

श्री मनुभाई पटेल : यह सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आधारभूत नीतियों, कार्यक्रमों और संकल्पों को क्रियान्वित करने की डींग मारा करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा अधिवेशन के संकल्प में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार मद्यनिषेध...

अध्यक्ष महोदय : आप किस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई पटेल : मैं मूल अखिल भारतीय कमेटी के सम्बन्ध में बात कर रहा हूँ। हमारा सम्बन्ध उसी से है। यह सरकार क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संकल्पों को क्रियान्वित नहीं कर रही है इसीलिए हम इधर आ गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गोवा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकृत संकल्प में निहित अधिदेश के अनुसार क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश दिया है ? यह कह कर कि मद्यनिषेध राज्य सरकार का विषय है, दोनों मन्त्री महोदय अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। कुछ मन्त्री स्वयं शराब पीते हैं, इसीलिये वे अनुदेश नहीं दे रहे हैं .. (व्यवधान)...और कुछ मन्त्री तो पियक्कड़ हो गये है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री मनु भाई पटेल : मैं प्रश्न के भाग (घ) के संबंध में पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि अनशनों की समाप्ति के पश्चात्, इस जिले में मद्यनिषेध लागू करने के लिए क्या मन्त्री महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई विशिष्ट अनुदेश दिया है ?

श्री गोबिन्द मेनन : मेरा विशिष्ट उत्तर यह है कि ऐसा कोई अनुदेश नहीं दिया गया है। क्योंकि यह विषय पूरे तौर पर राज्य सरकार के अधिकार- क्षेत्र में है, इसलिए केन्द्रीय सरकार कोई अनुदेश जारी नहीं करती।

श्री मनुभाई पटेल : तब यहाँ मद्यनिषेध मन्त्री की आवश्यकता ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मेरी अनुमति के कई बार खड़े हो चुके हैं।

डा० सुशीला नैयर : उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे अनशन के कारण गढ़वाल जिलों में

शराब की तीन दुकानों को बन्द करने का आदेश दिया है और यहां मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि स्थानीय नीलाम की नीति सारे भारत के लिए उचित है, इस बात को देखते हुए क्या मैं पूछ सकती हूँ कि स्थानीय नीलाम के सिद्धान्त को सभी राज्य सरकारों को मनवाने के लिये मन्त्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ? दूसरे, आंशिक रूप से मद्यनिषेध लागू करने वाले राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान को होने वाली हानि की 50 प्रतिशत तक पूर्ति के लिए उन्होंने क्या कार्यवाहो की है ?

श्री गोविन्द मेनन : श्री मोरारजी देसाई ने यह प्रस्ताव किया था कि जिस राज्य में मद्यनिषेद पहली बार लागू किया जायेगा, उस राज्य को होने वाली हानि का आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी। हम उस प्रस्ताव का पालन करेंगे। परन्तु स्थानीय नीलाम का प्रश्न भी राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

छोटी कार

\+

*37. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री वेंगलराय नायडू :
श्री मयावन :
श्री अदिचन :
श्री निहाल सिंह :
श्री चन्द कुमार सोमानी :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :
श्री बेनी शंकर शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम किशन गुप्त :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटी कार के निर्माण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) अभी तक नहीं, श्री मान्।

(ख) और (ग). परियोजना पर निर्णय करने का मामला समूची योजना के साधनों तथा प्राथमिकताओं में से साधनों के आवंटन से सम्बद्ध है। अंतिम निर्णय करने से पूर्व सभी सम्बन्धित पहलुओं का सावधानी से विचार करना आवश्यक है तथा इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। इस मामले में शीघ्र ही अंतिम निर्णय किए जाने की आशा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हम 1959 से इस कार के सम्बन्ध में सुनते आ रहे हैं। स्कूटर अथवा कार जैसे साधारण विषय के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये सरकार वर्षों लगा देती है

किन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे प्रश्न का फैसला रातोंरात कर लिया जाता है । क्या मैं सरकार से छोटी कार की परिभाषा के बारे में पूछ सकता हूँ ? इस उद्यम को प्रारम्भ करने से पूर्व क्या हमें बताया जायेगा कि उपभोक्ताओं को यह कार किस मूल्य पर मिलेगी ? इस कार का विशिष्ट विवरण क्या है और कब तक कोई ठोस प्रस्ताव रखा जायेगा ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा। मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : उपभोक्ताओं को यह किस मूल्य पर मिलेगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस बात की जांच हो रही है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री रंगा : छोटी कार के सम्बन्ध में उनकी धारणा क्या है ? उसका आकार, क्षमता और मूल्य क्या होगा ? यह सूचना तो वह दे सकते हैं ।

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि हमारे सम्मुख विभिन्न प्रस्ताव हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में इस परियोजनों के स्वीकृत होने पर, मुझे आशा है कि हम 10,000 रुपये के कारखाना पर मूल्य (ऐक्स फैक्टरी प्राइस) पर कार की व्यवस्था कर सकेंगे ।

श्री सु० कु० तापड़िया : करों सहित पूरी तैयार होने पर इस कार का मूल्य क्या होगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं कारखाना पर मूल्य (ऐक्स फैक्टरी प्राइस) बता रहा हूँ क्योंकि कर का निर्धारण कारखाने पर मूल्य के आधार पर ही किया जायेगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया : उत्पादन शुल्क तो यथामूल्य नहीं होता ; आप उसका हिसाब तो लगा सकते हैं ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उत्पादन शुल्क और बिक्री-कर इसके अतिरिक्त होंगे ।

श्री सु० कु० तापड़िया : ये कितने होंगे ? तब तो यह सस्ती कार नहीं होगी ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कार का वर्तमान कारखानों पर मूल्य 15,000 से 16,000 है ।

श्री बलराज मधोक : नहीं, इस से कम है ।

श्री पीलु मोदी : आप ने जीवन में कभी कार खरीदी नहीं सदा सरकारी कार का ही प्रयोग करते रहे हैं, इस लिये आप को कार के मूल्य का पता नहीं है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कार का कारखानों पर मूल्य 15,000 से 16,000 रुपये है ।

श्री बलराज मधोक : नहीं, इससे कम है । फाइलो में देखिये, आप गलत सूचना दे रहे हैं ।

श्री फ रुद्दीन अली अहमद : यह मामला उच्चतम न्यायालय त गया है। हमने एक मूल्य नियत किया है किन्तु वे चाहते हैं कि इस पर अग्रेतर पुनर्विचार किया जाये।

श्री पीलु मोदी : हम उपभोक्ता मूल्य के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं, किसी कृत्रिम मूल्य के बारे में नहीं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उपभोक्ता मूल्य, कारखानों के मूल्य पर निर्भर करेगा।

श्री पीलु मोदी : यदि आप को मूल्य के बारे में पता नहीं है तो पता लगाइये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : फिर भी यह मूल्य कार के वर्तमान मूल्य से कम होगा। यह कार लगभग 5,000 से 6,000 तक सस्ती होगी।

श्री सु० कु० तापड़िया : यहां जो हमें उत्तर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि सस्ती कार के निर्माण में सरकार की बिल्कुल भी रुचि नहीं। इसकी रुचि तो केवल मंत्रालय में छोटे मंत्री को रखने की है।

आयुद्ध कारखानों में सरकार स्वयं गाड़ियों का निर्माण कर रही है। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण कार के लागत ढांचे में बृद्धि हुई है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार का यह अनुभव नहीं है कि उस मूल्य पर, जो कि मंत्री मोहदय ने अभी बताया है, कार का निर्माण करना सम्भव ही नहीं? क्या वह आश्वासन देंगे कि कार का मूल्य इससे अधिक नहीं होगा?

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रश्न तो छोटी कार के सम्बन्ध में है और माननीय सदस्य गाड़ियों की बात कर रहे हैं जो एक अलग विषय है। सरकार कार का निर्माण नहीं करती ...(व्यवधान)

श्री सु० कु० तापड़िया : वह ऐसा नहीं कह सकते। उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। क्या कार गाड़ी नहीं होती? क्या वह स्थिर कार अथवा कोई खिलौना-कार चाहते हैं जो गतिहीन हो?

श्री नन्दकुमार सोमान : अध्यक्ष महोदय, क्या आप यह उत्तर सुन रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी। मेरा विचार है कि इस प्रश्न से सम्बंधित सभी 13 सदस्यों को यदि मैं बोलने के लिये कहूँ तो दो दिन के प्रश्न काल का समय तो इसी में लग जायेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न को स्पष्ट उत्तर दें और संक्षेप में सभी ब्यौरा प्रस्तुत करें। इस प्रकार के अस्पष्ट उत्तर से कई अनुपूरक प्रश्न उठते हैं। स्पष्ट उत्तर दिये जाने के बाद मैं अनुपूरक प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दूंगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस से यह प्रश्न उठते हैं कि यह कार किस मूल्य पर उपलब्ध होगी, इस परियोजना में कितना धन लगेगा, इस बारे में फैसला कब किया जायगा और क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में स्वीकार की जायेगी अथवा नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि जो प्रस्ताव आये हैं, उनसे प्रतीत होता है कि छोटी कार वर्तमान मूल्य से 5,000 रुपये से

6,000 रुपये तक सस्ती होगी । आशा है कि मुख्य उद्योग में 20 करोड़ रुपये और सहायक उद्योगों में 5 से 6 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जायेगा । कुल मिला कर यह रकम 26 से 27 करोड़ रुपये तक होगी । जहां तक निर्णय लेने का प्रश्न है, मंत्रालय ने इस विषय में विचार कर लिया है और इसे योजना आयोग को विचारार्थ भेज दिया गया था । योजना आयोग ने विचार करने के पश्चात कुछ सूचनाएं मांगी थी, वे दे दी गयीं हैं । योजना-दल ने सिफारिश की थी कि कार के निर्माण में लगभग 15 का करोड़ व्यय किये जायें किन्तु योजना आयोग ने यह देखते हुए कि साधन उपलब्ध होना कठिन है, इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया । अब सारा मामला मंत्रीमंडल को निर्णय के लिये भेज दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 13 नाम हैं । 13 अनुपूरक प्रश्न पूछने की बजाय इस पर चर्चा ही क्यों न करली जाय ? क्या इसके पश्चात भी कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता रह जाती है ? यह सब आप ही ने निश्चित करना है ।

श्री रणजीत सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सहकार ने देश में मोटर गाड़ियों व्यापक रूप से परीक्षण करने वाले केन्द्र की स्थापना की है जहां पर सभी प्रकार के आवश्यक परीक्षण किये जा सकते हैं, क्या सरकार कार निर्यात करने के लिए लाइसेंस देना प्रारम्भ करेगी जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने लिये छोटी कार का निर्माण कर सके ? कम से कम ऐसी स्थिति में जब कि सरकार का आकार लघु हो गया है क्या वह छोटी कार बनाने के विषय पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है । क्या और प्रश्न पूछने की आवश्यकता है ? मेरे विचार से तो अब कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नायडू

श्री चेंगलराया नायडू : भारत सरकार के उद्योग विभागों में कार्य कुशलता सबसे कम है यह विभाग छोटी कार परियोजना के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सके । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वह इस बारे में निर्णय करने के लिए कितने वर्ष और लेगी । क्या यह सच है कि सरकार राज्य सरकारों के, जो छोटी कार परियोजना की मांग कर रही है, अनिश्चित स्थिति में रखना चाहती है ? क्या यह सच नहीं है कि वह कार निर्माताओं की सहायता करना चाहती है जिससे कि उन्हें भी उनसे कुछ सहायता मिल सके ? क्या यह सच है कि इन मामलों में इस कारण देरी की जा रही है क्योंकि साहू जैन प्रधान मंत्री के पुत्र की प्रोटोटाइप कार की स्वीकृति दिलाने के लिये सहायता कर रहे हैं ? इसका निर्णय करने के लिए सरकार को कितने वर्ष और चाहिये ? क्या इन्हीं कारणों से इस मामले में देरी की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि कोई उत्तर नहीं दिया जाता तो क्या मैं यह मानू कि ये आरोप सच हैं ?

श्री वी० कृष्णामूर्ति : पिछले कई वर्षों से यह सरकार कह रही है कि छोटी और कम मूल्य की कार का निर्माण किया जायेगा जिसका मूल्य 7000 या 7500 रुपये होगा तथा इसे

देश का साधारण नागरिक प्राप्त कर सकेगा। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि उसका फैक्ट्री पर मूल्य होगा 10,500 रुपये तथा इसमें 5,500 रुपये और जुड़कर उसकी कीमत 16,000 रुपये हो जायेगी। इनकी विलम्बकारी चालों तथा छोटी कार परियोजना के उत्पादन में देरी करने या लाइसेंस देने में देरी करने के कारण देश की जनता को भारी कठिनाई हो रही है। अमरीका द्वारा अपनी कारों को चन्द्रमा पर चलाने की योजना की जा रही है किन्तु हमारे यहां ये लोग सामान्य नागरिकों को कम कीमत पर छोटी कार भी उपलब्ध करने में समर्थ नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या संपूर्ण कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। क्या सार्वजनिक क्षेत्र में एक छोटी कार परियोजना प्रारम्भ की जायेगी जो ऐसी कार का निर्यात करे जिस देश का साधारण नागरिक खरीद सके, अर्थात जिसका मूल्य कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपये हो ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि उत्तर दिया गया है, जहां तक राष्ट्रीयकरण का संबंध है यह मामला पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से बातचीत करते हुए उस समय उठाया था जब प्रधान मंत्री वहाँ गई थी। हमें हाल ही में कुछ प्रस्ताव मिले हैं किन्तु राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कारों के निर्माण का प्रश्न है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना चलाई जाय, जो वर्तमान मूल्यों की तुलना में बहुत कम मूल्य पर उपभोक्ता को कार उपलब्ध करा सके।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : आपको यह निर्णय कर लेना चाहिए कि 10,000 या 11,000 रुपयों में कार दिलानी ही है, अन्यथा आपको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए।

श्री मयावन : क्या किसी राज्य सरकार ने छोटी कार का निर्माण करने वाली परियोजना प्रारंभ करने के बारे में प्रार्थना पत्र दिया है, और यदि हां, तो, केन्द्र की सरकार की इस छोटी कार परियोजना को राज्य को सौंपने की कोई इच्छा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैसूर के औद्योगिक विकास निगम ने इसके लिये प्रार्थना की है किन्तु इसके अवगुणों पर विचार करने के पश्चात प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

श्री मयावन : मेरे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैसूर के औद्योगिक विकास निगम की ओर से कारों के निर्माण के बारे में एक प्रस्ताव है तथा इस पर सरकार तथा योजना आयोग ने निर्णय करना है।

श्री रा० बरुआ : धन की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए भी भारत सरकार छोटी कार का निर्माण करने के लिए एक साथ 28 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कैसे सोच रही है ? सरकार बिजली के उपकरण, रैफ्रीजरेटर तथा अन्य विलास-वस्तुओं का भी उत्पादन करने जा

रही है। क्या सरकार यह घोषणा करेगी कि जब तक साधारण व्यक्ति की आवश्यकतायें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वह छोटी कार परियोजना को कोई प्राथमिकता नहीं देगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : एक ओर तो मैं यह मानने के लिए बाध्य हूँ कि प्रभोक्ताओं के लिए कार एक आवश्यक वस्तु है तथा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए किन्तु दूसरी ओर माननीय सदस्य इस परियोजना को आरम्भ न करने का अनुरोध कर रहे हैं। मंत्रीमंडल इस बात का निर्णय करेगा कि इस परियोजना पर रुपया लगाया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : योजना आयोग द्वारा, ऐसा निकाय है, जिसने न केवल चौथी योजना के ही संसाधनों को पूर्णरूप से ध्यान में रखा है, अपितु पांचवीं योजना के भी संसाधनों को पूर्णरूप से ध्यान में रखा है। समय समय पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनसे सभी भली भांति परिचित हैं। योजना आयोग की हमेशा से यही धारणा रही है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत दूसरा मोटर गाड़ी बनाने वाला कारखाना खोलना आवश्यक नहीं है और इन विचारों का भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी हाल ही में समर्थन किया है और कहा है कि कारों के मूल्यों में वृद्धि होने की समस्या का समाधान सरकारी क्षेत्र में एक अतिरिक्त कारखाना खोलने से नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मंत्रीमंडल तथा योजना आयोग में परस्पर सीधा विरोध है तो इस बारे में निर्णय करने का आधार क्या है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि यदि इस खण्डित सरकार का मंत्रीमंडल योजना आयोग के साथ हीनता का व्यवहार करता है तो इस आयोग को पूर्णतः समाप्त ही क्यों नहीं कर दिया जाय ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब आर्थिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टिकोणों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि एक और कारखाना खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु आवश्यकता इस बात की है कि मोटर गाड़ी उद्योग के वर्तमान कारखानों से लाभकारी निर्णय किया जाय तो सरकार किस आधार पर निर्णय करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य का यह निष्कर्ष निकालना, कि गुण दोष के आधार पर कारों का निर्माण करने के बारे में योजना आयोग का विरोध किया गया है, उचित नहीं है। उनकी बात का विरोध किये जाने का कारण यह है कि उनके लिए संसाधन जुटाना संभव नहीं है। इस बात को वह भी समझते हैं कि कम मूल्य की, तथा संभवतः अच्छी कार उपलब्ध कराने के लिए कार का निर्माण करने वाले दूसरे कारखाने की स्थापना करनी आवश्यक है। कठिनाई केवल परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने की है।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न स्पष्ट है कि क्या सरकार ने योजना आयोग की सलाह को अस्वीकार करने का निर्णय किया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन मामलों में योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा अब उनके प्रस्ताव पर तथा हमारे प्रस्ताव पर मंत्रीमंडल ने विचार करना है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : At the time of discussion initiated on the manufacture small car, it was stated by the Government that the price of small car would be Rs. 5,000/- per car. Afterwards the price of that car was proposed to be fixed at the rate of Rs. 12,000/-.

In this case what is the guarantee of keeping this price stable and how it could be taken as granted that this price would not go on increasing ? As has been usually noticed, the practice prevailing in the country is not praise worthy. The Government promised that the scooter would be available in the country at the price of Rs. 1,800/- only but at present the price of the scooter is Rs. 3,500/-. May I know whether the hon. Minister is in a position to declare it unequivocally that the small car would be available at the price of Rs. 12,000/- and that this price would not increase any more ?

Shri F. A. Ahmed : That car would be made available at the estimated price worked out from the proposal made at the existing price level. What would be the price level in future, is not possible for anyone to guarantee.

Shri Shiv Kumar Shastri : I want to know the exact period to be taken in this regard.

Shri F. A. Ahmed : This would be decided soon.

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय और लगेगा, अतः मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब तक सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं खोला जाता, क्या उस समय तक सरकार कुछ गैर सरकारी क्षेत्र के मोटर गाड़ी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में भी सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर दे चुके हैं।

कोयला के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और कोयला उद्योग के बीच विवाद

+

38. **श्री दे० अमात :** **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री एस० पी० राममूर्ति : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री सी० मुतुस्वामी : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य के बारे में रेलवे बोर्ड और कोयला उद्योग के बीच कोई नये विवाद उत्पन्न हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के बीच क्या मतभेद हैं और क्या सरकार के लिये कोयला उद्योग की मांगों को पूरा करना संभव है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) और (ख). कोयला सप्लाई करने वालों के साथ यह समझौता हुआ है कि 1-10-69 से रेलों द्वारा खरीदे जाने वाले सभी ग्रेड के कोयले की कीमत 30-9-1969 तक लागू कीमत से प्रति मीटरिक टन अधिक से अधिक 70 पैसे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Shri Meetha Lal Meena : May I know whether the Government will give assurance that they will also consider the ques:ion of increasing the prices of coal keeping in view the increased prices of other commodities in order to facilitate the workers ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मजूरी बोर्ड द्वारा मजूरी में वृद्धि करने के पंचाट के कारण मूल्यों में वृद्धि करने की तात्कालिक आवश्यकता हुई थी । किसी अन्य कारण से ऐसा नहीं किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । अब हम ध्यानाकर्षण सूचना पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार में उद्योगों का विकास

31. **डा० सुशीला नैयर :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में बिहार राज्य में बड़े उद्योगों के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बिहार राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उस राज्य को क्या सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चौथी योजना मे स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं तथा उस पर किए जाने वाले विनियोजनाओं के बारे में ड्राफ्ट फोर्थ फाइव इयर प्लान रिपोर्ट के मसौदे के पृष्ठ 253-260 में उल्लेख किया गया है चौथी योजना काल में बिहार में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है । जहां तक परियोजनाओं के स्थान निर्धारण का संबंध है जो अभी तक निश्चित नहीं किया गया है, इस अवस्था में यह बता सकना संभव नहीं है कि इनमें से कौन-कौन सी परियोजनाएं बिहार में लगाई जाएंगी । वर्ष 1970-71 की योजना का अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि 1 70-71 की योजना का अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है अत ऐसी स्थिति में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि क्या 1970-71 में बिहार, में कोई नया उद्योग स्थापित किया जाएगा । केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार राज्य में केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा राष्ट्रीय वित्तीय प्रक्रियाओं और नीतियों में समंजन तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास में सहायता देती है । केन्द्रीय सहायता का एक आधार तैयार किया गया है और इसका उल्लेख चौथी योजना रिपोर्ट में मसौदे के पैरा 139 में दिया गया है । राष्ट्रीय वित्तीय तथा अन्य

संस्थाओं की प्रक्रियाओं और नीतियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी राज्यों के चुने गए पिछड़े हुए जिलों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु खास रियायतें देने का निश्चय किया गया है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति की सिफारिशें

35. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मन्डल ने सरकार को हाल ही में अपने एक पत्र में यह बताया है कि किसी उद्योग के लिए 15 वर्ष पहले ही योजना का बना लेना यथार्थवादी नहीं होता है और उसमें यह भी लिखा है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी दत्त समिति की सिफारिशों को यदि कार्यान्वित किया गया तो उससे देश में औद्योगिक गति रुक जायेगी और परिणामतः देश की अर्थ व्यवस्था को भी धक्का लगेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में क्या-क्या बातें कही गई हैं और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स द्वारा उठाई गई मुख्य बातें इस प्रकार है (1) लाइसेंस प्रणाली में दोषों के बावजूद, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने लाइसेंस प्रणाली को जारी रखने तथा उसे और सख्त करने का सुझाव दिया है। (2) जैसा कि समिति ने सिफारिश की है किसी भी उद्योग के लिए आगामी दस अथवा पन्द्रह वर्षों का आयोजन व्यवहारिक नहीं होगी। (3) बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों को दरम्याने स्तर के औद्योगिक क्षेत्र से बाहर रखने का अथवा कुछ उद्योगों को लघु उद्योगों के लिये सुरक्षित रखने का सुझाव उद्योगों के पनपने में दुष्प्रभावी होगा तथा निर्यात के विस्तार में बाधक होगा। (4) प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के और विकास पर प्रतिबन्ध का सुझाव निरन्तर बढ़ती हुई शहरी आबादी के रोजगार के अवसरों को प्रभावित करेगा। (5) वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण को उनकी मर्जी के अनुसार अंश पूंजी में परिवर्तित करने तथा ऋण कम्पनियों के प्रबन्ध में भागीदार बनने के समिति के सुझाव का परिणाम प्रबन्ध में दोहरा नियन्त्रण होगा ; वित्तीय संस्थाओं के धन के रुक जाने के अतिरिक्त इससे गैर सरकारी उधमी निरुत्साहित होंगे। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लाये जाने से पूर्व अन्य प्रतिनिधि संगठनों तथा संघों के विचारों के साथ साथ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के विचारों पर भी ध्यान दिया जायेगा।

समस्तीपुर से नरकटियागंज (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन

*36. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर से दरभंगा होकर नरकटियागंज तक और लखनऊ से मुजफ्फरपुर होकर कटिहार तक बड़ी लाइन का विस्तार करने संबंधी सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या दरभंगा हवाई अड्डे तथा निरमाली, जयनगर, जनकपुर रोड, बेरागनिया और आदापुर रेलवे स्टेशनों की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से उक्त रेलवे लाइनों के विस्तार संबंधी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक व्यापार के कुछ कर्मचारियों की सहायता ली जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). दरभंगा और मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर-रक्सौल तथा बाराबंकी से कटिहार तक आवान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण-कार्य विभिन्न चरणों में हो रहे हैं और दिसम्बर, 1970 तक उनके पूरा हो जाने की संभावना है । सर्वेक्षण पूरे होने पर पूर्वोत्तर रेल प्रशासन जब सभी सर्वेक्षण-रिपोर्ट पेश कर देगा और रेलवे बोर्ड उन पर विचार कर लेगा तभी सर्वेक्षण का परिणाम मालूम होगा ।

(ग) सर्वेक्षण करते समय सामान्यत: रक्षा-स्थापनाओं, विदेश व्यापार और अन्य हितों का ध्यान रखा जाता है ।

उद्योगों को वित्तीय रियायतें देने के सम्बन्ध में बांचू कार्यकारी दलों की शिफारिशें

39. **श्री मजहरी महतो** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उद्योग को राजकोषीय वित्तीय रियायतें देने संबंधी बांचू कार्यकारी दल के प्रतिवेदन में की गई कौन सी सिफारिशें तैयार कर ली हैं ; और

(ख) शेष सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं तथा क्या निकट भविष्य में उनके स्वीकार किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए 'राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन' पर कार्यकारी दल (बांचू कार्यकारी दल) ने यह सिफारिश की है कि प्रोत्साहन मुख्य रूप से केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय संस्थाओं, द्वारा दिए जाएं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी राज्यों के चुने गये पिछड़े हुए क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु खास रियायतें देने का निश्चय किया गया है । केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के मामले में, सरकार यह समझती है कि कार्यकारी दल द्वारा अधिक विकास के लिए छूट तथा आयकर, सामूहिक कर, आयात तथा उत्पादन शुल्क से छूट दी जाये । हर एक राज्य जिसे उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ करार किया गया है के चुने हुए दो जिलों तथा अन्य राज्यों एक-एक जिले में स्थापित किए जाने वाले नए एकक के कुछ निर्धारित पूंजी विनियोजन के एक भाग के लिए एक ब्लाक अनुदान अथवा आर्थिक सहायता जैसे प्रोत्साहनों के लिए की गई सिफारिश को स्वीकार किया जाए ।

Prosecution of Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*40. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that criminal suits have been filed against some employees of

the Heavy Engineering Corporation, Ranchi for participating in the communal disturbances which occurred there in 1967 ;

(b) if so, the names thereof and the Sections under which they are being prosecuted ;

(c) whether it is a fact that no departmental action has been taken against them despite serious charges levelled against them ; and

(d) if so, the reasons therefor and whether Government still propose to take some departmental action against them and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) Criminal cases have been instituted against some employees of Heavy Engineering Corporation for their alleged complicity in the communal disturbances of August, 1967.

(b) The names of the employees and the section under which they have been charged are as follows :

(1)	Shri Ram Dayal Singh	Section 302/149 IPC
(2)	Shri Phagu Prasad Sao Shri Lakhichand Singh Shri Puja Singh	Section 302/IPC (since acquitted of the charges)
(3)	Shri Sardar Saran Singh Shri Dinanath Singh Shri Sarda Prasad Singh	Section 143/324/380 IPC
(4)	Shri Rajendra Prasad Jayaswal Shri Ragho Singh Shri Sarju Singh	Section 147/380/149/458 IPC
(5)	Shri R. B. Sharma Shri Kedar Prasad Shri Ramjee Prasad	Section 147/379 IPC
(6)	Shri Harbans Singh Shri A. M. Banerji Shri A. C. Dutta Shri S. N. Tripathi and Tiwari Shri R. P. Mishra	Section 149/302/436/380 IPC
(7)	Shri Basudeo Prasad Sharma	Section 149/302/380 IPC
(8)	Shri Inder Prasad Gupta Shri Jagarnath Choudhary Shri Ram Saran Singh	Section 147/224/IPC
(9)	Shri Dharmabir Patel Shri Laxmi Narayan Prasad	Section 148/302/380 IPC
(10)	Shri Bindhari Prasad Shri Badsah Singh Shri Paramhans Singh	Section 143/337/379 IPC

(c) and (d). It is not advisable to take departmental action against the concerned employees as the cases against them are sub-judice. The company is keeping a watch on the developments of the criminal cases and will consider taking action against the concerned individuals after the cases are decided.

बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये जाना

*4.. श्री उमानाथ : श्री प० गोपालन :
श्री के० रमानी : श्री के० अनिरुद्धन :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं को अथवा उनसे सम्बद्ध फर्मों को गैर-सरकारी क्षेत्र में दो मिश्रित इस्पात और विशेष इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सरकार की इस नीति के विपरीत है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत विशेष इस्पात के कारखानों को बढ़ाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है कि बिड़ला बन्धुओं को ये लाइसेंस कैसे दिये गये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृ० चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जी हां । दो लाइसेंस दिये गये थे । एक हाई क्वालिटी स्टील लि० को 19,000 टन के लिए तथा दूसरा बिहार एलाय स्टील लि० को 40,000 टन के लिए । ये लाइसेंस क्रमशः 19-8-61 तथा 4-1-66 को दिये गये थे ।

सरकार के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में एसे कारखाने स्थापित करने पर रोक नहीं है ।

महाराष्ट्र राज्य में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना

*43. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नीति के तौर पर मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में मिरज-लातूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(घ) क्या इस मांग के बारे में लोगों का कोई प्रतिनिधिमण्डल सरकार से मिला है या उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). मिरज-लातूर छोटी लाइन को बड़े आमान वाली लाइन में बदलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । फिलहाल केवल कुछ ही महत्वपूर्ण मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में विचार किया जा रहा है । चूंकि मिरज-लातूर खण्ड की वर्तमान क्षमता यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए फिलहाल इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है ।

Birla Group of Concerns

*44. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2210 on the 5th August, 1969 and state :

(a) whether the necessary information regarding 151 companies belonging to the Birla Group and having a paid up capital of Rs. 76.3 crores in 1963-64 has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1971/69.]

(c) Does not arise.

Grant of Import Licences to Industrial Undertakings for Raw Material

*45. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any arrangement to see that the production capacity of an industrial establishment is according to the licence granted to it and it does not get permit for import of raw material or machinery in excess of its production capacity and that it uses foreign raw material in proportion to its production ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) if so, how such establishments worked during the last three years ;

(d) whether it is a fact that there is no co-ordination between the authorities issuing permits for the import of raw material and machinery and the authorities issuing licences for production capacity ; and

(e) if so, the reasons therefor and the efforts being made to bring about such co-ordination ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The production capacity of industrial undertakings, licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, is assessed on the basis of the capacity indicated in the licence in each case. As the industrial undertakings go into production, returns of production are periodically submitted to the Directorate General of Technical Development or other concerned central authorities. Emphasis has been given to increased production and to optimum utilisation of capacity, particularly in certain priority sectors of industry. However, the production capacity set up by industrial undertakings has been found, in certain cases, to be far in excess of licensed capacity. The action to be taken in such cases is under consideration of Government. As for grant of import licences for raw materials, components and spares, these were initially granted on the basis of production capacity. In 1966-67, however, in the context of the then prevalent economic situation, industrial undertakings in the 59 priority industries were encouraged to maximise output and were granted import licences on a liberalised basis. Since 1967-68.

import licences for priority industries are being granted on a replenishment basis with reference to consumption of imported raw materials during the previous period. Actual users can apply for import licences any time within three to six months of the issue of the previous import licence, on the basis of consumption of raw materials for the previous period (not less than three and not exceeding six months) Repeat licences are granted on condition that the value of utilised licences in hand does not exceed the value of import licence applied for. The actual consumption of imported raw materials is required to be certified by Chartered Accountants. This system has been evolved with a view to simplifying procedures, ensure regular supply of raw meteriials to actual users, and encourage production in the priority industries. For industries not falling within the priority category, import licences are granted on a half-yearly basis, for which purpose import entitlements are determined on the basis of earlier imports. The issue of licences is subject to the production of evidence of utilisation of earlier licences by way of opening of letters of Credit or actual physical imports (upto given percentages of the past import licences held).

As for machinery imports, applications for such imports are scrutinised by concerned technical officers who take various relevant aspects into account, particularly the licensed capacity of the undertaking and the essentiality and indigenous non-availability of such equipment.

It will thus be seen that imports of machinery and raw materials imports are linked to the licensed capacity of undertakings and the optimum utilisation of installed capacity.

(d) No.

(e) Does not arise.

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

*46. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **डा० रानेन सेन**

श्री झारखंड राय :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य संचालन लागत में वृद्धि को देखते हुए टाटा बन्धुओं और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी भी इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात में मूल्य वृद्धि के बारे में प्रतिरक्षा, रेलवे तथा उद्योग मन्त्रालयों की राय क्या है ; और

(ग) इस मांग के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार इस मामले पर सभी संबंधित मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार कर रही है और शीघ्र ही इस बारे में निर्णय किया जायेगा ।

आसाम के लिये काली चादरों का कोटा

*47. **श्री वेदव्रत बरूआ :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम सरकार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें लोहे की जाली-

दार चादरें बनाने के लिए अपेक्षित काली चादरों का कोटा नहीं दिया जा रहा है जो आसाम में छत डालने की एकमात्र सामग्री है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने लोहे की जालीदार चादरें न मिलने के बारे में भी शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को उनकी आवश्यकतानुसार समय पर चादरें सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जालीदार लोहे की चादरों के निर्माण के लिए काली चादरों की कमी के बारे में असम सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली है । जस्ती नालीदार चादरों की स्थिति काफी सुगम है तथा असम राज्य को 1968 69 में 579 टन के मुकाबले में 1969-70 में 4,027 टन का आवंटन किया गया ।

छोटी (मीटर) लाइन के डीजल लोको इंजनों का निर्माण

***48. श्री स० अ० अगड़ी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी लाइन के डीजल लोको इंजनों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी निर्माताओं को क्रयादेश दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन निर्माताओं को कितने-कितने इंजनों के लिये क्रयादेश दिये गये हैं तथा उनके मूल्य क्या हैं और इंजनों के कब तक सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी और गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाये गये छोटी लाइन के इंजनों के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक लाइसेन्स नीति सम्बन्धी दत्त समिति का प्रतिवेदन

***49. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक लाइसेंस नीति संबंधी दत्त समिति के प्रतिवेदन की महाराष्ट्र के वित्त मन्त्री, श्री वानखेडे द्वारा की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दत्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है जिनमें सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों को लाइसेंस नहीं दिये जान चाहिए ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति की कुछ सिफारिशों पर महाराष्ट्र

सरकार के वित्त मन्त्री श्री बाखडे, का समाचार पत्रों में प्रकाशित भाषण सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) समिति की सिफारिशें, जिनमें उद्योगों का क्षेत्रीय बिखराव भी सम्मिलित है, सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अन्तिम निर्णय विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार के उपरांत किया जायेगा।

Election Symbol of Communist Party

***50. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the election Symbol of Communist Party of India (Marxist)—'sickle and hammer' is also the State Symbol of many other countries ;

(b) if so, whether propagation of the said Symbol is likely to culminate in the propagation of foreign influence in India ;

(c) whether Government propose to advise the Election Commission not to adopt the State Symbol of some other country as the election Symbol in India ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No, Sir.

(d) The use of a symbol having resemblance with the symbol of foreign country is not expressly and specifically forbidden by any provision of the Law, unless section 153A of the Indian Penal Code is outstretched to include such cases. This being so, there can be no legal objection to the use of election Symbol which may have resemblance to the flag of a foreign country.

खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री से भेंट

***51. श्री क० मि० मधुकर :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार ता समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अगस्त, 1969 में प्रधान मंत्री से भेंट की थी तथा उनके समक्ष खादी ग्रामोद्योग संघ के कर्मचारियों की समस्याएं पेश की थीं और इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने का उनसे अनुरोध किया था तथा इस सम्बन्ध में अपना सुझाव भी दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल तथा प्रधान मन्त्री के बीच खादी तथा ग्रामोद्योग संघ की किन-किन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ ;

(ग) इस उद्योग की उन समस्याओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें हल करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे इन्जनों की अप्रयुक्त क्षमता

*52. **श्री जि० मा० बिस्वास :** **श्री जनार्दनन :**

श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप, डीजल तथा बिजली के रेलवे इंजनों की श्रेणीवार कुछ संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी का इन्जन प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे और कितने मील चलता है ;

(ग) उनकी कितने प्रतिशत चलन क्षमता अप्रयुक्त रहती है ; और

(घ) उनकी अप्रयुक्त क्षमता के कारण क्या हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) 1968-69 के दौरान अच्छी मरम्मत शुदा हालत में भण्डार में रखे गये सभी आमान के भाप इन्जनों का प्रतिशत, कुल भाप इंजनों की संख्या का 1.9 रहा । डीजल अथवा बिजली का कोई इंजन अच्छी मरम्मतशुदा हालत में भण्डार में खड़ा नहीं रखा गया ।

(घ) मन्दी के मौसम में अच्छी मरम्मतशुदा हालत में इन्जनों को भण्डार में इस लिए रखा गया था ताकि व्यस्त मौसम में यातायात की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

विवरण

(क) 1968-69 में लाइन पर चालू इन्जनों की संख्या दैनिक औसत इस प्रकार था :

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
भाप	6,079	3,552	399
डीजल	675	204	33
बिजली	474	20	
जोड़	7,228	3,776	432

(ख) 1968-69 में उपयोग के लिए उपलब्ध प्रति इंजन चालित घन्टों की दैनिक औसत संख्या तथा इंजन दैनिक औसत इंजन किलोमीटर संख्या इस प्रकार थी :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
(i) उपयोग के लिए उपलब्ध प्रति इंजन प्रतिदिन चालित घण्टे (सभी सेवाएं)			
भाप	11.6	10.7	9.52
डीजल	19.3	18.1	14.3
बिजली	18.3	12.2	—
सभी कर्षण	12.8	11.1	9.90
(ii) उपयोगरत प्रति इंजन प्रति इंजन किलोमीटर (सभी सेवाएं)			
भाप	162	170	137
डीजल	265	285	215
बिजली	351	347	—
सभी कर्षण	197	178	144

Looting of Sonai Halt Station and Passengers by Armed Goondas

***53. Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sonai Halt Station on Mathura-Hathras Metre-gauge line and the passengers were looted by the armed goondas ;

(b) if so, the extent of public and private property looted by the goondas and the extent of loss of life and property and the number of persons arrested up till now ;

(c) whether it is also a fact that despite public opposition, Government propose to construct another Halt Station one kilometer away from the present Halt Station at a secluded place where the incidents of looting public and private property are likely to take place almost daily ;

(d) if so, whether Government propose to reconsider this case ; and

(e) the difficulties faced by Government in constructing the Halt Station at a distance of two furlongs from the present Halt Station ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir. However, no Railway property was looted.

(b) Value of private property looted was Rs. 400/- approximately. There was no loss of life. No arrest has been made so far.

(c) to (e). It is proposed to construct a crossing station between Raya and Mursan, in order to increase the line capacity. It Would replace the existing Halt Station. The site of the existing Sonai Halt Station is not suitable for providing a crossing station from technical and operational considerations due to presence of steep gradient of 1 in 300 and the close proximity of built-up areas adjacent to the Railway track. This also involves acquisition of valuable homestead land. Hence it has been decided to locate the crossing station about one kilometre away from Sonai Halt.

सीमेंट उद्योग में संकट

*54. **श्री महेन्द्र माझी :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में सीमेंट के अधिक उत्पादन के कारण इस उद्योग में गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण में सीमेंट कारखानों में अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न स्थितियों के निवारण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यसंचालन के बारे में अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

55. **श्री देवेन सेन :**
श्री हेमराज :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्य संचालन के बारे में अशोक मेहता समिति द्वारा क्या सिफारिशें तथा सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें समिति के प्रतिवेदन के अध्याय 8 में दी गई है जिसकी प्रतियां पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई हैं ।

(ख) जी, अभी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में यात्रा टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी वर्ग में शामिल करना

*56. **श्री ओंकार सिंह :**

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या रेलवे मंत्री 20 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब सवारी गाड़ियों में ब्रेकमैनों को किस आधार पर संगचल कर्मचारी वर्ग में शामिल माना गया है ;

(ख) सरकार को गत तीन वर्षों में सब यात्रा टिकट निरीक्षकों और उनके संगठनों की ओर से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने यात्रा टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी वर्ग में शामिल करने का अनुरोध किया है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) उन्होंने 22 जुलाई, 1969 को सभा में यात्रा टिकट निरीक्षकों के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये थे, उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) गाड़ियों के संचालन से जिन कर्मचारियों का सीधा सम्बन्ध होता है और जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, केवल उनकी कोटियों को रनिंग कर्मचारी माना जाता है, जैसे ड्राइवर, शंटर, फायरमैन, गार्ड और ब्रेकमैन। चूंकि ब्रेकमैनों की कोटि भी गाड़ियों के संचालन से सीधे सम्बन्धित हैं, इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारी माना गया है।

(ख) आये दिन अभ्यावेदन मिलते रहे हैं और उन पर कार्रवाई की गयी है और हर बार सरकार ने यह तय पाया है कि चल टिकट परीक्षकों को रनिंग कर्मचारी मानना संभव न होगा।

(ग) जहां तक चल टिकट परीक्षकों को रनिंग कर्मचारी माने जाने का सवाल है, 22 जुलाई, 1969 को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लेकिन जिन जगहों पर चल टिकट परीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने का औचित्य है वहां पर उनकी संख्या बढ़ाने और उनकी कठिनाइयों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था। इन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) रेल प्रशासनों को इन आशय की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है कि टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय सरकारी रेलवे पुलिस के प्राधिकारियों की सहायता से पर्याप्त व्यवस्था की जाये ताकि टिकटों की जांच का काम अधिक कारगर ढंग से हो सके।

बेरोजगार इन्जीनियरों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना की योजना

*57. श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री जगेश्वर यादव :
श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री इसहाक संभाली :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग स्थापित करने में बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सहायता करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पर राज्यों की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारों द्वारा इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग की स्थापना के लिए इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य तकनीकी अर्हता प्राप्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को उनका मार्गदर्शन करने हेतु अक्तूबर 1968 में एक माडल योजना राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए परिचालित की गई थी। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। सभी राज्यों से अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी तक बेरोजगार इंजीनियरों को सहायता देने के लिए 10 राज्य। केन्द्र शासित प्रदेश उचित कदम उठा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) क्योंकि योजना राजकीय क्षेत्र में क्रियान्वित होती है, आवश्यक सलाह तथा मार्गदर्शन विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वांचू समिति का प्रतिवेदन

*58. श्री नि० रं० लास्कर : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० की० अमीन : श्री रवि राय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वांचू समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग) 1968 की रेल दुर्घटना जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में क्रमशः नवम्बर, 1968 और अगस्त 1969 में पेश की थी। रिपोर्ट का भाग—1, जिसमें 229 टिप्पणियां और सिफारिशें हैं, नवम्बर, 1968 में सभा-पटल पर रख दिया गया था। बाद से इसकी सविस्तार जांच की गयी और

समिति ने इस भाग में जो टिप्पणियां और सिफारिशें की थीं, उन पर रेल मंत्रालय के विचार रेलवे बजट प्रलेखों के साथ, फरवरी, 1968 में प्रस्तुत कर दिये गये थे।

2. रिपोर्ट भाग—1 में 139 टिप्पणियां और 90 सिफारिशें थीं। समभारों का दर्जा बढ़ाने या उन पर चौकीदारों की व्यवस्था करने के लिए मानदण्ड के निर्धारण से सम्बन्धित केवल एक सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर भी, उन टिप्पणियों को ध्यान में रख कर फिर से विचार किया जा रहा है, जो समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग—II में की है।

3. रिपोर्ट के भाग—I में की गयी टिप्पणियों और सिफारिशों पर उन तरीकों के आधार पर यथावश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है जो 'रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचारों' में बताये गये हैं, और अमल पर निगाह रखी जा रही है।

4. रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम भाग रेल संचालन के अनेक पहलुओं से संबंधित है और इसमें 500 टिप्पणियां और सिफारिशें हैं। इस पर विचार किया जा रहा है और विभिन्न टिप्पणियों और सिफ़ारिशों पर रेल मंत्रालय के विचार अन्तिम रूप से तैयार होते ही उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। उसके बाद, शीघ्र ही रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचारों के आधार पर इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

*59. श्री श्रीधरन : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक नीति में क्या-क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) ये नये परिवर्तन कब से लागू करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों तथा निष्कर्षों के सन्दर्भ में औद्योगिक लाइसेंस नीति में कतिपय परिवर्तन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित परिवर्तनों की घोषणा नीति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के तुरन्त बाद कर दी जायेगी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रेलवे विकास कार्यक्रम

*60. डा० प० मंडल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में रेलवे विकास कार्यक्रम की नई बातें क्या हैं ; और

(ख) विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा स्वीकृत 5.5 करोड़ डालर के ऋण से रेलवे विकास के क्या कार्य किये जायेंगे ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) योजना आयोग ने जो 1525 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है वह योजना अवधि के अन्त तक 2550 लाख प्रारम्भिक मीटरिक टन माल यातायात की ढुलाई और अनुपनगरीय यात्री यातायात के सम्बन्ध में 20 प्रतिशत की वृद्धि को सम्हालने के लिए परिवहन क्षमता के विकास के लिए है। इस खर्च से मुख्यतः कर्षण शक्ति, सिगनल एवं दूर संचार, चल स्टाक, रेल पथ के अनुरक्षण, कारखानों के उपस्कर तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण और उनमें सुधार करना है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा स्वीकृत 5.5 करोड़ डालर का ऋण चल स्टाक के जो हिस्से पुर्जे देश में नहीं बनाये जा रहे उनका आयात करने तथा विद्युतीकरण के लिए विद्युत विश्लेषी तांबे, सिगनल एवं दूर संचार उपस्कर और कुछ संयंत्रों और मशीनों को योजना के पहले दो वर्षों में बाहर से मंगाने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

उड़ीसा से लाइसेंस के लिये निलम्बित आवेदनपत्र

201. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसंसों के लिए उड़ीसा से प्राप्त कितने आवेदन पत्र सरकार के पास निलम्बित पड़ें हैं ;

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्र 2 वर्ष से अधिक समय से निलम्बित पड़े हुए हैं ; और

(ग) इन आवेदनपत्रों का निपटारा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लाइसेंसों के लिए उड़ीसा से 31 अक्तूबर, 1969 तक प्राप्त आवेदनों में से केवल 9 आवेदनपत्र इस समय विचाराधीन हैं। इनमें से 6 आवेदनपत्र वर्ष 1969 में प्राप्त हुए थे और 3 आवेदनपत्र वर्ष 1968 में प्राप्त हुए थे।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) लाइसेंस देने की प्रणाली में कुछ विलंब होना स्वाभाविक ही है। कुछ मामलों में योजना पहलूओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ और कुछ मामलों में विशेष उद्योगों को अतिरिक्त लाइसेंस देने की क्षमता के बारे में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

रेलवे दुर्घटनाएं

203. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में कुल कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यांत्रिक त्रुटियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई ; और

(ग) जन-जीवन तथा सरकारी सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1967-68 और 1968-69 के दौरान भारत की सरकारी रेलों में टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क यातायात में टकराने और गाड़ियों में आग लगने आदि कोटियों की क्रमशः 1,111 और 9?8 दुर्घटनायें हुई थीं।

(ख) 2 012 रेल दुर्घटनाओं के कारणों के संबंध में जांच को अन्तिम रूप दिया गया है। इनमें से 212 दुर्घटनायें यांत्रिक उपस्करों की खराबी और 1,228 रेल कर्मचारियों, जिनमें कारू वर्ग भी शामिल हैं, की गलती के कारण हुई।

(ग)

	दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या	रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत
1967-68	233	1,49,?8,037 रु०
1968-69	177	1,19,55,831 रु०

क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में लिये गये क्लर्कों के वेतन का निर्धारण

204. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4915 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन अपर डिवीजन क्लर्कों के मौलिक अधिकारों का परित्राण करने वाले नियम 2026 (एफ० आर०-30) आर-11 को सांविधिक प्राधिकार न देने पर राष्ट्रपति ने किन परिस्थितियों में शिथिल किया था ; और

(ख) क्या वह मामले की जांच करायेंगे तथा 20 अप्रैल, 1961 के अवैध आदेश के अन्तर्गत इन अपर डिवीजन क्लर्कों के साथ किये गये अन्याय को दूर करेंगे ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सम्बन्धित क्लर्कों को बोर्ड कार्यालय में 60-130 (पुराने) 110-180 (संशोधित) ग्रेड में भर्ती किया गया था और उन्हें इस ग्रेड में दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गयी थीं। बाद में, अपने मूल कार्यालय में ऊंचे ग्रेड के पदों में पूर्व व्याप्ति सहित मूल रूप से उनकी नियुक्ति हो जाने पर, उन्हें नियम 2026 (एफ० आर-30)-स्था०-11 में छूट देकर 60-130 (पुराने) 110-180 (संशोधित) के ग्रेड में स्वीकार्य वेतन अथवा उनका मूल वेतन, जो भी अधिक हो, लेने की अनुमति दे दी गयी। जैसा कि उनके नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित है, यदि उनका वेतन उनके मूल वेतन से अधिक हो तो, उसे संरक्षण देने के लिए ऐसा किया गया।

(ख) सवाल नहीं उठता, क्योंकि इन क्लर्कों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है और 20 अप्रैल, 1961 का आदेश अन्यथा भी वैध है।

क्षेत्रीय रेलवे से रेलवे बोड के कार्यालय में लिये गये क्लर्क

205. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा कानूनी उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत अपर डिवीजन क्लर्क के ऊंचे पद पर स्थाई रूप से नियुक्ति क्लर्कों की निम्न पद पर प्रो-फारमा नियुक्ति करने का प्राधिकार हो क्योंकि ऐसी कार्यवाही नियम 2011 (एफ० आर०-15) आर०-11 के प्रतिकूल है ;

(ख) बोर्ड के कार्यालय में जाने की तिथि से उन्हें अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर समाविष्ट न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि अधिकारी से परामर्श किया गया था, और यदि नहीं, तो क्या ऐसा किया जायेगा क्योंकि उनका अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में समावेश करने के लिए जिस पद्धति का प्रस्ताव किया गया है उससे मूल नियमों का उल्लंघन होता है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जैसा कि 15-4-1969 के अतारांकित प्रश्न 6381 के उत्तर में कहा गया था, इन क्लर्कों के मामले में नियम 2011 (मूल नियम-15) स्था०-11 के उपबन्ध लागू नहीं होते थे क्योंकि उन्हें रेलों/भारतीय रेल सम्मेलन से प्रतिनियुक्ति पर माना गया था।

(ग) इन क्लर्कों को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना, जो गृह-कार्य मन्त्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनायी गयी थी, के वर्तमान पैरा 14 के अनुसार अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में समाहित किया जाना है। इस पैरा की एक प्रतिलिपि 15-4-1969 के अतारांकित प्रश्न 6381 के उत्तर में संलग्न की गयी थी।

(ग) चूंकि इन क्लर्कों को समाहित करने के मामले में मूल नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग और विधि अधिकारी की सलाह लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल-कारों, सवारी डिब्बों तथा माल-डिब्बों का आयात

206. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐसोसिएशन द्वारा हाल में दिये गये 5.5 करोड़ डालर के ऋण में से कुछ राशि का उपयोग रेल-कारों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों का आयात करने के लिए किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आयात के क्या कारण हैं जब कि देश में उनका निर्माण करने की पर्याप्त क्षमता है ; और

(ग) वर्ष 1965-66 से लेकर अब तक उपरोक्त तीनों चीजों के आयात पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आया और प्रत्येक संभरणकर्ता को कितनी राशि दी गई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) कुछ नहीं ।

वर्ष 1969-70 में रेलवे की आय तथा व्यय

207. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के पहले आठ महीनों में रेलवे की आय और व्यय का क्या रुख रहा तथा शेष चार महीनों में आय तथा शेष चार महीनों में आय तथा व्यय का क्या अनुमान है ;

(ख) क्या रेलवे की आय और व्यय 1969-70 के वित्तीय वर्ष के बजट के आंकड़ों से मेल खाते हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसमें कितना अन्तर है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1969-70 में रेलवे को कुल कितना लाभ होने का अनुमान है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) नवम्बर, जो वित्तीय वर्ष का आठवां महीना है, अभी समाप्त नहीं हुआ । वित्तीय वर्ष के पिछले पूरे महीने, अर्थात् अक्तूबर, के खाते अभी बन्द नहीं किये गये । 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले छः महीने की अवधि में, जिसके खाते बन्द किये जा चुके हैं, आमदनी 464 करोड़ 4 लाख रुपये हुई और संचालन-व्यय 345 करोड़ 39 लाख रुपये हुआ ।

(ख) इस अवधि में आय और व्यय का जिस अनुपात में बजट अनुमान था, आमदनी और खर्च आमतौर पर उसी अनुपात से चल रहे हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) वर्तमान लक्षण यह है कि 1969-70 के बजट में लगभग 2 करोड़ रुपये की जो बचत दिखायी गयी है वह हो जायेगी ।

मैसर्स वैस्टिंग हाउस, सैक्सबी एण्ड फार्मर (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता

208. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को मैसर्स वैस्टिंग हाउस सेक्सबी एन्ड फार्मर (प्राइवेट) लिमिटेड की मदद करने के लिए 20 लाख रुपये का अग्रिम ऋण दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस राशि का उपयोग उस विशेष प्रयोजन के लिए नहीं किया जिसके लिए उसे वह राशि दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा मैसर्स वैस्टिंग हाउस सेक्सबी एण्ड फार्मर (प्राइवेट) लिमिटेड दोनों ही दिवालिये हो चुके हैं, इस धन के लौटाये

जाने अथवा उसका रेलवे को भावी संभरण के लिये समायोजन किये जाने की कितनी गुंजाइश है ; और

(घ) इन 20 लाख रुपयों पर किस दर से ब्याज लिया जा रहा है और इस ब्याज को देने की जिम्मेदारी किस की समझी गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जिस प्रयोजन के लिए इस रकम का उपयोग होना था उसके अलावा किसी और कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है ऐसा विश्वास करने का केन्द्रीय सरकार के पास कोई कारण नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) राज्य सरकार को जो अग्रिम रकम दी गई है उस पर वह प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगी ।

बिना टिकट यात्रा

209. **श्री बाबू राय पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने के कारण रेलों को प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये की हानि होती है ;

(ख) क्या ऐसा पाया गया है कि इस वार्षिक हानि में छात्रों का विशेष हाथ है ;

(ग) यदि हां, तो छात्रों को यह समझाने के लिए क्या व्यावहारिक उपाय किए गए हैं कि बिना टिकट यात्रा करना केवल गैर-कानूनी ही नहीं है अपितु समाज विरोधी भी है ;

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी उपनगर-स्थानीय रेल गाड़ियों में निरन्तर बिना टिकट यात्रा करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारतीय रेल अधिनियम में 10-6-1969 से लागू होने वाले संशोधन से पहले बिना टिकट यात्रा के कारण रेलों को अनुमानतः 20 से 25 करोड़ रुपये के बीच वार्षिक हानि होती थी ।

(ख) कई बार विद्यार्थी भी बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये हैं ।

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने और उनके विरूद्ध कारवाई करने के सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों के माध्यम से विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

(घ) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में कुछ सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन यात्रियों के व्यवसाय का पता लगाना सम्भव नहीं है ।

(ङ) बिना टिकट यात्रा करने वाले सभी यात्रियों (जिनमे हो सकता है कुछ सरकारी

कर्मचारी हों) विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है जो सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता।

अहमदाबाद के दंगों के दौरान गुण्डों द्वारा रेल गाड़ियों पर आक्रमण

210. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अहमदाबाद के आस-पास कितनी तथा किन-किन रेल गाडियों पर गुंडों ने आक्रमण किए थे ;

(ख) प्रत्येक रेल गाड़ी में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी कितनी संख्या है :

(ग) यह जानते हुए कि गाड़ियों पर आक्रमण किये जाने से कई दिन पूर्व ही दंगे आरम्भ हो गये थे, इन गाड़ियों की सुरक्षा के लिए उचित पूर्वोपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में रेल गाड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोबिन्द मेनन) : (क) और (ख). सितम्बर, 1969 में अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों में निम्नलिखित 8 गाड़ियों पर हमले किये गये या उन्हें रोका गया। प्रत्येक गाड़ी में मरे। घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

गाड़ी का विवरण	व्यक्तियों की संख्या	
	मरे	घायल
50 डाउन तेज सवारी गाड़ी	4	1
36 डाउन कीर्ति एक्सप्रैस	—	3
47 डाउन सवारी गाड़ी	—	—
55 अप 150 डाउन सवारी गाड़ी	3	5
111 अप सवारी गाड़ी	1	1
36 डाउन कीर्ति एक्सप्रैस	2	5
31 अप जनता एक्सप्रैस	11	1
68 डाउन सवारी गाड़ी	1	1
जोड़	22	17

मरने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों के नामों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं है।

(ग) उत्तेजित क्षेत्रों, स्थलों, स्थानों, और ठिकानों पर उपलब्ध पुलिस के दस्ते तैनात कर दिये गये थे और इस प्रकार पुलिस के साधनों को पूरा-पूरा उपयोग किया गया था। अहमदाबाद

ग्रौर ग्रन्य उपनगरीय स्टेशनों की महत्वपूर्ण संस्थापनाग्रों की हिफ़ाजत के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया था। रेलवे सुरक्षा दल ग्रहमदाबाद ग्रौर ग्रन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों की रेलवे बस्तियों की सुरक्षा का काम भी करता था तथा रेल कर्मचारियों को उनकी बस्तियों से रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने ग्रौर वहां से वापस लाने का काम भी करता था। लेकिन जब ग्रनियंत्रित तत्वों ने गाड़ियों को ग्रपना लक्ष्य बनाया तो राज्य सरकार ने गाड़ियों में पहरे की व्यवस्था का विनिश्चय किया। चूंकि उसके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे, ग्रतः उसने रेलों से यह ग्रनुरोध किया कि प्रभावित क्षेत्रों में सवारी गाड़ियों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात कर दिये जायें।

(घ) कानून ग्रौर व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ग्रौर इसमें यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा भी शामिल है। ग्रतः उनसे घनिष्ट सम्पर्क रखा जाता है ग्रौर ऐसी स्थिति को सम्हालने के लिए राज्य पुलिस की यथासम्भव सहायता की जाती है।

चोरी की हुई रेलवे सामग्री का पकड़ा जाना

211. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1969 को पूर्वी रेल सुरक्षा दल ने तलाशी लेने के पश्चात बर्दवान में एक दुकान एवं गोदाम से 10,000 रुपये के मूल्य की रेलवे सामग्री प्राप्त की ;

(ख) यदि हां, तो चोरी की हुई सामग्री का ब्योरा क्या है ; ग्रौर

(ग) ग्रपराधियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण ग्रौर रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। इस मामले का पता पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा दल के ग्रपराध ग्रासूचना कर्मचारियों द्वारा लगाया गया था ग्रौर ग्रपराधी व्यक्ति के गोदाम की तलाशी लेने पर लगभग 9500 रुपये का सामान पकड़ा गया था।

(ख)	1.	फिश प्लेट	31 ग्रदद
	2.	कम्पाउण्ड फिश प्लेट	6 ,,
	3.	सी० एस० टी०/9 प्लेटें	44 ,,
	4.	रेल के ग्रलग-ग्रलग भाग के टुकड़े (कुल लम्बाई लगभग 448 फुट)	58 ,,
	5.	डी० ग्रो० प्लेटें	13 ,,
	6.	डी० ग्रो० जा	4 ,,
	7.	ब्रेक ब्लाक	1 ,,
	8.	टाई बार	183 ,,
	9.	टाई बारों के कटे हुए टुकड़े	42 ,,

10. दो मुखी चाभी	1	अदद
11. लकड़ी के रेलवे स्लीपर (मानक आकार के)	2	,,

(ग) मामले की अभी जांच हो रही है ।

मधुकुण्डा स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर झगड़ा

212. **श्री चपला कान्त भटटाचार्य :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 सितम्बर, 1969 को दक्षिण पूर्व रेलवे में मधुकुण्डा स्टेशन पर रांची आसनसोल यात्री गाड़ी के यात्रियों और बिहार सशस्त्र पुलिस के सदस्यों के बीच मार-पीट हुई थी ;

(ख) इस घटना का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोबिन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 14-9-1969 को, बिहार सैनिक पुलिस (गोबिन्दपुर स्थित बटालियन सं० 3 "सी" कम्पनी) के 88 कर्मचारी 64 अप रांची-आसनसोल सवारी गाड़ी द्वारा रांची से आसनसोल के रास्ते गीरिडीह जा रहे थे । ये लोग दूसरे दर्जे के 3 डिब्बों और तीसरे दर्जे के 2 डिब्बों में सवार थे जिनमें अन्दर से ताला लगा था । मधुकुण्डा स्टेशन पर कुछ यात्री इन डिब्बों में सवार होना चाहते थे, लेकिन सैनिक पुलिस के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया । इसके परिणामस्वरूप उनमें हाथापाई हो गयी, जिससे सात यात्री और गाड़ी का गार्ड घायल हो गये । घायलों का प्रथमोपचार किया गया । इसका विरोध प्रकट करने के लिए, यात्रियों ने रेल की पटरी पर धरना दे दिया और गाड़ी को चलने नहीं दिया । आद्रा की सरकारी रेलवे पुलिस ने 14-9-69 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147' 148' 323' 325 के अधीन मामला सं० 4 दर्ज कर लिया और सैनिक पुलिस के सभी 88 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया । सैनिक पुलिस कर्मचारियों की शिकायत पर 14-9-69 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147' 323' 353 के अन्तर्गत एक जबाबी मामला सं० 5 चलाया गया जिसमें अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया । इन दोनों मामलों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बड़-बड़े नगरों में आवास सम्बन्धी समस्या

213. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े नगरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की

आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कोई विशेष उपाय करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिक निर्धन वर्गों पर ध्यान दे रहा है, जिनकी आवश्यकताओं को अधिक शीघ्रता से पूरा करना जरूरी है । गन्दी बस्तियों में रहने वालों के मामले में यह विभाग गन्दी बस्तियां उन्मूलन योजना के अधीन इन वर्गों के लोगों के लिए बनाए गये मकानों की लागत का 12½% अंशदान के रूप में देता है । पिछड़े वर्ग क्षेत्र में आवास योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग 900 से 1500 रुपये प्रति मकान गृह-निर्माण उपदान के रूप में पाने के पात्र हैं । इस योजना को अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है ।

इस के अतिरिक्त, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां सामान्य आवास योजनाओं से, जैसे कि मध्यम तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाएं, भी सहायता पाने के लिये पात्र हैं ।

Complaint against Loco Staff working in Tundla (Northern Railway)

214. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a complaint has been received against the Loco Staff of Tundla to the effect that two or three Clerks are drawing salary without doing any work for the last three years ; and

(b) if so, the action taken by Government against the supervising officer ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The information is being colleeted and will be laid on the Table of the Sabha.

Prohibition in Pauri Garhwal (Uttar Pradesh)

215. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prohibition has not been enforced in Pauri-Garhwal (Uttar Pradesh) up till now ;

(b) whether it is also a fact that the State Government had urged upon the Central Government to pay half of the total loss incurred due to prohibition ;

(c) if so, the action taken by the Central Government thereon ;

(d) the final decision taken by the State Government now and the reaction of the Central Government thereto ; and

(e) the time by which prohibition is likely to into force ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) to (e). Does not arise. Prohibition being a State subject, it is for the State Government to decide regarding the enforcement of Prohibition.

Declaration of Garhwal as Backward Area and Introduction of Prohibition

216. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of U. P. is not prepared to enforce prohibition law in the Garhwal District of U. P. in spite of the requests made by several prominent Central leaders, although prohibition law has been enforced in the neighbouring District of Kumaon which is the constituency of the Chief Minister ;

(b) whether it is also a fact that Garhwal District is a backward area of the State in all respects ;

(c) whether the Prime Minister had given an assurance to the residents of Pauri that Garhwal will be declared as a Backward area ;

(d) if the Prime Minister is not in a position to do so, whether it is also out of her jurisdiction to enforce prohibition in the area ; and

(e) what is the justification for the State and the Centre in taking advantage of the funds of a backward District ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

हरिजनों के व्यवसायों में परिवर्तन

217. **श्री लोबो प्रभु :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री 5 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2136 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनुसूचित जातियों के आँकड़े क्या है जिन्होंने सरकारी योजनाओं के परिणाम-स्वरूप अपने व्यवसायों में परिवर्तन किया है ;

(ख) क्या नए व्यवसायों के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए हरिजनों के आंकड़े रखे जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी सूचना हरिजनों की उन्नति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नहीं है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने चुने हुए गांवों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की व्यवसायिक गतिशीलता के अध्ययन किए है। इन्हें आयुक्त की वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किया गया है, जिनकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

हरिजनों के लिये रोजगार तथा भूमि का आवंटन

218. **श्री लोबो प्रभु** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रायोगिक क्षेत्रों में 'स्थायी रोजगार' की व्यवस्था दी गई है, उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में चुने हुए क्षेत्रों में हरिजनों के लिए चालू योजना में योगदान न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) हरिजनों को कुल कितनी भूमि दी गई है तथा उसमें कितनी भूमि में खेती होती है ; और

(ग) हरिजनों की सीमित सामर्थ्य तथा धारण शक्ति को देखते हुए उन्हें भागीदार बनाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण है जिनके अधिकार एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) मार्गदर्शी योजना के साथ महाराष्ट्र में शुरूआत कर दी गई है । इस योजना के परिणामों का पता लगने के बाद ही इस बात पर विचार करना सम्भव हो सकेगा कि उसे हरिजनों के सम्बन्ध में कहां तक लागू किया जा सकता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि तीन लाख एकड़ से भी अधिक भूमि अनुसूचित जातियों को खेती के लिए बांटी गई है । इस में से अधिकतर भूमि पर खेती होनी चाहिए ।

(ग) ऐसा प्रस्ताव व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं होगा ।

इस्पात की कमी

219. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री ईश्वर रेड्डी **श्री जगेश्वर यादव** :
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री जनार्दनन** :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एस० ए० आई० डी० मिशन के लिए श्री पी० एन० आर्य द्वारा वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक की अवधि में भारत में लोह तथा हल्के इस्पात की मांग तथा पूर्ति के बारे में किये अध्ययन से ज्ञात होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की पूर्ण अवधि में इस्पात की कमी बनी रहेगी ;

(ख) क्या अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस कमी से इंजीनियरिंग उद्योगों के आयात लक्ष्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है ; और

(ग) यदि हां तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क)

ग्रौर (ख). रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस्पात की कमी चौथी योजना अवधि भर चलेगी ग्रौर इस कमी का इंजीनियरी सामान के योजना-बद्ध निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की ग्राशंका है।

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं (i) निर्यात के लिए इंजीनियरी उद्योगों में देशीय इस्पात की ग्रावंटन पद्धति को दोष मुक्त करना (ii) ग्रायात का उदारी करण (iii) इस्पात का थोक ग्रायात (iv) वर्तमान क्षमता से अधिक उत्पादन की प्राप्ति ग्रौर (v) इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ग्रतिरिक्त क्षमता का ग्रायोजन।

लहरिया सराय, महेन्द्रघाट तथा जैसीडीह स्टेशनों पर टेलीफोन काटना

220. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री 12 ग्रगस्त, 1969 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 3278 के उत्तर के सम्बन्ध में मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने किसी प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया है जिससे कि भविष्य में रेलवे टेलीफोनों को काटने की स्थिति पैदा न हो ग्रौर यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या समय पर टेलीफोन शुल्क न दिये जाने के लिए जिसके कारण 13 स्टेशनों पर लाइनें काट दी गई थीं, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; ग्रौर यदि हां, तो उसका परिणाम निकला है ; ग्रौर

(ग) टेलीफोन लगाने के शुल्क ग्रादि के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई ?

विधि तथा समाज कल्याण ग्रौर रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) डाक ग्रौर तार विभाग ने रेल मन्त्रालय का यह अनुरोध नहीं माना है कि टेलीफोनों को काटने के मामले में रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए डाक तार विभाग के टेलीफोनों को प्राइवेट टेलीफोनों से अलग माना जाये। फिर भी, रेल मन्त्रालयों ने रेलों के महाप्रबन्धकों को इस ग्राशय की हिदायत जारी की है कि वे रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए टेलीफोनों से सम्बन्धित बिलों पर कड़ी निगाह रखने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नामित करें ताकि टेलीफोन कनेक्शन न काटा जाये।

(ख) अतारांकित प्रश्न 3278 का जो उत्तर 12-8-69 को दिया गया था उसमें उल्लिखित 13 स्टेशनों पर टेलीफोनों के कनेक्शन काटे जाने के सभी मामलों में उन सभी बिलों का वास्तव में भुगतान किया जा चुका था जो डाक ग्रौर तार विभाग से प्राप्त हुए थे लेकिन टेलीफोन इस लिये काट दिये गये क्योंकि डाक ग्रौर तार विभाग द्वारा इन बिलों के भुगतान का हिसाब अपने यहाँ दर्ज नहीं किया गया था। इनमें से एक मामले में, अर्थात् कोलगंज स्टेशन के टेलीफोन के बिल का भुगतान जिस चैक के जरिये किया गया था, वह गायब हो गया था उसके बदले में नया चैक जारी किया गया ग्रौर टेलीफोन का कनेक्शन फिर दे दिया गया।

(ग) इन स्टेशनों में से छः स्टेशनों पर टेलीफोन कनेक्शन दुबारा देने के लिए रेलों ने डाक ग्रौर तार विभाग को प्रति स्टेशन 50 रुपये का भुगतान कर दिया है।

निर्वाचन पोस्टरों का मुद्रण

221. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री मुद्रकों और प्रकाशकों के नामों के बिना निर्वाचन पोस्टरों के मुद्रण संबंधी 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी संगृहीत कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री० मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). यह मामला अभी भी जिला मजिस्ट्रेट के अन्वेषणाधीन है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पूर्वोत्तर में मुरेठा तथा कारांहिया स्टेशनों को हाल्ट स्टेशन बनाया जाना

222. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैठा और कोराहिया (पूर्वोत्तर रेलवे) पर हाल्ट स्टेशन बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव या जांच कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो हाल्ट स्टेशन के खोलने का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) हाल में की गयी जांच से पता चला है कि कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरैथा में तथा खजौली और जयनगर स्टेशनों के बीच कोरहिया में गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं हैं । इसलिए, इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

पोर्टलैंड सीमेंट का वर्गीकरण

223: **श्री मु० कु तापड़िया :**

श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री पोर्टलैंड सीमेंट को वर्गीकृत करने संबंधी 5 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मानक संस्थान से सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं । और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

224. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुइ है ;

(ख) क्या इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है वह कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन कारखानों पर कितनी लागत लगेगी ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). क्यों कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इस स्थिति में ब्यौरा देना संभव नहीं है।

अहमदाबाद के दंगों में भारतीय रेलवे की क्षति

225. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री न० रा० देवघरे
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ होने के बाद से अहमदाबाद में अब तक रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने, आग लगाये जाने आदि के कारण और यात्री तथा मालगाड़ी यातायात रुक जाने अथवा मार्ग परिवर्तन के कारण रेलवे की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) रेलवे सम्पति की रक्षा करने तथा देश के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सितम्बर, 1969 में अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों में रेल सम्पति को क्षति पहुंचने के कारण और यात्री तथा माल यातायात के मार्ग परिवर्तन अथवा रुके रहने के कारण रेलों की क्रमशः लगभग 6,000 और 24,45,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ख) रेल सम्पति की हिफाजत करने और ऐसी स्थितियों को संभालने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की उत्तरोतर अधिक संख्या में तैनात किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं की देखभाल करने वाले राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ घनिष्टतम सम्पर्क रखा जाता है, ताकि उनसे सहायता ली जा सके। रेल सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों की बर्बादी के विनाशकारी प्रभाव को जनता के सामने लाने के लिए भी कदम उठाये जाते हैं।

विमलगढ़ तालचेर रेलवे परियोजना को आरम्भ करने से रुरकेला इस्पात कारखाने को हुई हानि

226. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 अगस्त, 1969 को आरंभ की गई विमलगढ़ तालचेर रेलवे लाईन परियोजना से रूरकेला स्टील टाउन शिप को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय "आदिवासी" नेताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय सम्पति को नाश होने से बचाने के लिये आन्दोलन विरोधी दल बनाया था, आन्दोलन-कारियों ने पीटा था तथा एक आदिवासी नेता के घर का घेराव किया गया था तथा उसमें पत्थर फैंके गये थे तथा उसे मारने की धमकी दी गई थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि 19, अगस्त, 1969 को अर्थात् प्रदर्शन से एक दिन पूर्व आम जनता को डराने के लिये रूरकेला क्लब के सामने आन्दोलनकारियों द्वारा एक बिस्फोट चलाया गया था ताकि विमलगढ़ तालचेर रेलवे परियोजना को आन्दोलनकारियों द्वारा नष्ट किये जाने पर वे अपने घरों से बाहर न आ सकें ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विमलगढ़ तालचेर रेलवे लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये आन्दोलन के फलस्वरूप रूरकेला इस्पात बस्ती में कंपनी की संपत्ति को लगभग 4 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ख) चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसी घटनाओं का विवरण वे ही दे सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

बंडीमुण्डा मार्शलिंग यार्ड से हटाये गये व्यक्तियों का दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक का ज्ञापन

227. **श्री दे० अमात** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के बंडीमुण्डा मार्शलिंग यार्ड से हटाये गये व्यक्तियों ने उक्त यार्ड में उन्हें रोजगार देने के बारे में 17 सितम्बर को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक को ज्ञापन प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उसी ज्ञापन में कुछ रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने हटाये गये आदिवासियों को यह आश्वासन देकर कि उन्हें उस यार्ड में रोजगार दिया जायेगा उनसे रिश्वत ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं, इस प्रकार कितना धन एकत्र किया गया है तथा कर्मचारियों के ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Financial Assistance given to Families of H. E. C. Employees killed in Communal Riots in Ranchi

228. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no financial assistance has been given to the families of the employees of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, who were killed in the communal disturbances which occurred in 1967, despite the assurances given by Government ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in the matter.

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir. An ex-gratia payment of Rs. 500/- has been made by Heavy Engineering Corporation in each individual case of loss of life of its employees during the 1967 disturbances. Recovery of all outstanding advances due from employees killed in the disturbances have been waived except in respect of advances for purchase of motor cars, or immovable properties and advances from the Contributory Provident Fund. HEC has also decided to provide employment to one dependent member of the family of the employees killed during the disturbances. The financial assistance given by the company is in addition to what the families of the deceased have received from the State Government.

(b) Does not arise.

औद्योगिक लाईसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशें

229. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री कं हाल्दर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री जनार्दन :
श्री रवि राय :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शारदा नन्द :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृजभूषण लाल :

श्री सूरज भान : **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक-लाईसेंस-नीति जांच समिति द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक-लाईसेंस-नीति जांच समिति द्वारा की गई शिफारिशें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।

कोयला उद्योग द्वारा कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग

230. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जि० मो० विस्वास : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
डा० रानेन सेन : **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग ने **रेलवे** की सप्लाई किये जाने वाले कोयले के मूल्य और बढ़ाने की मांग की है ।

(ख) यदि हां, तो उद्योग ने मूल्य में कितनी वृद्धि की मांग की है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड ने माँग पर क्या निर्णय किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्य में प्रति मीटरिक टन 2 रुपये से 4.11 रुपये तक वृद्धि करने के लिए कहा गया था ।

(ग) 1-10-1969 से की जाने वाली सप्लाई के लिए रेलवे बोर्ड ने मूल्य में प्रति मीटरिक टन 70 पैसे कि वृद्धि करने की मंजूरी देने का निर्णय किया जिसे उद्योग ने स्वीकार कर लि या

फिएट, स्टैण्डर्ड तथा यात्री कारों के मूल्यों में वृद्धि

231. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **डा० रानेन सेन :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री दे० अमात : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० बरुआ :**
श्री एस० पो० मूर्ति : **श्री वेंगलराया नायडू :**

श्री राम किशन गुप्त :
श्री मयाबन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री अदिचन :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री बलराज मधोक :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री कं० हाल्दर :
श्री ज० अहमद :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जे० के० चौधरी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री श्री चन्द गोयल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिएट तथा स्टैंडर्ड यात्री कारों के निर्माताओं ने हाल में अपनी कारों के फैक्टरी-द्वारा मूल्य अपने आप बढ़ा दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वास्तव में उनके मूल्यों में कितनी वृद्धि की है ;

(ग) क्या कार निर्माताओं द्वारा एक पक्षीय रूप से मूल्यों में वृद्धि किये जाने के बाद सरकार ने देश में निर्मित इन तीनों यात्री कारों पर मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन कारों के क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) प्रीमियर ओटोमोबाईल्स ने फिएट कार का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 2,312 रु० बढ़ाकर 15,863 रु० कर दिया तथा स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इण्डिया ने स्टैन्डर्ड हैरल्ड कार का मूल्य कारखाने से निकलते समय का 1,637 रु० बढ़ा कर 15,640 कर दिया ।

(ग) जी हां ।

(घ) 21 सितंबर, 1969 से साविधिक आधार पर तीनों प्रकार की कारों का कारखाने से निकलते समय का निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किया गया है :

एम्बैसैडर	रु० 15,316

2. फिएट	14,325
3. स्टैन्डर्ड हैरल्ड	14,003

निर्मित गाड़ियों पर देय उत्पादन कर उपर्युक्त मूल्यों में निहित नहीं हैं।

विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

232. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री जनार्दनन :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक नया सहयोग करार किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैंट्रल मैकेनिकल एण्ड इंजीनिरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, ने एक ऐसे ट्रैक्टर के नमूने का सफलता पूर्वक विकास किया है जिसका डिजायन देश में तैयार किया गया था तथा जिसका निर्माण भी देश में किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजिनियरों द्वारा बड़े परिश्रम और पर्याप्त खर्चे से तैयार किये गये सैंट्रल मैकेनिकल एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रैक्टर को व्यापारिक रूप से विकसित करने की बजाय सरकार द्वारा विदेशी सहयोग से परियोजना बनाने के कार्य को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीने टूल्स लि० ने अपने पिंजोर एकक में छोटी अश्व शक्ति के ट्रैक्टर निर्माण करने के लिए चैकोस्लावाकिया के एक अधिकरण से सहयोग करार किया है और उन्होंने अपने प्रस्ताव सरकार को स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किए हैं।

(ख) खनन तथा सहायक मशीनरी निगम ने केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर के सहयोग से एक छोटी अश्व शक्ति के ट्रैक्टर का विकास तथा निर्माण किया है जिसके आद्यरूप का परिक्षण इस समय देश के विभिन्न परीक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है। इन परिक्षण केन्द्रों से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनों से पता चलता है कि व्यावसायिक उत्पादन के लिए मान्य नमूने के विकास के लिए अभी कुछ और सुधरे हुए नमूनों का विकास तथा निर्माण करना होगा और उनके परिक्षण करने पड़ेंगे।

(ग) प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र में निर्माण हेतु सरकार ने अभी ट्रैक्टर के नमूने पर अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

बोकारो इस्पात कारखाने का पूरा होना

233. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री इसहाक साम्भली :**
श्री झारखण्डे राय : **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि क्या है ;

(ख) उत्पादन क्षमता तथा वित्तीय खर्च के हिसाब से, कारखाने के पूर्ण निर्माण-कार्य के चरण क्या-क्या है :

(ग) क्या यह सच है कि कारखाने का निर्माण-कार्य पहले ही निर्धारित अवधि से पीछे है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सभी सम्बन्धित बातों पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात सरकार ने प्रथम धमन भट्टी समूह का निर्माण पूरा होने की अवधि की लक्षित तिथि दिसम्बर, 1971 तथा 1.7 मिलियन टन उत्पादन को प्रथम अवस्था के लिये समस्त उपस्कर लगाये जाने की तिथि मार्च, 1973 निश्चित कर दी है। 1.7 मिलियन टन की प्रथम अवस्था के पूरा करने पर 67 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

(ग) किये गये काम के ताजा मूल्यांकन से ऐसा लगता है कि निर्माण-कार्य में लगभग 9 महीने की देरी हो जायेगी।

(घ) देरी का मुख्य कारण कोक ओवन बैटरी के निर्माण के लिए उष्मसह की सप्लाई में देरी तथा सिन्टरिंग प्लांट के लिए प्लेटों का आयात करने की आवश्यकता है। आगे देरी को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि शांति तथा अनुशासन का वातावरण बना रहे और श्रमिकों द्वारा काम की उच्च गति को बनाये रखा जाय।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन, कानपुर में अनियमिततायें

234. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री इन्द्रजीत सिंह :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री जनार्दनन :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर के कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि कम्पनी हर महीने लाखो रुपयों का गोलमाल कर रही है ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि प्रबन्ध निदेशक श्री रामेश्वर टांटिया तथा श्री वजोरिया कम्पनी के प्रबन्ध को अनियमिततायें कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्र से इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिये मांग की है ताकि ये अनियमिततायें न होने पायें ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). शिकायतें होती रही हैं कम्पनी के कार्यों की जांच पड़ताल, जाँच प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है जो उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम की धारा 15 अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं । इस विषय में, जो समुचित कार्यवाही की जायेगी उसको परीक्षा जांच प्राधिकारियों से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर होगी ।

छोटे पैमाने के उद्योगों में 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' की कमी

235. **श्री उमानाथ** : **श्री प० गोपालन** :
श्री अ० क० गोपालन : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील फर्नीचर, रोलिंग राटर आदि का निर्माण करने वाले छोटे पैमाने के बहुत सारे कारखानों के, 'कोल्ड रोल्ड शीटों' की अनुपलब्धता के कारण बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जहां सरकार कोल्ड रोल्ड चद्दरों की उपलब्धि सम्बन्धी एककों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कतों का सरकार को पता है इन एककों के अधिक संख्या में बन्द हो जाने का कोई समाचार नहीं है ।

(ख) इस प्रकार की देश में बनाई जाने वाली चद्दरें इकट्ठे रूप में लघु उद्योग एककों को बांटने के लिये राज्यों के उद्योग निदेशकों को दी जाती है । वास्तविक उपभोक्ताओं को 1969-70 की अयात लाइसेंस नीति के संदर्भ में ऐसी चद्दरों के आयात की अनुमति भी दी जाती है । जहां तक देश में बनाई जाने वाली चद्दरों की सम्बन्ध है छोटे पैमाने के उद्योगों में उनके आवंटन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

बम्बई को मंगलोर से मिलाने के लिए कोंकण रेलवे का निर्माण

236. **श्री उमानाथ** : **श्री नम्बियार** :

श्री अ० क० गोपालन : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कौंकण रेलवे बनाने का है जो बम्बई से मंगलोर को मिलाने तथा गोवा के पार समुद्र के समानान्तर हो ;

(ख) यदि हां, तो काम के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). धन की कमी होने के कारण ऐसे रेल सम्पर्क के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करना अभी सम्भव नहीं है ।

यात्रियों को ले जाने के लिए माल डिब्बों का प्रयोग किया जाना

237. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लाइनों पर यात्रियों को ले जाने के लिए माल डिब्बे प्रयोग किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने माल डिब्बे प्रयोग किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यात्री डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस बुरी प्रथा को कब तक पूर्णतः बन्द किये जाने की संभावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, मेले के दिनों में दक्षिण-मध्य रेलवे के कुरुडुवाडी-पंढ़रपुर छोटी लाइन खण्ड पर केवल तीर्थ यात्रियों की भीड़ की निकासी के लिए ।

(ख) से (घ). कुरुडुवाडी-लातूर और कुरुडुवाडी-मिरज खण्डों पर समान्य संख्या में सवारी गाड़ियों के चालन और अनुरक्षण के लिए छोटी लाइन के सवारी डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं लेकिन पंढ़रपूर में होने वाले 4 प्रमुख मेलों के अवसर पर, जब तीर्थ यात्रियों के भारी यातायात की निकासी के लिए अल्पसंख्या में स्पेशल गाडियां चलायी जाती हैं, उपलब्ध सवारी डिब्बें कम पड़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य डिब्बे अर्थात् बेंच, रोशनी, पायदान आदि से युक्त 30 गाड़ी पाइपयुक्त वाहन और लगभग 150 माल डिब्बे, इस काम पर लगाये जाते हैं । इन माल डिब्बों में दी गयी इन सुविधाओं के अलावा रेल प्रशासन द्वारा अषाढ़ी, कार्तिकी आदि मेलों के सम्बन्ध में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिये विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है । वर्ष में कुल मिलाकर 2 महीने से भी कम अवधि के लिए केवल पंढ़रपुर के मेला यातायात को सम्हालने के लिए लगभग 200 अतिरिक्त सवारी डिब्बे (जो बाकी लगभग 10 महीनों में बेकार रहेंगे) खरीदना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया ।

देहाती क्षेत्रों से अस्पृश्यता का निवारण

238. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहातों में दैनिक व्यावहारिक जीवन में अस्पृश्यता को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ; और

(ख) अछूतों के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिये क्या व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). यह बुराई सदियों से विद्यमान है और इसे बीस या तीस वर्षों उखाड़ा नहीं जा सकता। अलबत्ता, यह प्रथा शहरी क्षेत्रों में बहुत कम हो गई है, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अब भी जारी है। इस समस्या के साथ कानूनी उपायों, प्रचार तथा अनुसूचित जातियों के समाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा निपटाया जा रहा है। चतुर्थ योजना के आधीन इन उपायों का विस्तार किया जा रहा है। दण्ड को बढ़ा कर अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अधिक कारगार बनाने के हेतु इस में संशोधन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

Memorandum by All-Assam Scheduled Castes Association

239. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news item published in the *Assam Tribune* dated the 6th September, 1969 from Gauhati to the effect that the All-Assam Scheduled Castes Association has submitted a memorandum detailing its complaints and demands to the Chief Minister of Assam ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The main, demands, as reported in the paper, are that a special cell should be set up to deal with the land problems of the Scheduled Castes, and that the Scheduled Castes should not suffer in the matter of the grant of post-matric scholarships. The question of setting up a special cell is for the State Government to consider ; as regards the post-matric scholarships scheme, this is under consideration of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Unpaid Charges by Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal

240. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2212 on the 5th August, 1969 and state :

(a) the amount for which the Bhopal Municipal Corporation has put a demand

on the Heavy Electricals (India) Ltd.. Bhopal for the consumprion of water supplied to it ; and

(b) the decision so far taken in regard to the peyment of these dues on the basis of the correspondence held between the Central Government and the Government of Madhya Pradesh ?

The Minister of Innustrial Development. Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Bhopal Municipal Corporation has billed Heavy Electricals (India) Limited for Rs. 47,80,752.31 which sum has been claimed on account of outstanding charges.

(b) The matter is still under consideration in consultation with the State Government.

Manufacture of Small and Cheap Cars

241. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and the names of the Industrialists whose proposals for manufacturing small and cheap cars are under the consideration of Government ;

(b) the details of each proposal, i. e., price of each cars, capital outlay and foreign exchange involved, manufacturing capacity, the time by which manufacture of car would start and the time by which the first car would be available in the market ; and

(c) the time by which Government would take decision in regard to the above proposals ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). A statement giving the required details is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1972/69]

(c) No final decision on these proposals has been taken pending a decision on the general issue as to whether or not the small car project is to be taken up for implementation during the 4th Five Year Plan. A decision on the general issue is expected to be reached early.

Enquiry into licences issued to big Industrialists

242. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the reaction of Government to the recommendations of the Dutt Committee regarding the sudden growth in the capacity and capital of big industrial houses ;

(b) whether Government propose to institute a high level enquiry into those cases wherein applications of some industrialists for licences were repeatedly rejected but were afterwards accepted without any fresh explicit grounds, or wherein licences were issued in a surprising manner within a few days of receiving applications ;

(c) whether Government officers and any political figures were also responsible therefor and, if so, whether any punishment was awarded ;

(d) if so, the nature of punishment awarded and, if none, reasons therefor ; and

(e) what changes are required to be made in the licensing policy ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (e). In the light of the findings of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, Government have already announced their intention to appoint

a Commission of Inquiry under the Commissions of Inqury Act, 1952 to investigate into the instances of irregularities, lapses and improprieties in the grant of industrial licences referred to in the Committee's report. The composition and terms of reference of the proposed Commission of Inquiry would be announced shortly. Further action in respect of these cases would be taken on receipt of the Commission's report. As regards the recommendations of the Committee relating to industrial licensing, these are under examination of the Government and final decisions in this regard would be announced shortly.

Prodution in Industrial Undertakings

243. **Shri Mritunjay Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Central Industrial Undertakings which are producing less and the reasons stated by the various Industrial Undertakings for not being able to produce according to their full capacity ;

(b) the action Government propose to take to improve the situation ; and

(c) the names of industries in the public and private sectors in the case of which licences have been issued for setting up new factories and or increasing the production capacity of old factories during the last three years irrespective of the fact that such industries in the public sector have not been worked to full capacity ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Import of Steel

244. **Shri Mritunjay Prasad :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the quantity, value and types of steel imported from abroad during the last three years ;

(b) the types of imported steel that are not produced in the Hindustan Steel Ltd. or other private units like the Tata Iron and Steel Company and the Indian Iron and Steel Company etc. as also the types of that steel which are produced in these units but their production is not adequate enough to meet the demands ; and

(c) the obstacles being faced in the production of high quality steel in the Hindustan Steel Ltd. and the steps being taken to produce such items on that the import of steel is stopped or reduced to the minimum ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The quantity and value of steel imported from abroad during last three years were as below :

Year	Quantity (Tonnes)	Value (in '000 rupees)
1966-67	447,431	768,331
1967-68	500,298	903,922
1968-69	426,049	719,606

The types of steel imported were mainly those which were either in short supply in the country or were not produced.

(b) At present most of the items of steel are produced in the country but the quantity and quality are not adequate to meet the full demand. Categories of steel which are not produced indigenously include certain specifications of Tool and Alloy Steel, Cold Rolled grain oriented steel sheets for transformers, tinplates for open top sanitary cans, lead bearing free cutting steel and some special qualities of stainless steel.

(c) But for inherent difficulties at the initial stages of operation of the plants and difficulties in getting quality raw materials like ferro alloys and nickel in time, Hindustan Steel Ltd., is not facing obstacles in production of high quality steel. The need for continued import of steel will depend, on the one hand, on the demand for steel in the country, and on the other, on the capacity that can be built up to meet this demand.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपक्रमों को रियायतें

245. **श्री वेदव्रत बरूआ : श्रीमती इला पाल चौधरी :**

श्री के० वि० सिंह : श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपक्रमियों को, यदि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करें, तो रियायतें देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इन में आयकर तथा संबद्ध करों में पांच वर्ष की अवधि के लिए राहत देना शामिल हैं ; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों के रूप में चुना गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन पर कार्यकारी दल (वांचू कार्यकारी दलों ने यह सिफारिश की है कि प्रोत्साहन मुख्य रूप से केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय संस्थाओं, द्वारा दिए जाएं । वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी राज्यों के चुने गये पिछड़े हुए क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु खास रियायतें देने का निश्चय किया गया है । केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के मामले में, सरकार यह समझती है कि कार्यकारी दल द्वारा अधिक विकास के लिए छूट तथा आयकर, सामूहिक कर, आयात तथा निर्यात शुल्क में राहत देने की बजाय हर एक राज्य के जिसे उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ करार दिया गया हैं, चुने हुए दो जिलों तथा अन्य राज्यों के एक-एक जिले में स्थापित किए जाने वाले नए एकक के कुल निर्धारित पूंजी विनियोजन के एक भाग के लिए एक ब्लाक अनुदान अथवा आर्थिक सहायता जैसे प्रोत्साहनों के लिए की गई सिफारिश को स्वीकार किया जाए ।

(ग) उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए जिलों के चयन करने की प्रणाली को खोजा जा रहा है ।

समवाय विधि में परिवर्तन

246. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवायों के निदेशक मंडलों के निर्वाचन को एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराने हेतु समवाय विधि में आवश्यक परिवतन करने के लिये सरकार को जनता के लिये सरकार को जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार के परिवर्तन करने के बारे में जिन का सुझाव दिया गया है किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव है जिससे समवायों पर ऐसे अंशधारियों का नियंत्रण रोका जा सके जिनके पास थोड़े-थोड़े अंश है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). सरकार अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव अथवा निदेश सहित अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

शिव सैनिकों द्वारा रेलवे सम्पत्ति को क्षति

247. **श्री एस० ए० अगाड़ी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 अक्तूबर, 1969 को कल्याण सम्मेलन से बम्बई लौटते समय शिव सैनिकों ने रेलवे सम्पत्ति को जिसमें चाय की दूकानें, घड़ियां तथा विद्युत सूचक शामिल हैं काफी क्षति पहुँचायी थी ; और

(ख) यदि हां, तो शिव सैनिकों द्वारा कितनी क्षति पहुंचायी जाने का अनुमान है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी हां। 12 अक्तूबर 1969 को शिव सेना ने रेल सम्पत्ति को जो क्षति पहुंचाई उसका अनुमान 300 रुपये लगाया गया है। 700 रुपये की निजी सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची। रेलवे पुलिस ने 4 मामले दर्ज किये हैं जिनकी जांच हो रही है।

Increase in production cost of cars

248. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Afiairs** be pleased to state :

(a) the extent of increase in production cost of cars during the last twelve years ;

(b) the main recommendations of the Tariff Commission in regard to their reasonable sale price ; and

(c) the details of decisions taken and measures adopted by Government in view of the recommendations, the results achieved and the future scheme in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The extent of increase in the cost of production during the last twelve years as calculated from the date furnished by the Tariff Commission in their report is :

Ambassador	—	about 39%
Fiat	—	about 79%
Standard	—	about 51%

(b) and (c). The recmmendations of the Tariff Commission contained in their Report (1968) on the fixation of the fair selling prices of automobiles and Government's decisions thereon have been incorporated in a Resolution published in the Gazette of India on 4.10.69. A copy of the Resolution is attached. [*Placed in Library, See* No. LT--1973/69]

Development of Industrially back-ward States

249. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Suraj Bhan : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Sharda Nand : Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Working Group of the Planning Commission has recognised Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Uttar Pradesh as industrially backward States ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Working Group on Identification of Backward Areas has identified 9 States and 4 Union Territories as industrially backward, namely, States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland ; and the Union Territories of Goa, Himachal Pradesh, Manipur Tripura.

(b) The report of the Working Group was recently considered by the Committee of States' Chief Ministers of the National Development Council and the decisions reached at the meeting are now under the active consideration of the Government.

Tenders for Mural Painting on walls of Headquarters Office of Northern Railway

250. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Suraj Bhan : Shri Jagannath Rao : Shri Sharda Nand : Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether tenders were invited for drawing mural paintings on the walls of the Headquarters office of the Northern Railway, New Delhi ;

(b) if so, the names of the applicants and the per square feet rates quoted by each of them for drawing mural paintings ;

(c) the qualifications and experience possessed by each of the applicants in the field of mural paintings ;

(d) the name of the person to whom the work was ultimately assigned and the grounds on which it was given to him and not to others ; and

(e) whether it is a fact that the rates offered by the person to whom the work was given were higher than others and he is also a brother of a Union Minister ?

The Minister of Law, Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Limited tenders in the form of quotations were invited from some reputed sculptors well known in this field.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1974/69]

(c) As per annexure 'A' attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1974/69]

(d) Shri S Gujral. The work was allotted to him on the basis of his previous experience, ability and his international reputation.

(e) The rate of Shri S. Gujral was higher than the rate quoted by Shrimati Damayanti Chawla as mentioned in para 2 of reply to question (b) above. Shri S. Gujral is brother of a Union Minister but his brother became a minister in March '67 whereas the tenders were accepted in March '64.

Complaints against Officials of Ministry of Industrial Development

251: **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Sharda Nand : Shri Suraj Bhan : Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the *'Organiser'* (Delhi) in its issue dated the 23rd August, 1969 in which charges were levelled against Sh. K. D. N. Singh, Joint Secretary, Shri Kalelkar, Director General, Technical Development and Shri Wanchoo, Secretary in his Ministry and against M/s. Asian Cables ;

(b) if so, the details of the charges : and

(c) the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Ministers of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). A reference is invited to my statement in the House on 22nd August. 1969 in reply to a "Calling Attention Notice" regarding a letter reported to have been written by Shri B. D. Kalelkar to the General Manager of Asian Cables Ltd., Bombay.

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति

252. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री गणेश घोष : श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री भगवान दास : श्री राम मूर्ति : श्री वि० के० मोडक : श्री के० रमानी :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में परियोजना निर्माण कार्य के पांच वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी आधार पर काम कर रहे तकनीकी प्रमाणपत्र धारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार अनुभवी व्यक्तियों की वरीयता देने के बारे में विचार करेगी और और कुल कितने कर्मचारियों को अब तक स्थायी पद दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों की इच्छा अनुभवी तकनीकी प्रमाणपत्रधारियों को जो पहले से अस्थायी सूची में वरीयता देने की बजाय बाहर से नए डिप्लोमाधारियों को भर्ती करने की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र) : (क) कोई नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने सितम्बर, 1964 से ही काम करना शुरू किया था।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० अनुभवी तथा विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को आवश्यक वरीयता देती है। लेकिन चूंकि कम्पनी में नियुक्तियां निश्चित समय के लिए की जाती है और स्थायी आधार पर नहीं की जाती है अतः साधारण स्थायी पद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। कम्पनी ने आठ स्नातक इंजीनियरों, पैंतालीस डिप्लोमाधारियों और चार क्राफ्टसमैन का प्रमाण पत्र रखने वालों को ठेके के आधार पर रेगुलर ग्रेड में रहा है।

(ग) और (घ). जी हां। यद्यपि कम्पनी मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को वरीयता देती है, तथापि डिप्लोमाधारियों को तकनीकी प्रमाणपत्रधारियों के मुकाबले में सदा प्राथमिकता दी जाती है जब तक कि तकनीकी प्रमाणपत्रधारी के पास विशेष निपुणता और लम्बा अनुभव न हो।

अपंग तथा असमर्थ लोगों को रेल की रियायतें

253. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंग तथा असमर्थ लोगों को अपने इलाज के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये रेल की अधिक रियायतें देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों का निर्माण

254. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर अधिक विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि गांधी शताब्दी समारोह के कारण शेष वर्ष में अपेक्षित पर्यटकों के बढ़ते हुए यातायात के लिये व्यवस्था की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Conference of All India Station Masters' Association held in Jaipur

255. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the demands made at the 16th Conference of the All India Station Masters' Association held in Jaipur in August for redressing the grievances of the Station Masters ;

(b) if so, the difficulties being experienced by Government in giving recognition to the categorical Unions of this Association of the Station Masters ; and

(c) if not, the time when the All India Station Masterss' Association is going to be recognised ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) It is understood that the All India Station Masters' Association held their 16th Annual Conference held at Jaipur on 23rd and 24th August, 1969 and passed certain resolutions.

(b) and (c). It is not the policy of the Government to recognise category-wise Associations of Railways and as such the All India Station Masters' Association is not eligible for recognition.

इस्पात का उत्पादन

256. **श्री महेन्द्र माझी :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री धो० ना० देब :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1969 के अन्त तक देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग और इसके उत्पादन में कितना अन्तर है ; और

(ग) क्या उद्योगों ने यह अनुभव किया है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में इस्पात उपलब्ध नहीं रहा है जिससे देश में औद्योगिक उत्पादन की गति मन्द रही है ?

इस्पात तथ भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अप्रैल-सितम्बर 1969 की अवधि में कुल उत्पादन घरेलू मांग तथा विभिन्न प्रक.र के इस्पात के निर्यात की मांग पूरी करने के पश्चात् उपलब्धि दिखाई गई है।

विवरण

अप्रैल, 1969—सितम्बर, 1969 के लिए इस्पात का उत्पादन तथा मांग

(हजार टनों में)

उत्पाद	मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादन	निर्यात	देशीय उपभोक्ताओं के लिए बनी हुई राशि	अनुमानित मांग अप्रैल-सितम्बर 1969	मांग तथा उपलब्धि में अन्तर
विक्रेय अर्द्ध तैयार इस्पात	473	24	449	1042	(−) 105
छड़ तथा संरचनात्मक	821	333	488		
रेल की पटरी तथा रेलवे के दूसरे सामान	249	69	180	183	(+) 3
प्लेट, गर्म बेलित चादरें/स्ट्रिप्स	338	2	336	443	(−) 107
ठंडी बेलित चादरें/स्ट्रिप्स	58	—	58	266	(−) 208
जस्ती चादरें	101	—	101	112	(−) 11
स्कैल्प	122	—	122	118	(+) 4
विद्युत चादरें	20	—	20	24	(−) 4
कुल विक्रेय	2182	428	1754	2188	.

(ग) जी हां, उद्योग इस्पात की अपर्याप्त आपूर्ति का अनुभव कर रहे हैं।

कलकत्ता की वृत्ताकार रेलवे परियोजना

257. **श्री समर गुह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री परिमल घोष के त्याग पत्र का कलकत्ता की वृत्ताकार रेलवे परियोजना पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की देखभाल कौन करेगा ; और

(ग) इस परियोजना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : जी नहीं।

(ख) रेल मन्त्रालय दमदम से प्रिंसेप घाट तक प्रस्तावित उपनगरीय विसर्जन लाइन के निर्माण-कार्य का उत्तरदायित्व वहन करता रहेगा।

(ग) दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय विसर्जन लाईन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का क्षेत्र-कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे) के अधीन कलकत्ते में संगठित महानगरीय रेल परिवहन संगठन द्वारा शुरू कर दिया गया है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

259. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे में वर्ष 1968 से अब तक कितने नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गई है ;

(ख) उनकी छंटनी के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक नैमित्तिक श्रमिक को कितना धन चुकाया गया है और यह किस आधार पर चुकाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि कई नैमित्तिक श्रमिकों ने तब तक मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया है जब तक कि उनकी देय बकाया राशि उसके साथ नहीं चुकाई जाती ; और

(ङ) यह बकाया राशि कब से देय है और बकाया राशि न चुकाने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

260. **श्री देवेन सेन** :
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे पर कितना खर्च आने का अनुमान है और इस व्यय को कौन वहन करेगा ;

(ख) इस योजना की योजना बनाने तथा क्रियान्विति (निर्माण) के लिए क्या व्यवस्था होगी ;

(ग) राज्य सरकार इस योजना से किस प्रकार सम्बद्ध होगी ; और

(ख) क्या वह प्रस्तावित द्रुत यातायात व्यवस्था परियोजना पर, जो भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर निर्मित की जायेगी, प्रकाश डालेंगे ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय विसर्जन लाइन की लागत का अनुमान रेलवे द्वारा अभी तक नहीं लगाया गया है ; अभी तक यह निश्चय नहीं किया गया है कि इसकी लागत को कौन वहन करेगा।

(ख) रेलवे द्वारा कलकत्ता में महानगरीय रेल परिवहन संगठन की स्थापना की गई है। दमदम से प्रिंसेपघाट तक उपनगरीय विसर्जन लाइन की आयोजना और निर्माण के लिए यह संगठन जिम्मेदार होगा।

(ग) राज्य सरकार से एक अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है जो महानगरीय रेल परिवहन प्रायोजनाओं से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा, कलकत्ता महानगरीय आयोजना संगठन (सी० एम० पी० ओ०) और कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि जैसे राज्य सरकार के संबंधित विभागों और संगठनों से लगातार संपर्क भी रखा जाता है।

(घ) कलकत्ता नगर में 'व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली' के लिए 'तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन' किये जा रहे हैं। यह कार्य कलकत्ता में रेलवे द्वारा स्थापित महानगरीय परिवहन प्रायोजना संगठन द्वारा किया जा रहा है।

कंपनियों में लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन का विस्तार

261. **श्री देवेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन बढ़ाने के बारे में कंपनियों से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है ;

(ख) जिन कंपनियों में उत्पादन बढ़ी हुई उत्पादिता तथा क्षमता के कारण नहीं अपितु आयातित कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग के कारण बढ़ा है इन कंपनियों के मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विभिन्न लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों को जारी किये गये नोटिसों में उनसे कहा गया है कि निर्धारित क्षमता से उनके उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई वे इसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें इनमें से कुछ उपक्रमों से स्पष्टीकरणात्मक उत्तर प्राप्त हो गये हैं और अन्य उपक्रमों के उत्तर मिलने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर जिसमें विभिन्न वर्गों के औद्योगिक उपक्रमों जिन्होंने निर्धारित क्षमता को बढ़ा दिया है के मामले में कार्रवाई करना भी शामिल है, सरकार विचार कर रही है।

Supply of Copies of Railway Time Table, Railway Manual to T.T.E.'s on Western Railway

262. **Shri Onkar Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) whether the Railway Time Table, Railway Manual and other essential material

required by T.T.E.'s for discharging their duties, are issued to them on the Western Railway and, if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that Government do not provide any security for the material carried by the T.T.E 's with them in the trains ;

(c) whether Government are of the view that such security should be provided ;

(d) whether Government have also received complaints to the effect that the running room facility is not provided to the T.T.E.'s as in the case of Drivers or Guards owing to which the T.T.E.'s have to face great difficulty : and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove these difficulties ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Time Tables are not supplied to T.T.E.'s on Western Railway. They are, however, supplied with manuals and other equipment essential for the performance of their duties.

(b) and (c). No security arrangements are considered necessary as the materials are carried by the staff on their persons and can be looked after by them.

(d) and (e). Some complaints about non-availability of running room facility have been received.

T.T.E.'s are not entitled, as a rule, a running room facilities which are provided for running staff like Drivers and Guards. However, they are allowed to avail of these facilities, wherever available.

स्कूटरों का निर्माण

263. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयावन :**
श्री हिम्मत सिंहका : **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री रा० बरुआ : **श्री अविचन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्कूटरों के निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन थे उन पर निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है ;

(ग) अन्य प्रस्तावों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्वीकृत प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और संबंधित पार्टी द्वारा बनाये जाने वाले स्कूटर की सड़क पर लागत क्या होगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). देश में स्कूटरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस देने के प्रश्न पर सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्कूटर निर्माण करने की परियोजना को सरकारी क्षेत्र में ही रखना अधिक अच्छा होगा।

तदनुसार सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जो सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के निर्माण के लिए उपयुक्त डिजायन एवं कार्यक्रम तैयार करेगी और सलाह देगी।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि यदि कोई प्राइवेट पार्टी पूर्णरूपेण देश में ही उपलब्ध जानकारी तथा सामान से स्कूटर बनाने को तुरन्त तैयार है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अनुसार सरकार ने एक सरकारी सूचना जारी करके 31-1-1970 तक ऐसे इच्छुक उद्यमियों से आवेदन पत्र मांगे हैं जो बिना किसी विदेशी सहयोग के पूर्णरूपेण देश में ही उपलब्ध जानकारी तथा सामान से स्कूटरों का उत्पादन करने को तैयार हैं।

इस निर्णयानुसार स्कूटर बनाने के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्र जो सरकार के पास विचाराधीन है और जिनमें विदेशी सहयोग विहित है रद्द किये जा रहे हैं।

सरल दण्ड प्रक्रिया संहिता

264. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री पी० सी अदिचन :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट दी है जिसमें न्यायक की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए एक नई और सरल दण्ड प्रक्रिया संहिता का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की परीक्षा कर ली है ; और

(घ) उस पर अन्तिम विनिश्चय कब तक किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट मुद्राणाधीन है और निकट भविष्य में सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). इस मामले पर यथासंभवशीघ्र विचार किया जाएगा।

राज्यों में मद्यनिषेध

265. **श्री नि० रं लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी मद्य निषेध नीति पर पुनर्विचार किया है और उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों ने भी केन्द्रीय सरकार को इस बात की सूचना दी है कि उन्होंने अपनी अपनी मद्यनिषेध नीति पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो मद्यनिषेध नोति के प्रति अधिकतर राज्यों के विरोध को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार अपनी मद्यनिषेध नीति को वापिस लेने का विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने अब तक कोई सरकारी सूचना नहीं भेजी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) नहीं श्रीमान् ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार संविधान के आदेशात्मक सिद्धान्तों पर दृढ़ रहना चाहती है ।

ईरान में रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन

266. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री वेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विशेषज्ञों ने ईरान में रेल-डिब्बे बनाने वाला कारखाना लगाने के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ईरान में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना लगाने के लिए भारत द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ; और

(ग) क्या भारत द्वारा कोई वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और यदि हां, तो कितनी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) परियोजना रिपोर्ट स्वयं ईरानियों द्वारा तैयार की गई थी और कारखाना लगाने के सम्बन्ध में भारतीय विशेषज्ञों को उसका अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । यह किया जा चुका है ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार हो रहा है ।

भोपाल स्थित हैवी इलक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

267. श्री ए० श्रीधरण : श्री लखन लाल कपूर :
श्री क० लकप्पा :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने 24 सितम्बर, 1969 को एक सांकेतिक हड़ताल की थी ?

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारी 15 दिसम्बर, 1969 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर थे ।

(ग) और (ग). कर्मचारियों द्वारा अनेक कठिनाईयाँ बतलाई गई थी । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मामले पर प्रबन्ध समिति तथा यूनियन के प्रतिनिधियों की कई बैठकों में विचार विमर्श हुआ । जिसके परिणामस्वरूप विचारार्थ अधिकांश मामलों पर समझौता किया गया है ।

भागलकोट सीमेंट लिमिटेट, मैसूर

264. श्री ए० श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्षों में मैसूर राज्य के भागलकोट सीमेंट लिमिटेड के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई ; और

(ग) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों के मध्य, भागलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, मैसूर के कार्यकरण का ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, 23 सितम्बर, 1966 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत इस कम्पनी के कार्यों की जांच पड़ताल के आदेश दिये गये थे । यह जांच-रिपोर्ट, सरकार को नवम्बर, 1966 में में प्राप्त हुई, जिसमें साथ-साथ कम्पनी की सेवा तथा सामान सहित बहुत सी चीजों की सूची थी, जो, कथिक भागल

कोट सीमेंट कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता के पद पर कार्य करने वाले, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, डा० ए० जी० तेन्दुलकर के व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जा रही थी । उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388 ख तथा 388 घ के अन्तर्गत, कथित व्ययवर्तन के उत्तरदायी कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध, अप्रैल, 1967 में बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई थी । इस याचिका को 6 अक्तूबर, 1969 को, न्यायालय में सुनवाई हुई, तथा इस स्तर पर डा० ए० जी० तेन्दुलकर ने न्यायालय में यह लिखते हुये एक बचन दिया कि 6 अक्तूबर 1969 से, 5 वर्ष के लिये वह भागलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड का निदेशक नहीं होगा तथा साथ ही, उसी तिथि से वह किसी अन्य कंपनी में भी 2 वर्ष तक निदेशक का पद ग्रहण नहीं करेगा । न्यायालय ने यह बचन अभिलेखित कर मामले का निपटान कर दिया ।

यह भी निर्दिष्ट किया जाय, कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार ने, 3 दिसम्बर, 1966 से, कंपनी के निदेशक मंडल में 2 वर्ष की अवधि के लिये, दो निदेशकों को नियुक्त भी कर दी थी । उनकी अवधि 3 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हो गई । इसके पश्चात, पुनर्नियुक्ति अथवा नवीन नियुक्ति नहीं की गई ।

राज्यों में मद्यनिषेध

269. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन राज्यों ने अपने राज्यों में मद्यनिषेध लागू करना मान लिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने शेष राज्यों में भी मद्यनिषेध लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत की है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के उन क्षेत्रों में जिन में पहले मद्यनिषेध लागू था कुछ समय पश्चात् मद्यपान पुनः आरम्भ कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा०)(श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र तथा तामिल नाडु राज्यों में मद्यनिषेध पहले से ही लागू है । उनके अतिरिक्त हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार मद्यनिषेध को जारी करने के आशय की सूचना दी है ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) मद्यनिषेध को समाप्त करने के लिए कुछ राज्यों ने साधारणतया ये कारण बताएं कि वे आवकारी राजस्व में हानि को दूर करना तथा निषिद्ध शराब-निर्माण को रोकना चाहते हैं ।

स्लैग सीमेंट बनाना

271. श्री एस० एम० कृष्ण : श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भद्रावती आयरन फैक्ट्री से स्लैग सीमेंट बनाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कारखाने को जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, लाइसेंस दिये जाने से इंकार कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि साहू जैन को स्लैग सीमेंट बनाने के लिए उक्त लाइसेंस दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । 13 मई 1966 से सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंसों देने संबंधी उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है तथा इसलिये कोई भी देश के किसी भी भाग में केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिये बिना ही सीमेंट उत्पादन क्षमता को स्थापना कर सकता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स गोदरेज वोयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई

273. श्री क० लकप्पा : श्री एस० ए० कृष्ण :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदरेज वोयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी ने 31 अगस्त, 1969 तक सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों से पृथक कितना-कितना ऋण लिया था ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी ; और

(घ) उक्त अवधि में कम्पनी के कार्यसंचालन का ब्यौरा क्या है और 1969-70 के लिए कम्पनी के प्राक्कलन क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स गोदरेज बोयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के निगमन के समय इसकी अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी क्रमश: 8,00,000 रुपये तथा 4,000 रु० थी। 31 दिसम्बर 1968 को वर्ष समाप्ति के नवीनतम वार्षिक लेखे के आधार पर अधिकृत पूंजी 1,46,00,000 रुपयों तथा प्रदत्त पूंजी 94,50,000 रुपयों की हो गई।

(ख) चूंकि यह कंपनी इतने पहले, अर्थात, 3 मार्च, 1932 को पंजीकृत हुई थी, अतः इस कम्पनी का संपूर्ण अवधि के मध्य, विभिन्न प्रसाधनों से प्राप्त कुल ऋणों की बाबत सूचना देना संभव नहीं है। तथापि 31 दिसम्बर, 1968 तक शेष ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित है -

प्रतिभूमि ऋण	रुपये
शेष ऋण लेखे में बैंकों से	3,55,51,669
अन्य ऋण	31,63,978
योग	3,87,15,647

प्रतिभूति रहित ऋण	रुपये
इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	10,07,202
निदेशकों द्वारा गारन्टी, दिये गये अन्य ऋण	1,21,93,740
सावधि निक्षेप	98 27,470
ब्याज उपार्जन	2,74,536
योग	2,33 02,948

(ग) कंपनी द्वारा, गत प्रत्येक तीन वर्षों के मध्य, जिनके नवीनतम लेखे उपलब्ध हैं, दी गई ब्याज के ब्यौरे निम्नलिखित है :-

वर्ष समाप्ति के मध्य दिया गया	रुपये
31 दिसम्बर, 1966	30,57,415
31 दिसम्बर, 1967	36,53,238
31 दिसम्बर, 1968	43,13,510
योग	1,10,54,193

(घ) कम्पनी के गत तीन वर्षों के कार्य संचालन की बाबत ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(आंकड़े '000 रुपयों में)

	31-12-66	31-12-67	31-12-68
बिक्री	13,18,18	12,9`,61	15,29,68
करों से पहले लाभ	1,70,06	1,38,11	1,25,01
करों के पश्चात लाभ	59,06	54,11	45,10
लाभांश घोषित किये गये	10%	10%	10%

1969 के वर्ष के प्राक्कलन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

अधिक सीमेंट फैक्टरियां लगाना

274. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रो के वर्ष 1969-70 में और कितनी सीमेंट फैक्टरियाँ खोलने का विचार है ;

(ख) क्या भारतीय सीमेंट निगम से अपने नवीनतम प्रतिवेदन में चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ग) देश में सीमेंट के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1969-70 में निम्नलिखित अन्य फैक्टरियां स्थापित होने वाली है :

स्थापना स्थल	क्षमता मी० टनों में	नवीन या विस्तार	सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र
1	2	3	4
कसूर (तामिल नाडु)	200,000	नवीन	गैर-सरकारी
विजयवाडा (आं०प्र०)	100,000	विस्तार	गैर-सरकारी
फरबासा स्लैग सीमेंट (बिहार)	350,000		गैर-सरकारी
श्री विल्लीपुथुर (तामिलनाडु)	400,000	नवीन	सरकारी
डल्ला (उ०प्र०)	400 000	नवीन	सरकारी
शंभू नगर (तामिलनाडु)	200,000	नवीन	गैर-सरकारी
मन्ढर (म०प्र०)	200,000	नवीन	सरकारी
उदयपुर (राजस्थान)	200,000	नवीन	गैर-सरकारी

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊपर बताई गई फैक्टरियों के अतिरिक्त सीमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि० की कुरकुन्टा (मैसूर) बोकाजन (ग्रासाम) तथा पीन्टा (हिमाचल प्रदेश) में 20,00,000 मी० टन वार्षिक क्षमता की सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

बाहरी मुद्रणालयों को मुद्रण का काम देना

275. **डा० प० मंडल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय कुछ पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के मुद्रण कार्य को सामान्य मुद्रणालयों को न दे कर केवल कुछ चुने हुए मुद्रणालयों को देता है ;

(ख) क्या इस कारण कुछ असंतोष पाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी परिपाटी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) विधि मंत्रालय अपनी दो हिन्दी पत्रिकाओं अर्थात् उच्चतम न्यायालय विधि पत्रिका और उच्च न्यायालय विधि पत्रिका, की मुद्रण व्यवस्था के विषय में, निर्माण, आवास और नगर विकास की सलाह प कार्य करता है, जो सरकारी प्रकाशनों के मुद्रण की व्यवस्था करता है ।

(ख) किसी मुद्रणालय से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टंगस्टन के लिए आयात लाइसेंस

276. **डा० प० मंडल** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टंगस्टन फिलामेंट के लिए आयात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का कड़ाई से पालन किया गया है ;

(ख) बिजली के बल्बों के निर्माण में काम आने वाले उक्त फिलामेंट के आयात के लाइसेंस किन-किन लोगों अथवा फर्मों के पास हैं तथा (एक) कितनी राशि के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ; (दो) किन-किन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं और (तीन) कच्चे माल के उपयोग के बारे में लोगों अथवा फर्मों की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) किन-किन फर्मों और लोगों को उनकी क्षमता से अधिक के लाइसेंस दिये गये हैं और जो इसका अपने कारखाने में उपयोग करने के स्थान पर प्राय: इसे अन्य लोगों को बेच देते हैं ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित विद्युत लैम्पों के निर्माता

टंगस्टेन फिलामेंट्स को कच्चे माल तथा पुर्जों के लिये जारी किये गये लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्मित पुर्जे के रूप में आयात कर सकते हैं । लघु उद्योग क्षेत्र के लैम्पों के निर्माताओं को भी इसी प्रकार करने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) (1) आयात अनुज्ञापन में टंगस्टन फिलामेंट के आयात की कोई राशि का उल्लेख नहीं किया जाता है ।

(2) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित विद्युत लैम्पों के निर्माताओं की सूची संलग्न है । । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1975/69] ।

(3) चूंकि प्रत्येक लैम्प में एक ही फिलामेंट लगता है, उन कुछ मामलों को छोड़ कर जहां खराब होने की स्थिति में दो फिलामेंट लगते हैं, अतः व्यवहारिक रूप से प्रयोग की क्षमता लैम्पों के उत्पादन के तुल्य ही होगी ।

(ग) आयात अनुज्ञापनों में फिलामेंट के आयात की राशि निर्धारित नहीं की जाती है । चूंकि तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में सम्मिलित सभी लैम्प निर्माताओं को अपनी पूरी आवश्यकता के लिये फिलामेंट आयात करने की सुविधा है अतः इसके दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन

277. **श्री अविचन :**
श्री देवेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास, विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पिछले अनेक वर्षों में लाइसेंस देने की नीति का अनुपालन करते हुए जो त्रुटियां पाई गई हैं, उनको दूर करने के लिये पिछले अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार कुछ समय से लाइसेंस देने की नीति में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस देने की नीति में क्या परिवर्तन किये जायेंगे ; और

(ग) इस मामले में नवीनतम निर्णय क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों तथा चतुर्थ योजना प्रारूप प्रलेख में की गई योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ परिवर्तन और संशोधन करने की सोच रही है । ज्यों ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा, घोषणा कर दी जाएगी ।

दिल्ली में लघु उद्योगों को ऋण

278. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने लगभग 250 लघु उद्योगों को ऋण के रूप में 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने संबंधी दिल्ली प्रशासन की योजना को स्वीकार कर लिया है।

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना से किस वर्ग के उद्योगों को लाभ होगा तथा ऋण किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, उनकी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने कितने लघु उद्योगों को सहायता देने का प्रस्ताव है और प्रत्येक राज्य को कितने धन की आवश्यकता है ; और

(ङ) इन योजनानों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिल्ली प्रशासन की विशिष्ट योजना को हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। फिर भी दिल्ली प्रशासन उद्योगों में राजकीय सहायता अधिनियम 1952-53 के अन्तर्गत लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता रहा है।

(ग) से (ङ). लघु उद्योग एककों को ऋण प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं।

स्कूटरों की मांग

279. **श्रीमती इला पालचौधरी :**   **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री महाराज सिंह भारती :   **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में स्कूटरों के आयात उत्पादन के मुकाबले बढ़ती हुई मांग तथा ऊंचे मूल्यों, जिन पर उनको बेचा जा रहा है, की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी वर्तमान वार्षिक उत्पादन तथा बिक्री के बारे में पता लगाने के लिए कोई प्रयास किये गये है ; और

(ग) स्कूटरों की मांग को पूरा करने तथा उनके मूल्यों को उचित स्तर तक कम करने के हेतु उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ;

ख) सरकार देश में स्कूटर के वार्षिक उत्पादन तथा बिक्री से विज्ञ है ।

(ग) देशी डिजाइन के स्कूटर के उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एक एकक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय किया गया है । इस निर्णय के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना की गई है जो इसे तैयार करेगी और सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन के लिये सरकार को उचित डिजाइन और कार्यक्रम की सलाह देगी ।

सरकार ने निश्चय किया है कि यदि कोई गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टी पूर्णतः देशी जानकारी तथा माल से स्कूटरों का शीघ्र ही उत्पादन करने को तैयार है तो उसे उत्पादन की अनुमति दी जायेगी । तदनुसार एक विज्ञप्ति रुचि रखने वाले, उद्यमियों से जो पूर्णतः देशी जानकारी तथा माल से तथा बिना विदेशी सहयोग से स्कूटरों का उत्पादन करने में रुचि रखते हैं ऐसे उद्यमियों के लिए तदनुसार एक विज्ञप्ति जारी की गई है तथा वे इस हेतु 31 जनवरी, 1970 तक आवेदन पत्र मांगे गये हैं ।

नेत्रहीनों के अधिकारों के संरक्षक के लिए विधान

280. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेत्रहीनों के कल्याण की विश्व परिषद् द्वारा विश्व के सभी राष्ट्रों को की गई अपील की ओर दिलाया गया है, जो उसने दिल्ली में 17 अक्तूबर, 1969 को समाप्त हुए उसके दस दिवसीय अधिवेशन से एक दिन पूर्व की गई थी और जिस में यह कहा गया था कि नेत्रहीनों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए विधान बनाया जाये तथा उनको निःशुल्क शिक्षा, पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने तथा उनकी असमर्थता के कारण हुए व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिकरात्मक भत्ता देने, तथा उनको, जो अशक्यता अथवा अधिक आयु होने के कारण कोई कार्य नहीं कर सकते, निर्वाह भत्ता दिया जाये, ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस अपील पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नेत्रहीनों के लिए कल्याण की विश्व परिषद् के चौथे साधारण सम्मेलन द्वारा इस बारे में अंगीकार किए गए संकल्प का सरकार को पता है, यद्यपि अब तक यह सरकारी रूप से परिषद् के सचिवालय से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) इन सेवाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और औपचारिक रूप से परिषद् के सचिवालय से संकल्प के प्राप्त होने पर उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया जाएगा । भारत सरकार द्वारा प्रशासित नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून अलबत्ता मुफ्त शिक्षा, खाना तथा कपड़े देता है ।

सूडान में रेलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता

281. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार रेलों के आधुनिकीकरण के लिए सूडान सरकार को पर्याप्त सहायता देने के लिए हाल में सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई करार किया गया है ; और

(ग) उपरोक्त सहायता किन शर्तों तथा किस ढंग से दी जायेगी ?

विधी तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठता।

भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची में प्रोत्साहन योजना

282. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री के० एम० अब्राहम :

श्री नम्बियार :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में कोई प्रोत्साहन योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह योजना सम्पूर्ण कारखाने में लागू है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना किन-किन विभागों में लागू है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). भारी इन्जीनियरी निगम में अभी तक कोई व्यापक प्रोत्साहन योजना लागू नहीं की गई है : लेकिन ढ़लाई-गढ़ाई कारखाने के निम्नलिखित चार एकाकों में तदर्थ प्रोत्साहन योजनायें शुरू की गई है :—

(i) सलेटी लोहा तथा अलौह ढ़लाई कारखाना

(ii) इस्पात ढ़लाई कारखाना

(iii) सवारक कारखाना तथा

(iv) प्रतिरूपक कारखाना

ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं

Training to Employees for Diesel Engine Driving

283. **Shri Ram Charan :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether all those employees who were sent to undergo training for diesel engine driving during the period from 1961 to April, 1966 were Matriculates or possessed educational qualifications equivalent to Matriculation ;

(b) whether their certificates or copies thereof were obtained from them at the time of receiving their applications ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). As explained at length in the reply given to Unstarred Question No. 54 on 18-2-1969 (and Unstarred No. 386 on 22-7-1969), the deployment of staff, who did not possess the qualification of matriculation, on the diesel side is permissible. Therefore, of those who were sent for training during the period in question, some may have been Matriculates and others not.

Training of W. D. M. I and II

284. **Shri Ram Charan : Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2228 on the 26th November, 1968 and state :

(a) whether he had stated while replying to part (a) of the said question that no illiterate person was sent to undergo training of W. D. M. I and II without taking his interview ;

(b) whether it is a fact that 8 persons were sent for training before the 26th November, 1968 and some persons were sent for training on the 20th March, 1969 also by the Moradabad Division, without taking their interview even though they were illiterate ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मद्रास से अराकोनम तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

285. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से अराकोनम तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह कार्य कब तक हो जायेगा ; और

(ग) यदि कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). मद्रास-अरकोणम खण्ड के विद्युतीकरण की लागत एवं लाभों के संबंध में आर्थिक अध्ययन शुरू किया जा रहा है। इस योजना के आर्थिक अध्ययन के परिणामों एवं वित्तीय औचित्य तथा धन एवं विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

286. **श्री लोबो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि वर्ष 196‾-6° में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की 75 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त थी, अतः उस वर्ष में 39 करोड़ रुपये के मूल्य के मशीनी औजारों का जो आयात किया गया था, उसके उत्पादन के लिए इस अप्रयक्त क्षमता का प्रयोग करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए थे ;

(ख) क्या ये कारखाने इन मशीनी औजारों का निर्माण नहीं कर सकते थे अथवा वे उन छोटे गैर-सरकारी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लग गए थे, जो कि प्रारम्भिक किस्म के औजार बना रहे थे ;

(ग) घड़ी निर्माण से हुए लाभ को घटाकर वर्ष 1967-68 में मशीनी औजारों के निर्माण में हानि लगभग 2 करोड़ रुपये थी और क्या गत वर्षों में हुए बड़े लाभ को देखते हुए इसके कारणों का पता लगाया गया था ;

(घ) आधे करोड़ रुपये के मूल्य कभी वस्तुओं के निर्यात के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी गई थी और क्या राशि कारखाने की वार्षिक हानि में दिखाई गई है ; और

(ङ) इन कारखानों में ट्रैक्टर आदि चीजों का निर्माण करने से कितने मूल्य के उपकरण अप्रयुक्त हो जायेगें ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). विगत दो या तीन वर्षों में इन्जीनियरी उद्योगों में क्षमता के कम प्रयोग से उत्पन्न सामान्य समस्या के फलस्वरूप मशीनी औजारों की मांग में गहरी कमी होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के उत्पादों की कुल खरीद सन्तोषजनक नहीं रही है। फलतः कंपनी में मशीनी औजारों का बड़ा स्टाक रखा है। स्टाक के आगे के जमाव को रोकने के लिये कम्पनी को 1967-68 में अपने उत्पादन को अपना क्षमता के 42 प्रतिशत तक सीमित रखना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष 58 प्रतिशति क्षमता अप्रयुक्त रही। घड़ियों के एकक द्वारा अर्जित लाभ को अगर न गिना जाये तो कम्पनी को 1967-68 में 182.8 लाख रुपये की हानि हुई है।

कई नये नमूनों जिन्हें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स विगत 5 वर्षों में जारी करने का प्रयत्न कर रहा था के अतिरिक्त देश द्वारा आयातित मशीनी औजारों में विशिष्ट प्रकार के मशीनी औजार (जैसे हैवी ड्यूटी के औजार जिनका निर्माण अभी देश में नहीं हो रहा है और जिसके लिये अभी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स स म नहीं है) हैवी ड्यूटी प्रेसें और अनय धातु ढालने की मशीनें (हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा आगामो पांच वर्षों में जिनका सीमित रूप से निर्माण सम्भव है) गियर काटने की मशीनें लैंपिंग मशीनें अत्यन्त विशिष्टता प्राप्त धातु निर्माण की मशीनें जैसे एक स्ट्रूजन प्रेसें, फोर्ज प्रेसें अत्यधिक तथा अधिक ड्यूटी) इत्यादि सम्मिलित हैं। आयात में विशिष्टता प्राप्त फाउन्ड्री तथा फोर्ज उपकरण वेल्डिंग उपकरण और कई प्रकार के पुर्जे और देश में धातु का काम करने वाले तथा मशीनी औजार उद्योगों द्वारा आयातित सहायक पुर्जे भी सम्मिलित हैं। इन सभी वस्तुओं का उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है क्योंकि इनके आकार प्रकार

बहुत हैं और इनकी आवश्यकता सीमित मात्रा में होती है। यह भी बताया गया है कि पूर्व इसके कि किसी पेचीदा नमूने की नई प्रकार की मशीन जैसे जिग तथा औजार आदि के तैयार करने में ही इसे 5 वर्ष लग जाते हैं का शत प्रतिशत देशीय उत्पादन किया जाये।

फिर भी 1964 से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने कई नई प्रकार की विभिन्न जटिल मशीनों जैसे ट्यूरेट लेथे, बहुत कुआ आटोमेटिक्स, एक तकुआ आटोमेटिक्स, हैवीड्यूटी सर्फेस ग्राइन्डर्स, गियर शेपर्स, गियर हार्बिंग, हैवी ड्यूटी लेथें, पूर्ण विद्युत मिलिंग मशीनें, कापिइंग लेथें, आड़ी किद्रण मशीनें तथा हैवी ड्यूटी प्रेसें इत्यादि के उत्पादन को हाथ में लिया है।

जहां तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लाईट ड्यूटी मशीनों औजारों जो कि लघु उद्योग एककों द्वारा भी निर्मित किये जा रहे हैं का संबंध है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कुछ लाईट ड्यूटी की मशीनों का विकास किया है जैसे एल०वी०एस० लेथें, एम 1 ही०आर० और जी० 9 गोलाकार पिसाई की मशीनें इत्यादि मुख्य रूप में निर्यात किये हैं। एल०वी०एस० लेथें का नमूने का विकास तथा उत्पादन श्रीलंका से इकट्ठा क्रयादेश प्राप्त होने पर किया गया था और एम 1 ही०आर० ट्यूरेट मिल का उत्पादन अमरीका के लिये किया गया था। जी० 9 गोलाकार पिसाई की मशीन का विकास देश में फ्यूल आयल इन्जेक्शन उपकरण उद्योग के लिये जिसे इसकी अधिक आवश्यकता थी, के लिये किया गया था। यह लाईट ड्यूटी मशीनें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कुल उत्पादन के प्रतिशत का अत्यल्पांश है कोई 1 प्रतिशत से कुछ अधिक।

(घ) 1967-68 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 2.3 लाख रुपये का निर्यात उप-दान मांगा है और इसे उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में सम्मिलित किया गया है।

(ङ) अन्य वस्तुओं जैसे ट्रैक्टरों आदि के प्रस्तावित उत्पादन से कोई उपकरण अप्रयुक्त नहीं रहेंगे।

रेलवे में रेलगाड़ियों के चलने पर ईंधन की लागत

287. **श्री लोबो प्रभु :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तथा डीजल से चलने वाले इंजनों से रेलगाड़ियों पर ईंधन पर प्रति मील औसतन अलग-अलग कितनी-कितनी लागत आती है ; और

(ख) क्या उक्त अन्तर को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय ने रेलवे मन्त्रालय को डीजल से इंजन न चलाने को कहा है ताकि आर्थिक दृष्टि से कोयला खनन को सस्ता बनाया जा सके ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) ईंधन की खपत के सूचकांक सामान्यतः प्रति 1000 कुल मीटरिक टन किलोमीटर के हिसाब से किलोग्राम/लीटरों में दिखाये जाते हैं। इस आधार पर प्रति 1000 कुल मीटरिक टन किलोमीटर पर कोयले और

डीजल तेल की खपत की लागत इस प्रकार है :

	कोयला	डीजल तेल
बड़ी लाइन	3.09 रु०	2.97 रु०
मीटर लाइन	4.20 रु०	4.17 रु०

(ख इस प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है ।

कार के मूल्यों पर नियंत्रण

288. श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों के मूल्यों सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर आदेश पास करने में 18 महीनों के विलम्ब के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ; और

(ख) देश में बनने वाली तीनों किस्मों की कारों के अलग-अलग मूल्य कितने हैं और इन्हीं कारों के मूल्य उन देशों में क्या हैं जिनमें ये कारें सर्वप्रथम बनी थीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह कहना कि कारों की कीमतों से संबंधित प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर आदेश जारी करने में 18 माह का विलम्ब हुआ है सत्य नहीं है । सिफारिशें अगस्त, 1968 को प्राप्त हुई थी तथा सरकारी आदेश सितम्बर, 1969 में जारी किये गये । कोई विशेष व्यक्ति विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है । समय लगने का कारण यह था कि प्रतिवेदन की जांच में आयोग तथा अन्य संबंधित विभागों से विस्तृत विचार विमर्श करना था जो अपरिहार्य था ।

(ख) 21-9-69 की तीनों प्रकार की कारों की सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें तथा उसी प्रकार की मिली जुली माडलों की कारों की उत्पादनकर्ता देश में पड़ने वाली कीमत निम्न प्रकार है :

कार की मेक	देशी कार का कारखानों से निकलते समय का खुदरा मूल्य	इसी प्रकार की मिली जुली माडलों वाली कारों का उत्पा-दनकर्ता देश में मूल्य
एम्बेसाडर	15,316 रुपये	11,376 रुपये
फिएट	14,325 रुपये	9,972 रुपये
स्टैंडर्ड हेराल्ड (चार दरवाजे वाली)	14,003 रुपये	9,162 रुपये

नई दिल्ली पार्सल कार्यालय पार्सल क्लर्कों के लिए काम का मापदण्ड

289. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के काम के लिए स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के पदों की व्यवस्था करने का मापदण्ड क्या है ;

(ख) जारी किये गये पी० डब्ल्यू० बिलों तथा बुक किये गये पार्सलों की संख्या कितनी है तथा दिये गये पार्सलों तथा पी० डबल्यू० बिल तथा भेजे गये पार्सल कितने हैं कितनी मुहरबन्द गाड़ियां आई तथा उनमें से कितना सामान उतारा गया तथा कितने पत्र प्राप्त हुए और कितनों का उत्तर दिया गया तथा प्राप्त हुए तथा उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित पार्सल कार्यालय में वितरित निशुल्क सेवा वस्तुओं की संख्या क्या है ;

(ग) मापदण्ड के अनुसार नई दिल्ली पार्सल कार्यालय में कितने स्टाफ की आवश्यकता है ;

(घ) स्टेशन में कुल कितने स्टाफ की व्यवस्था है ; और

(ङ) यदि स्टाफ की कोई कमी है तो वह कितनी है और उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में वाणिज्यिक और संचालन कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति जमा की जाना

290. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में रतलाम डिवीजन के मंडलीय अधीक्षक ने लगभग तीन सौ वाणिज्यिक और संचालन कर्मचारियों को प्रतिभूतियां जमा न कराने के कारण कठोर दंड देने के लिए नोटिस जारी किये है ;

(ख) प्रतिभूति लेने का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों को प्रतिभूति जमा करना अनिवार्य है ;

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की नियुक्ति के समय इनसे प्रतिभूति जमा न कराई जाने के क्या कारण थे ;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में आल इंडिया रेलवे कमिशियल क्लर्क्स एसोशियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्तमान 68 वाणिज्यिक और परिवहन कर्मचारियों को नोटिस जारी किये गये थे । इनमें 24 कर्मचारियों द्वारा जमानत की रकम जमा कर देने पर उनके विरुद्ध अब नोटिस रद्द कर दिये हैं ।

(ख) जमानत रोकड़ या भंडार का लेनदेन करने वाले कर्मचारियों से, नुकसान या जाल-साजी के प्रति एहतियात के रूप में, ली जाती है।

(ग) जी हां उन रेल कर्मचारियों के लिए जो रोकड़ या भण्डार का काम सम्हालते हैं।

(घ) नियुक्ति होने पर, कर्मचारियों को 12 मासिक किश्तों में जमानत की रकम जमा कराने की अनुमति दी गयी थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही किश्तें चुकायीं और पूर्ण रकम जमा नहीं करायी।

(ङ) और (च). जी हां। रोकड़ या भण्डार जिन कर्मचारियों को सौंपा जाता है, उनसे जमानत लेने के सामान्य सिद्धांत में ढील नहीं दी जा सकती लेकिन उनकी कठिनाई कम करने के लिए रेलवे ने कर्मचारियों को आसान किस्तों में जमानत देने की अनुमति दे रखी है। नियमों में यह अनुमति भी है कि जमानत नकद के बदले सरकारी बचत पत्र या साख गारन्टी बीमा पालिसी के रूप में दी जा सकती है।

Commercial Clerks on Southern, Eastern and Northern Railways

291. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1360 on the 29th July, 1969 regarding Commercial Clerks and Commercial Inspectors and state :

(a) whether factors are taken into account to work out the 'worth of charge' of a station ;

(b) the names of the stations on Southern, Eastern and Northern Railways where the posts of Commercial Clerks in the grades of 450-575/-, Rs. 370-425/- and Rs. 335-425/- have been operated at present ;

(c) what is the "worth of charge" of the stations referred to in part (a) above ;

(d) what is the "worth of charge" of the following stations of the Western Railway ;

Bombay Central, Churchgate, Dadar, Bulsar, Surat, Baroda, Ratlam, Indore, Kotah, Sawai Madhopur, Agra Fort, Achhnera, Jaipur, Ajmer, Abu Road, Gandhidham. Kandla Bunder, Mehsana, Rajkot, Jamnagar, Okha, Bhavnagar, Sabarmati, Ahmedabad and Kankaria ;

(e) whether any post of Commercial Clerks in the grades referred to in part (b) above has been sanctioned on any of the stations referred to in the part (d) above ; and

(f) if so, the name of the statiod and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Commercial importance of a station is based on—

(i) Volume of passenger, goods and parcel Traffic handled ;

(ii) Earnings ; and

(iii) the number of staff supervised.

(b) A statement relating to Eastern and Southern Railways is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1976/69.] Information relating to Northern Railway is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Worth of charge of stations in question is determined by the Zonal Railway Administrations on the basis of the principles enumerated against part (a) of the Question.

(d) to (f). Information is being collected from the Western Railway and will be laid on the Table of the Sabha.

रेलवे कर्मचारियों का अत्यावश्यक तथा गैरअत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण

292. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री 22 जुलाई 1959 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के अत्यावश्यक तथा गैर-अत्यावश्यक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण के लिए किन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है ;

(ख) एक ही विभाग के कर्मचारियों पर स्थानीय परिस्थितितों के विभिन्न विभिन्न प्रमाण किस प्रकार होते हैं ;

(ग) क्या ट्रेन क्लर्कों, या मास्टरों, स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए ड्यूटी के घंटे निर्धारित नहीं है ;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को अत्यावश्यक वर्ग में रखा गया है ; और

(ङ) यदि ये वर्ग अत्यावश्यक है तो रेलवे कर्मचारियों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Election Petitions Pending with Election Commission

293. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Election Petitions of Members of Parliament pending with the Election Commission so far, appeals in respect of which are pending before High Courts and Supreme Court ;

(b) the number of seats for which Elections have not been held ; and

(c) the time by which it is proposed to hold the elections for the remaining seats and to dispose of the pending petitions ?

The Deputy Minister in the Ministry af Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) As the appropriate forum for the filing of Election Petitions in the High Court, the question of any Election Petition remaining pending with the Election Commission does not arise.

(b) Four.

(c) Elections in respect of 3 seats will be completed before the end of December, 1969, and of one seat *viz.*, Gorakhpur in Uttar Pradesh the bye-election will be held after the electoral rolls which will be revised shortly are finally published. Election petitions and appeals in respect thereof being pending before the High Courts and the Supreme Court respectively, it would not be possible to specify the time by which they are likely to be disposed of.

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्ति पर बड़े व्यापार गृहों द्वारा शेयर खरीद लिया जाना

294. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष मार्च में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के समाप्त हो जाने के बाद बड़े व्यापार गृहों द्वारा कम्पनियों के शेयर को खरीद लिये जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थिति उत्पन्न न हो इस उद्देश्य से सरकार ने क्या एहतियाती कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). इस स्तर पर यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप, पूंजी बजार की क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर भी सम्पूर्ण मामले की परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली जाने वाली तूफान एक्सप्रेस का जमानिया स्टेशन (पूर्वी रेलवे पर) के निकट पटरी से उतर जाना

295. **श्री साडिलिंगन गौड** **श्री बे० कृ० दासचोधरी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जाने वाली तूफान एक्सप्रेस 31 अगस्त 1969 को पूर्वी रेलवे के दीनापुर-मुगल सराय सेक्सन पर जमानिया स्टेशन के निकट पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गये और रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में नो कोई मरा न घायल हुआ। रेल सम्पत्ति को जो हानि हुई उसकी लागत लगभग 42,000 रुपये होने का अनुमान है।

(ग) चूंकि यह दुर्घटना कुछ अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रेल पथ के साथ छेड़ छाड़ करने के कारण हुई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना स्थल पड़ता है यह अनुरोध किया गया था कि इस प्रकार की तोड़ फोड़ की रोकथाम के लिए इस खण्ड पर पुलिस की गश्त का प्रबन्ध किया जाये। पुलिस की गश्त प्रारम्भ हो गयी है।

उत्तर रेलवे में सहायक कार्मिक अधिकारियों का स्थायी बनाया जाना

296. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में श्रेणी दो के पदों के तीन वर्ष तथा इससे अधिक सेवा वाले कितन सहायक कार्मिक अधिकारियों को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) श्रेणी दो में ऐसे अधिकारियों का कुल सेवा-काल कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक सहायक कार्मिक अधिकारी इसी पद पर ही सेवानिवृत हो गये हैं क्योंकि श्रेणी दो पदों पर स्थायी न होने के कारण उनके मामलों पर श्रेणी एक के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सेवावृत्ति होने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 11

(ख) 31-10-1969 को उनका सेवा काल $5\frac{1}{2}$ वर्ष से $3\frac{1}{2}$ वर्ष तक था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे पर श्रेणी दो के अधिकारियों की श्रेणी 'एक' के पदों पर पदोन्नति

297. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में विभाग-वार श्रेणी दो के कितने अधिकारियों को पिछले तीन वर्षों में श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नत किया गया ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी श्रेणी एक के अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते समय विभाग-वार श्रेणी दो के पदों में स्थायी थे ;

(ग) उतनी ही या उससे अधिक सेवा काल वाले तथा अन्य अधिकारियों/विभागों के श्रेणी दो के उन की अपेक्षा जिनकी उपेक्षा की गई थी अच्छी रिपोर्ट वाले श्रेणी दो के उन कार्यवाहक कार्मिक अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या श्रेणी एक की सेवा में विचार के लिए सहायक कार्मिक अधिकारियों के लिए श्रेणी दो के पदों में अस्थायी होना एक अनर्हता है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो श्रेणी दो के अधिकारियों के दो वर्गों के लिए रेलवे में इस भेदभाव के क्या कारण है और किस प्रकार इसको ठीक करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क)

विभाग	1966-67	1967-68	1968-89
कार्मिक	—	1	1
सामान्य प्रशासन	—	—	—
भारतीय रेल यातायात सेवा	—	1	—
भारतीय रेल इंजीनियर सेवा	2	1	4
सिगलन और दूर संचार	—	1	—
रेलवे सुरक्षा दल	—	1	—
भंडार	—	1	1
चिकित्सा	—	—	—
बिजली	—	1	—
भारतीय रेल यांत्रिक इन्जीनियर सेवा	—	1	1
लेखा	4	—	—
	6	8	7

(ख) सामान्य प्रशासन	—
कार्मिक	2
भारतीय रेल यातायात सेवा	1
भारतीय रेल इन्जीनियर सेवा	7
सिगनल और दूर संचार	—
भंडार	2
रेलवे सुरक्षा दल	1
चिकित्सा	—
बिजली	1
भारतीय रेल यांत्रिक इन्जीनियर सेवा	—
लेखा	4
	18

(ग) सवाल नहीं उठता । सहायक कार्मिक अधिकारियों को कार्मिक शाखा में उनकी अपनी वरिष्ठता के अनुसार श्रेणी 1 के कार्मिक पदों पर पदोन्नत किया जाता है और अन्य विभाग के अधिकारियों को उनकी शाखा/विभाग में वरिष्ठता के अनुसार उनकी अपनी शाखा में पदोन्नत किया जाता है । श्रेणी 1 के कार्मिक पदों का अनुभाजन चार बड़े विभागों में भी किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है ।

(घ) चूंकि रेलों पर अलग कार्मिक विभाग नहीं है, इसलिए संवर्ग और उन्नति के प्रयोजन से सहायक कार्मिक अधिकारियों को चार प्रमुख विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य, परिवहन (इंजन-शक्ति) तथा यांत्रिक इन्जीनियरिंग और लेखा विभाग में से एक में अनुभाजित कर दिया जाता है । यह अनुभाजन सहायक कार्मिक अधिकारियों के पैनल की स्थिति और किसी एक विभाग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर आधारित है तथा तभी सम्भव है जबकि सहायक कार्मिक अधिकारी श्रेणी 2 में पुष्ट हो जायें । अन्य विभागों में ऐसी स्थिति नहीं है ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

सहायक कार्मिक अधिकारी को प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नत करने के बार में विचार

298. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के सहायक कार्मिक अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त करने का पात्र तब तक नहीं समझा जाता तब तक कि उन्हें द्वितीय श्रेणी में स्थायी न किया जाये जबकि अन्य विभागों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी में स्थायी घोषित किये जाने के बिना जो प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नत करने के योग्य समझा जाता है ;

(ख) भारतीय रेलवे में ऐसे द्वितीय श्रेणी के अस्थायी अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों में उनके पक्ष में तीन अथवा इससे अधिक अनुत्तम रिपोर्टों के होते हुए भी प्रथम के पदों पर पदोन्नत करने के योग्य केवल इसीलिए नहीं समझा गया क्योंकि द्वितीय श्रेणी में वे सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थायी नहीं थे तथा उन अधिकारियों का रेलवे-वार और वर्षवार व्योरा क्या है ;

(ग) कार्मिक विभाग के अधिकारियों को छोड़कर अन्य विभागों के उन द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की विभागवार तथा रेलवे वार संख्या कितनी है जो अभी तक द्वितीय श्रेणी में हैं तथा इनमें से प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नत करने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(घ) भारतीय रेलों के सहायक कार्मिक अधिकारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (घ). जी हां। चूंकि रेलों पर अलग कार्मिक विभाग नहीं है, इसलिए संवर्ग और उन्नति के प्रयोजन से सहायक कार्मिक अधिकारियों को चार प्रमुख विभागों अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य, परिवहन (इंजन-शक्ति) तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग और लेखा विभाग में से किसी एक में अनुभाजित कर दिया जाता है। यह अनुभाजन सहायक कार्मिक अधिकारियों के पैनल की स्थिति और किसी एक विभाग में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर आधारित है तथा तभी सम्भव है जब कि सहायक कार्मिक अधिकारी श्रेणी 2 में पुष्ट हो जाये। अन्य विभागों में ऐसी स्थिति नहीं है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बेलाडीला में कच्चे लोहे का कारखाना

299. **बे० वि० सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बेलाडीला में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है, उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है उसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) उस योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और यह कारखाना कब तक पूरा एवं चालू हो जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बेलाडीला में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के बारे अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जबलपुर-जगदलपुर रेलवे लाइन का निर्माण

300. **श्री बे० वि० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने (एक) कावधी और रायपुर के मार्ग होकर जबलपुर जगदलपुर रेलवे लाइन के निर्माण, (दो) नागपुर के मार्ग से होकर रायपुर और भोपाल के बीच तेज गाड़ी चलाने और (तीन) ग्वालियर शिवपुरी रेल मार्ग चौड़ा करने की अत्याधिक आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की व्यावहाकिता और वांछनीयता पर विचार किया है और यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) प्रत्येक कार्य पर कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां

(ख) और (ग).

(i) जबलपुर जगदलपुर रेल संपर्क के निर्माण के प्रस्ताव का सम्बन्ध ढ़ोली-राजहरा और दांतेवाड़ा के बीच एक लाइन के प्रस्ताव से है। 1965-66 में इस परियोजना के लिए जो लागत एवं व्यावहारिकता अध्ययन किया गया था उससे पता चला कि इस लाइन पर 22.87 करोड़ रुपये लागत आयेगी और वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं होगा। इसलिए, इस लाइन के निर्माण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

(ii) वर्तमान समय में इस मार्ग पर होने वाले सीधे यातायात की अल्प मात्रा को देखते हुए रायपुर और भोपाल के बीच सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है।

(iii) 1956-57 में ग्वालियर-शिवपुरी छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसका गुना तक विस्तार करने के लिए जो यातायात सर्वेक्षण किया गया था उससे पता चला कि इस पर लगभग 10.04 करोड़ रुपये लागत आयेगी और यह अलाभप्रद रहेगी। इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया गया।

मिश्रित एवं विशेष इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लासेंस का दिया जाना

301. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री जनार्दनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से मिश्र एवं विशेष इस्पात के दो कारखाने स्थापित करने के लियें बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये गये थे, जब कि दुर्गापुर में देश में ही विकसित तथा स्थापित सरकारी क्षेत्र के मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजनाएं स्थगित कर दी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दुर्गापुर स्थित मिश्र तथा इस्पात कारखाने का विस्तार करने हेतु कार्यवाही आरंभ करने के लिये इस्पात मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को स्पष्ट आदेश दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रिमंडल का आदेश क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकारी इस्पात कारखानों पर बिड़ला बन्धुओं को तरजीह देते हुए उन्हें लाइसेंस जारी करने का क्या औचित्य है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बिड़लाओं की दो सहयोगी फर्मों को मिश्र तथा विशिष्ट इस्पात के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया था एक को 19 1 में और दूसरी को 1966 में। लेकिन यह कहना सही नहीं कि दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया बल्कि गैर सरकारी फार्मों को इसलिए लाइसेंस दिया गया क्योंकि भविष्य की मांगों के मूल्यांकन से यह पता चला है कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी कारखानों के विस्तार के पूरा होने के बावजूद भी मिश्र और विशिष्ट इस्पात की मांग पूरी नहीं हो सकेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

संयुक्त राज्य अमरीका को इमारती ढांचों की सप्लाई

302. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंहदेव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमरीका को इमारती ढांचों की सप्लाई करने का ठेका दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तें क्या हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लोहे तथा इस्पात के इमारती ढांचों की बिक्री के लिये मंडिया ढूढने के लिए क्या प्रयत्न किये गये है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 40,000 टन इस्पात का सामान निर्यात करने के लिए एक करार किया है। इसमें 27,625 टन संरचनात्मक भी शामिल हैं। 8000 टन माल की पहली किस्त दिसम्बर, 1969 में भेजी जानी है और करार का पूरा माल मई 1970 तक भेज दिये जाने की संभावना है। भुगतान अमरीकी डालर में होगा जिसकी कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में 3 करोड़ रुपये होगी।

(ग) भारत में निर्मित संरचनात्मक अब कई देशों को भेजे जाते हैं। हमारे निर्माता और निर्यातक नई मंडियों की सतत खोज में लगे हुए हैं।

मुसलमानों के कुछ विशेष वर्गों को छात्रवृत्तियाँ तथा दाखिला

303. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुसलमानों में भी ऐसा विशेष वर्ग है जिनके साथ अकलीकी

संस्थाओं आदि में छात्रवृत्तियां तथा दाखिला देने के मामले में विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वर्ग और जातियां कौन सी हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तथा इसका आधार क्या है विशेषकर इस बात को देखते हुए कि इस्लाम में कोई जात-पांत नहीं होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). जिन मुसलमानों का अनुसूचित आदिम जातियों के वर्ग से सम्बन्ध है वे अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित होने के कारण अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये बनाई गई कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्हें अनुसूचित आदिम जातियां समझा जाता है क्योंकि उन मे सभी आदिम जातीय विशेषताएं हैं तथा वे आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ अलग-थलक जीवन बता रहे हैं।

उनके अतिरिक्त मेहतर, जुलाहा, मोमिन अन्सार कुंजर, इत्यादि कुछ मुसलमान जातियां हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक तथा अर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। छात्रवृत्तियाँ इत्यादि देने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन जातियों को पिछड़े वर्ग समझा जाता हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग

304. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विशेषज्ञों की यह राय है कि यदि सरकार देश में छोटी कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाया जा सकेगा ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). देश में छोटी कार के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना किस ढंग से की जाये जिससे कि दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो, एक जनता को ऐसी कार दी जाय जो विश्वसनीय किस्म की हो और दूसरा जनता को कार उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाये, यह प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। इसी संदर्भ में ही छोटी कार निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 10,000 कारें प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिये लगभग 20 करोड़ रुपये के विनियोजन की आवश्यकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि परियोजना के लिये आवश्यक 11 करोड़ रुपये के उपकरण तथा मशीनी औजार देश में ही

उपलब्ध होंगे । आशा है कि आवश्यक मशीनी औजार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा संभरित किये जा सकेंगे । जहां यह आशा भी की जाती है कि छोटी कार के कारखाने की स्थापना करके हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मशीनी औजारों का एक बड़ा भाग परियोजना को संभरित कर सकेगा वहां इससे ये अपनी अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग भी कर लेंगे यद्यपि संपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग किये जाने की आशा नहीं है ।

तांबे को बचाने के लिए नवीन देशी मिश्रधातु

305. **श्री से० ब० पाटिल :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक सेवा निवृत्त भारतीय धातुकर्म वैज्ञानिक द्वारा तैयार किये गये आयातित धातु के स्थान पर काम आने वाली धातु के महत्वपूर्ण आविष्कार की ओर दिलाया गया है, जो आयातित तांबे के स्थान पर देशी अलमोनियम मिश्रधातु के उपयोग के संबंध में हैं, और जिसका एकस्व भारतीय एकस्व विवरण संख्या 87430 के सत्र में कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस आविष्कर्ता का नाम क्या है और एकस्व कराये गये इस नवीन मिश्रधातु की मुख्य विशेषताऐं क्या हैं ; और

(ग) तांबे की अत्यधिक और बढ़ती हुई कमी को दूर कर देखते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मिश्रधातु का, जो आयातित तांबे के स्थान पर काम आयेगा, और अधिक प्रचार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि इस धातु का उपयोग करने वाले लोगों का ध्यान इस नवीन मिश्रधातु की ओर दिलाया जा सके और उनसे यह अनुरोध किया जाये कि वे इसका प्रयोग करें और इस प्रकार मूल्यवान तांबा बचायें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). डा० डी० आर० मल्होत्रा द्वारा पेटेन्ट कराये गए अलम्यूनियम, तांबा टीन, इस्पात तथा जस्ते से मिश्रित चांदी की भांति सफेदी वाले कासे से संबन्धित एक आविष्कार की सूचना सरकार को मिली है । यह दावा किया गया है कि मिश्रण में यान्त्रिक गुण विद्यमान हैं जो इसे स्वचालित गाड़ियों तथा मिट्टी खोदने वाले उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली बियरिंग बनाने के उपयुक्त बनाती है । इस प्रकार की मिश्रण में कुछ सीमिततायें भी हैं क्योंकि यह आयातित किये जाने वाली धातु से घटिया किस्म का है ।

इसके अन्दर अधिक प्रतिशत जस्ता भी विद्यमान रहता है जो अभी तक अधिकांश आयात किया जाता है ।

(ग) उस चीज का आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रकाशित इन्वेन्शन इन्टेलीजेंन्स नामक पत्रिका में प्रकाशित करके तथा प्रेस और आकाशवाणी के माध्यम से भी उद्योगपतियों तथा अन्य रुचि रखने वालों की जानकारी के लिए इसका व्यापक प्रचार किया गया है ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में पदोन्नति सम्बन्धी नीति

306. श्री के० एम० अब्राहम : श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस : श्री वि० कु० मोडक :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में पदोन्नति सम्बन्धी कोई नीति निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन सम्बन्धी तथा उत्पादन से भिन्न कार्य करने वाले विभागों में क्रमशः कुल कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पदोन्नति के लिए कम्पनी ने अपनी नीति बनाई है। इसके अनुसार पदोन्नतियां रिक्त स्थानों की संख्या को देखते हुए उपयुक्त विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों के अनुसार की जाती है। जो कम्पनी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों पर आधारित होती है। पदोन्नतियाँ गुणावगुण एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। इनमें अन्य संगत बातों जैसे अर्हता, सेवा-अवधि तथा इसमें दक्षता को भी ध्यान में रखा जाता है। समग्र अनुभव तथा सामान्य उपयुक्ता का निर्णय निर्धारित प्रमापों के आधार पर किया जाता है। इसमें गोपनीय रिपोर्टों, ट्रेड टेस्टों, इन्टव्यू आदि पर भी विचार किया जाता है।

(ग) इस कम्पनी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर ही 'रेगूलर केडर' में किया जाता है। 1 अप्रैल, 1969 को उत्पादन तथा गैर-उत्पादन कार्यों पर काम कर रहे ऐसे नियमित कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित थी :

उत्पान उत्पादन-कार्य में लगे हुए कर्मचारी	--9174
गैर-उत्पादन कार्यों में लगे हुए कर्मचारी	—4574

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिए पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त ऋण

307. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी का एक इस्पात प्रतिनिधि मण्डल हाल में रूरकेला इस्पात कारखाने में आया था तथा उसने यह सुझाव दिया था कि कारखाने में विदेशी तकनीशनों के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 70 लाख डी० एम० का अतिरिक्त ऋण लेने की आवश्यकता है तथा उसमें और तकनीशनों की भी आवश्यकता होगी ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी तकनीशनों को नियुक्त किये रखने तथा विस्तार कार्यक्रम आदि के लिए पश्चिम जर्मनी से सरकार को अब तक कितना ऋण प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या ऋण के रूप में प्राप्त कुछ राशि खर्च नहीं की गई और यदि हां, तो यह राशि कैसे खर्च की जायेगी ;

(घ) जर्मन प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिये गये उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सुझाव का क्या आधार है ; और

(ङ) विदेशी तकनीशनों के स्थान पर भारतीय तकनीशन रखने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधि मण्डल ने जुलाई 1969 में भारत को 1969-70 में जर्मन वित्तीय सहायता के बारे में बातचीत करने नई दिल्ली आया था, अपने स्मारक पत्र में यह सुझाव दिया था कि राउरकेला इस्पात कारखाने को जर्मन प्रविधिज्ञों के लिए जिनको उनकी राय में कारखाने के परिचालन और संधारण के लिए रखना आवश्यक होगा 7 मिलियन अतिरिक्त मार्क चाहिए।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के वर्तमान विस्तार कार्यक्रम तथा विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को रखने के लिए विदेशी मुद्रा की लागत की पूर्ति हेतु पश्चिमी जर्मनी से निम्नलिखित ऋण लिए गए हैं :-

1. विस्तार के लिए 420 मिलियन मार्क।
2. 10 लाख टन की क्षमता तथा विस्तार के लिए आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों के लिए 15 मिलियन मार्क।
3. 1 मिलियन टन की अवस्था में कारखाने के परिचालन और संधारण के लिए आवश्यक प्रविधिज्ञों के लिए 4 मिलियन मार्क।
4. रूपांकन और इंजीनियरी के कार्यों के लिए तकनीकी परामर्श और डसलडर्फ में सम्पर्क कार्यालय के लिए 4 मिलियन मार्क।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के भाग 2 और 4 में उल्लिखित ऋणों में से 1-4-69 को 7.62 मिलियन मार्क की राशि बकाया थी। यह राशि 1971 के आरम्भ तक राउरकेला इस्पात कारखाने को चालू करने, उसके परिचालन और संधारण के लिए रखे गये जर्मन इंजीनियरों पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिये प्रयोग की जायेगी।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है जर्मन प्रतिनिधि मण्डल का सुझाव राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए जर्मन प्रविज्ञों की आवश्यकताओं के अनुमान पर आधारित था।

(ङ) भारतीय इंजीनियरों को काम सीखने के लिए विदेशी प्रविधिज्ञों के साथ लगाने की नियमित पद्धति पहले से ही विद्यमान है। इस समय राउरकेला में केवल 96 जर्मन प्रविधिज्ञ हैं जबकि 1 मिलियन टन की अवस्था में जबकि काम पूरे जोर पर था जर्मन प्रविधिज्ञों की संख्या 250 थी। जैसे जैसे भारतीय इंजीनियर पर्याप्त अनुभव तथा निपुणता प्राप्त कर लेंगे वैसे ही वह विदेशी प्रविधिज्ञों का स्थान ग्रहण करते जायेंगे।

रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें

308. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने अपना दूसरा और अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उप-पत्तियां क्या हैं और उसने क्या सिफारिशें दी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 की रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम भाग 28 अगस्त, 1969 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था ;

(ग) और (घ) समिति की इस रिपोर्ट में सब मिलाकर 500 टिप्पणियां और सिफारिशें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इन पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचारों की रूप रेखा तैयार की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल को हुई हानि

309. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कर्मचारियों ने गत दो महीनों से अधिक समय से 'धीरे काम करो' और अन्य ऐसे तरीके अपना रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस उपक्रम को कितनी हानि उठानी पड़ी है ; और

(घ) सरकार इस ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल कर्मचारियों के कुछ वर्ग ने जुलाई से सितम्बर, 1969 की अवधि में श्रम आन्दोलन को विभिन्न रूप में आरंभ किया।

(ख) इन कर्मचारियों ने अपनी कई शिकायतों को बताया है जिनमें हैवी इलैक्ट्रिकल्स मजदूर ट्रेड यूनियन जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है की यह मांग भी सम्मिलित थी कि उन तीन कर्मचारियों को जिन्हें नियमित कार्यवाही के उपरान्त नौकरी से हटा दिया गया था को पुनः नौकरी पर रखा जाय।

(ग) श्रमिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप उत्पादन के रूप में पर्याप्त हानि हुई है। इस संबंध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(घ) प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कई बार बातचीत की थी। मान्यता प्राप्त यूनियनों से बातचीत के पश्चात् कर्मचारियों को कई और सुविधायें प्रदान की गई थीं। स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

भारतीय उद्योग को तकनीकी आवश्यकताएं

310. **श्री क० प्र० सिंहदेव :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग सहित दीर्घकालीन तकनीकी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या हैं ;

(ग) समिति द्वारा सरकार को अपना प्रतिवेदन देने में कितना समय लगने की संभावना है।

(घ) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ङ) उसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होंगे ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। विभिन्न विकास परिषदों के अन्तर्गत काफी संख्या में तकनीनी। अनुसंधान समितियों के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे में अनुशासन हीनता के बारे में वांचू समिति की सिफारिशें

311. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री सी० मुतुस्वामी :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांचू समिति ने हाल में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उसने अन्य सुझावों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया है कि पिछले कुछ समय से रेलवे में अनुशासन गिरता जा रहा है और ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विचार बारे में कोई कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जो

बातें रेल कर्मचारियों में अनुशासन की भावना को प्रभावित करती हैं उनके संबंध में रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने अपनी रिपोर्ट के भाग 2 में कुछ सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट पिछले सत्र में सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। इन सिफारिशों के साथ-साथ समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों की रेल मन्त्रालय द्वारा जाँच की जा रही है और इन सिफारिशों पर रेल मन्त्रालय के विचारों के साथ एक विवरण यथा समय दोनों सदनों के पटल पर रख दिया जायेगा।

ढोल निर्माण उद्योग

312. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री 22 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द गैल-वैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करके एक अनधिकृत तरीके से ढोलों के निर्माण के लिए जान बूझकर एक संयत्त स्थापित किया और सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाये उसकी क्षमता को उस समय मान्यता दी जबकि वह कारखाना वर्जित सूची में था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने मद्रास में छोटे पैमाने के एक एकक के रूप में एक ढोल बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए मशीनें स्थानांतरिक की हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, जबकि यह कारखाना बड़े पैमाने के क्षेत्र में अर्जित सूची पर है कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार और बंगाल सरकार से लिखापढ़ी की है और उनपर इस बात पर बल दिया है कि वे फालतू क्षमता को अन्य राज्यों में, जहां ढोलों की अत्यन्त आवश्यकता हो, ले जाने की अनुमति दे दें ताकि मशीनो के आयात में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) इस बारे में प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा के 85 वें प्रतिवेदन के, जो 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, 42 से 52 पृष्ठों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। प्राक्कलन समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के बारे में समिति को सरकार के विचार से अवगत करा दिया जायेगा और सरकार को समिति द्वारा दी गई और सिफारिशों से अवगत कराने के बाद इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) और (ग). स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रहा है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के बारे में जांच

313. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कार्य के बारे में जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो क्या जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) जांच पूरी करने में हुए विलम्ब का कारण इस कम्पनी । उपक्रम के कार्यों से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण गवाहियां पूरी न होना रहा है।

कूपर एलन तथा नार्थ-वैस्ट टेनरी के कर्मचारी

314. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कूपर एलन तथा नार्थ-वैस्ट टेनरी एकक जिनका अब टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर ने अधिग्रहण कर लिया है, के बहुत से कर्मचारियों को आश्वासन देने के बाद भी काम पर वापस नहीं लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक काम पर नहीं लिया गया है तथा उनको काम पर लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने मेसर्स कूपर एलेन ऐण्ड नार्थ वेस्टर्न टेनरी एककों के कर्मचारियों में से उन कर्मचारियों को लेना स्वीकार किया था जो उसके अपने उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवश्यक थे। इसके अनुसार कूपर एलेन ऐण्ड नार्थ वेस्ट टेनरी के 2,592 कर्मचारियों में से 1,935 कर्मचारियों को टेनरी ऐण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया ने रख लिया है।

(ख) न लिये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 657 है। यदि बाद में कुछ और कर्मचारी रखना आवश्यक हुआ तो उन कर्मचारियों को, जिन्हें नहीं रखा गया है, वरीयता दी जायेगी।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड पंजीयन प्रमाण पत्र देना

315. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** 22 जुलाई 1969 के अतरांकित प्रश्न संख्या 228 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड को उसके

प्रतिबन्धित सूचि में रहते हुए, तेल के पीपे तथा ढोल बनाने के लिए पंजीयन प्रमाण-पत्र सरकार ने किन तथ्यों के आधार पर जारी किया था ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें इस्पात की चादरों के, जो दुर्लभ तथा नियंत्रित है, आवंटित करने की भी गारन्टी दी थी यद्यपि सरकार को यह भली भांति पता था कि वे अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता को एक पारी के लिए भी अपने विद्यमान कारखानों को चालू रखने में असमर्थ, थे; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स हिन्द गाल्वेनाजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड को तेल के पीपे बनाने के लिए जो क्षमता जिन परिस्थितियों में स्वीकृत की गई थी उसका स्पष्टीकरण 24 नवम्बर, 196 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 250 में पहले ही कर दिया गया है ।

(ख) तथा(ग) : इस फर्म को या अन्य किसी दूसरी को कच्चे माल के आवन्टन की गारन्टी करने का प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं उठता ।

यात्री टिकट निरीक्षकों (टी० टी० आई०) के बारे में जस्टिस राज्याध्यक्ष की सिफारिशें

316. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री मंगलाथुमाडोम : श्री श्रीनिवास मिश्र :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जस्टिस राजाध्यक्ष की सिफारिशों के अनुसार यात्री टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी माना जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में जस्टिस राजाध्यक्ष की सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) जस्टिस राजाध्यक्ष के पंचाट में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गयी थी । वे रनिंग कर्मचारी नहीं हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

हावड़ा स्टेशन रेल सेवा का अस्त व्यस्त हो जाना

317. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री स० कुन्दू : श्री बेधर बेहरा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 969 को हावड़ा स्टेशन पर रेल सेवा अस्त व्यस्त हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो रेल यातायात के अस्त व्यस्त होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) रेल यात्रियों को कितने समय से इस असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ख). यांत्रिक विभाग के रेल कर्मचारियों के दो परस्पर विरोधी गुटों में झगड़ा होने के कारण एक गुट द्वारा प्रदर्शन किये जाने से 16 सितम्बर, 1969 को 5-30 से 10-15 बजे तक हावड़ा स्टीम शेड के निकट रेल पथ अवरुद्ध हो गया था, जिसके फलस्वरूप इस अवधि में पूर्व रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों का संचलन अस्त व्यस्त हो गया था।

रेल यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था

318. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्रियों के लिए समुचित प्रकाशवाल प्रतीक्षाघरों और टिकटघरों बैंचों, पेय जल, शौचालयों और अच्छी सतह वाले प्लेटफार्मों जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) रेलवे बोर्ड के इस अनुरोध पर जोनल रेलों की क्या प्रतिक्रिया है कि 'यात्री सुविधायें" योजना शीर्षक के अन्तर्गत आवंटित धन को व्यपगत न होने देने को सुनिश्चित करें ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए वर्तमान आवंटन से अधिक राशियां नियत किये जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेलों को हिदायतें जारी की गयी हैं कि वे 31-3-1971 तक सभी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों बेंचें, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों और टिकट घरों में रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, अच्छी सतह वाले प्लेटफार्म, टिकट देने की उपयुक्त सुविधाएं, छायादार पेड़ लगाने जैसी मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दें।

(ख) क्षेत्रीय रेलें इस शीर्षक के अधीन नियत की गयी धन-राशि का लगभग पूरा उपयोग कर रही हैं।

(ग) रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं के लिए धन-राशि का नियतन संसद् की रेलवे अभिसमय समिति द्वारा किया जाता है। समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अभी अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं।

मुख्य उद्योगों के लिए लाइसेंस देने संबंधी प्रक्रिया

319. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के बारे में क्या प्रगति हुई है (गत अक्तूबर के अन्त तक) ; और

(ख) क्या 36 मुख्य उद्योगों में उन प्रक्रियाओं को दूर करना ठीक समझा गया है और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (ी फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). समय समय पर सरकार देश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक समझे जाने वाले 'मुख्य उद्योगों' की सूची प्रकाशित करती है। विदेशी मुद्रा के निष्क्रमण तथा अन्य विभिन्न बाधा निर्माण कार्य जैसे पूंजी जारी करने की अनुमति आदि के बारे में इन उद्योगों के साथ वरीयता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। ऐसी अन्तिम सूची नवम्बर, 1968 में प्रकाशित की गई थी। मुख्य उद्योगों को लाइसेंस देने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि मुख्य उद्योगों से संबंधित आवेदनों को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस देने वाली समिति तथा पूंजीगत माल समिति द्वारा विचार किया जाता है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास

320. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए सन्तुलित प्रादेशित विकास करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति के लाभ का प्रसार तथा उद्योग की विस्तृत व्यापकता, सुनियोजित विकास के मुख्य उद्देश्यों में से है हाल ही में, दो कार्यकारी दल स्थापित किये गये थे। एक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की कसौटी की सिफारिश के लिए तथा दूसरा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए। दोनों कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों पर 26 सितम्बर, 1969 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की राज्य मुख्य मंत्रियों की समिति में विचार विमर्श किया गया। लिए गए निर्णय सक्रिया रूप से सरकार के विचाराधीन हैं।

कारों का गुण-प्रकार तथा मूल्य

321. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न यात्री कारों के मूल्यों पर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है ; और यदि नहीं, तो किस बात का निपटारा अभी होने वाला है तथा निर्माता लोग सरकार के अनुदेश से यहां तक सहमत हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कारों की किस्म गिर गई है तथा उस में और भी गिरावट आ जाने की सम्भावना है क्योंकि निर्माताओं को मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(ग) किस प्रकार की किस्म नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है तथा क्या सरकार ने किस्म नियंत्रण लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसा कब तक करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तीन चार निर्माताओं में से दो ने अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण प्रणाली जो कि इस वर्ष से लागू है की परवाहन करते हुए और सरकार के परामर्श पर ध्यान न देते हुए अपने अपने मार्क की कारों के मूल्यों में एक पक्षीय रूप से वृद्धि कर ली है ।

उद्योगपतियों योजना आयोग के साथ बैठक

322. **श्री प्रेमचन्द वर्मा : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० बरुआ :
श्री मयावन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय औद्योगिक संगठनों तथा प्रमुख उद्योगपतियों की गत सितम्बर में योजना आयोग के साथ एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकाले गये ; और

(ग) इस विचार विमर्श के परिणाम-स्वरूप क्या नीति अपनाई गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी जैसे उद्योगों को लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति, विभिन्न मुख्य और अन्य उद्योगों का 1973-74 तक के लिये उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना, अधिक निर्यात के लिए योजना बनाना और चौथी योजना में औद्योगिक लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में गैर सरकारी उद्योगों का कार्य अलग विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप किसी विशेष निर्णय पर नहीं पहुंचा गया है या कोई नीतियां अपनाई नहीं गई हैं । बैठक का मुख्य उद्देश्य चौथी योजना के दौरान उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विचारों का अदान प्रदान करना था ।

Technical Research in Industrial Sector

323. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to encourage indigenous technical research in he industrial sectors ;

(b) the results achieved so far in this regard ; and

(c) the provisions made for this purpose in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Development of indigenous technical research in the industrial sector has been encouraged as a fact of the import substitution programme which covers almost the entire gamut of industry both in the private and the public sector. Fruitful work in the sphere is being pursued through close collaboration between the Directorate General of Technical Development and the C. S. I. R. who have also announced a series of incentives for the development of research. As the coverage of this effort is wide and continuous it is not possible to estimate the results in any precise terms.

(c) There are 12 Industrial Research Associations functioning under the encouragement of the C. S. I. R. at present and the following tentative provisions have been made for these associations under the 4th Five Year Plan :

		(Rupees in lakhs)
1.	Non-Plan Committed	Rs. 348.00
2.	Plan	Rs. 200.00
	Total	Rs. 548.00

Removal of Restrictions on Car Price

324. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Passenger Motor car Manufacturers Association has asked Government to remove the restrictions imposed on the prices of motor cars ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Representations have been received from the Association of Indian Automobile Manufacturers, Bombay as well as the Automotive Manufacturers Association, Calcutta to the effect that the price control on the passenger car industry should be removed.

(b) Government are of the view that so long as there is imbalance between demand and supply, control over the prices of passenger cars should continue.

Cigarette Factories in India

325. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of small and big cigarette manufacturing factories in India ;

(b) the number of factories out of them running with the help of foreign collaboration ;

(c) the percentage of shares held by foreigners in them and the amount of profit remitted abroad every year ;

(d) whether it is also a fact that factories running with foreign collaboration have such abundant resources that purely Indian factories are unable to complete with them ; and

(e) if so, the steps being taken by Government to develop purely Indian factories mainly small factories ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Particulars relating to large-scale manufacturers of cigarettes are given in the statement attached. [*Placed in Library. See* No. LT.—1977/69] Government are not aware of any small-scales manufacturers of cigarettes. Information relating to profits remitted abroad by individual companies is not normally disclosed.

(d) No, Sir.

(e) Setting up of additional capacity by wholly-owned Indian companies is being encouraged. They are being assisted in securing balancing equipment and machinery with a view to improving the quality of products ; maintenance requirements in respect of raw materials and spares which are not indigenously available are also being considered liberally subject to availability of foreign exchange.

Ticketless Travelling on Indian Railways

326. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers during the last three years and the loss incurred by the Railways as a result thereof ;

(b) the statewise number of ticketless travellers ;

(c) the steps taken by Government to check the habit of ticketless travelling among students ; and

(d) the steps taken by Government besides legal measures to instil civic sense in the public that ticketless travel is bad ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) (a) The number of persons detected travelling without ticket or with improper ticket during the years 1967, 1968 and in the year 1969 upto 30th August (figures for September '69 onwards are not yet available) is as under :

1967	—	1,00,09,160
1968	—	1,07,52,141
1969 (Jan. to Aug.)	—	61,57,731

An accurate estimate of the loss to the Railways on account of ticketless travel during the last three years separately is not available. However on the basis of special checks conducted in 1967-68 the loss was estimated roughly to be between Rs. 20 and Rs. 25 crores per annum.

(b) Statewise number of ticketless travellers is not maintained.

(c) The following steps have been taken :

(i) Railway Administrations have been asked to take up the matter with the heads of educational institutions.

(ii) Lectures by retired Railway officers and others discouraging ticketless travel have been arranged in educational institutions.

(iii) the active co-operation of students is being enlisted through the heads of educational institutions to detect and deal with ticketless passengers.

(d) In addition to the steps indicated in reply to part (c), the assistance of students, village elders and social service organisations is being availed of in the campaign against ticketless travel. Educative propaganda through various means of mass communication such as the ratio, loudspeakers, newspapers etc. is also being carried on to curb this evil.

Shortage of Papers

327. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri J. K. Choudhury
Shri Yashwant Singh Khushwah :
Shri Yogendra Sharma :
Shri K. Halder :
Shri Vasudevan Nair :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri J. M. Biswas :
Shri C. Janardhanan :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Dhireshwar Kalita :

Will the Minister of Industrial Develepment, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Economic and Scientific Research Foundation has, after conducting their research, expressed a fear that there will be an acute shortage of paper in 1975 ;

(b) if so, the reasons advanced by the Foundation in support of its apprehension ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इंजीनियर और निर्माण उद्योगों के लिये इस्पात की आवश्यकता

328. **श्री सीताराम केसरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के सम्बन्ध में समुचित नीति न होने के कारण इंजीनियरिंग तथा निर्माण उद्योगों को इस्पात की अपनी आवश्यकता पूरी करने में बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश की आन्तरिक मांग को उचित दाम पर पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह ठीक है कि कुछ प्रकार के इस्पात की कमी है। लेकिन यह कमी सरकार की इस्पात सम्बन्धी समुचित नीति के अभाव के कारण नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप मांग बढ़ जाने के कारण तथा उत्पादन में कमी होने के कारण, जो कि अंशतः कुछ कारखानों में श्रमिक अशांति और अंशत: तकनीकी कठिनाइयों के कारण थी, हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसी प्रकार की कमी की स्थिति होने के कारण मांग और पूर्ति का यह अन्तर और उग्र हो गया है।

(ख) सरकार सभी प्रकार की कठिनाइयों को शीघ्रता से और निर्णायक ढ़ंग से दूर करके इस्पात कारखानों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कई उपाय कर रही है। देश की आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने समय-समय पर दुर्लभ किस्म के इस्पात के आयात में उदार नीति अपनायी है।

सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण

329. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट निर्माताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सरकार से प्रार्थना की है कि कुछ और समय तक सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण जारी रखा जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमन्डल ने सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण जारी रखने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल का मुख्य तर्क था कि कुल आपूर्ति माँग से अधिक नहीं है तथा भाड़ा एकत्रित करने के प्रबन्ध को समाप्त करने का परिणाम उपभोक्ताओं के लिये सीमेंट के मूल्य में वृद्धि तथा सुदूर क्षेत्रों में वितरण में कमी होगी।

(ग) सरकार का विचार 1-1-1970 से सीमेंट उद्योग पर से नियंत्रण हटाने तथा भाड़ा एकत्रित करने के प्रबन्ध को समाप्त करने का है। फिर भी सरकार की स्थिति की गति विधि पर लगातार निगाह रखेगी तथा सुधार के लिये अपेक्षित उपाय बरतेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में काम करने वाले विशेषज्ञ

330. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राग में राजनैतिक नेतृत्व में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में काम करने वाले चैकोस्लोवाक विशेषज्ञ काम में रूचि ले रहे हैं और इस कारण उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते।

तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

331. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न के 268 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी (पी०) लि० इंडस्ट्रियल कैटेनर्स

लि० और स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्रों में क्रमशः 27000, 6000, 5860 और 3700 मीटरी टन की क्षमता के आवेदन किया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत बैरल एण्ड मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी (पी०) लि० को 40/45 गैलन के बैरल बनाने के लिये उनकी लाईसेंस प्राप्त क्षमता के 2/3 भाग के आधार पर तथा अन्य निर्माताओं को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता को 100 प्रतिशत के आधार पर इस्पात की चादरों का नियतन करने के क्या कारण थे ; और

(ग) उस निर्माता का नाम क्या है जिसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता पिछले उत्पादन के आधार पर निर्धारित की गई थी और ऐसा करने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) तेल के ढोल निर्माताओं में कच्चे माल का आवंटन निर्धारित की गई क्षमता के आधार पर किया जाता है । इस सम्बन्ध में 30 अप्रैल, 1969 को लोक सभा में पेश की गई प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक सभा) की 85 वीं रिपोर्ट के पृष्ट 54 से 56 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी के मामले में जनवरी से मार्च 1957 की तिमाही में उनके सब से बढ़िया उत्पादन के आधार पर तेल के ढोलों, ड्रमों तथा डिब्बों का निर्माण करने हेतु प्रति वर्ष 4200 टन अस्थायी क्षमता के लिये कारोबार चालू रखने का लाइसेंस दिया गया था । इस सम्बन्ध में लोक-सभा के 22 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर देखा जाये ।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी

332. **श्री सीताराम केसरी** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब बैरल निर्माताओं की कार्य नियत करने के लिये प्रतिटन 40 तेल बैरलों के हिसाब से 10,80,000 तेल बैरल बनाने के लिये 18 गज की 2700 मीटरी चादरों की आवश्यकता है, क्या इससे यह नहीं माना जा सका कि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चुरिंग कम्पनी का मूल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 10,80,000 तेल बैरल बनाने के लिये एक पारी पर 27000 मीटरी टन प्रति वर्ष है जो प्रक्कलन समिति के 85वें प्रतिवेदन में पृष्ठ 98 पर दिये गये विवरण से स्पष्ट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). लोक-सभा में 30 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत प्राक्कलन समिति चतुर्थ लोक सभा) के प्रतिवेदन के पृष्ठ 21 से 34 तथा पृष्ठ 54 से 56 की ओर ध्यान आकृष्ट

किया जाता है जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ क्षमता और निर्माताओं को कच्चे माल के आवन्टन के आधार की पृष्ठभूमि दी गई है। प्राक्कलन समिति ने कई सिफारिशें की हैं सरकार के विचार समिति को भेज दिये जायेंगे। सरकार को समिति की आगे की सिफारिशों के पता चलने पर उन पर निर्णय किया जायेगा।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की हुई हानि

333. **श्री रा० बरुआ :**   **श्री मयावन :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को 139.98 लाख रुपये की हानि हुई है ;

(ख) दि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) इस निगम को और आगे हानि से बचाने के लिये स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर को शुरू से 31 मार्च 1969 तक कुल 2015.68 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ख) और (ग). कम्पनी के कारखाने ने 1964-65 में उत्पादन आरम्भ किया था। कारखाने ने अभी पूरी क्षमता पर उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है। कम्पनी को जिस प्रकार की हानि हुई है वह विशिष्ट प्रकार की भारी इंजीनियरी प्रायोजनाओं की, जिनमें भारी पूंजी लगती है, प्रारम्भिक अवस्था में असाधारण बात नहीं है, क्योंकि जटिल मशीनों के 'बैंच प्रोडक्शन' करने में समय लगता है। हानि का दूसरा बड़ा कारण यह है कि खनन मशीनों की उतनी माँग नहीं हुई है जितनी होने की आशा थी और जिसके आधार पर कारखाना लगाया गया था अतः कारखाने के उत्पादन में विविधता लाने और इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राप्त किये गये है और किये जा रहे हैं।

Construction of Overbridge at Banda Junction (Central Railways)

334. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sufficient reasons for the construction of an overbridge at Banda Junction, Central Railway, and also figures in regard to the Railways Staff and other persons run over by the trains at the said Junction were furnished to the Parliament ;

(b) whether it is also a fact that the said overbridge and an island platform to the North side involving a cost of Rs. 2.49 lakhs have been left incomplete ;

(c) whether it is a fact that there have been incidents of persons being run over by the trains on the said Junction ; and

(d) if so, the further action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Number of persons run over by the train at the Banda Junction only was furnished in reply to part (b) of the unstarred question No. 531 answered on 23.7.1968.

(b) No.

(c) Yes.

(d) Railway Production Force and the Government Railway Police have been instructed to take severe action against the trespassers. Two level crossings, one at Jhansi end at a distance of 1200 feet, and another at Manikpur end at a distance of 2250 fect from the centre of the station building, are already provided for the use of residents of the Civil Lines, intending to reach Banda Railway Station and these are considered adequate to meet the requirements.

Setting up of Industries to Solve Unemployment in Villages

335. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of the poor unemployed is increasing day by day and they are unable to secure employment to earn their bread ;

(b) whether it is also fact that big industries are not installed in villages to provide employment to the poor people and that all the big factories are installed in big cities and, if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government would consider to solve the problem of unemployment of the poor villagers ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Precise information is not available. However the number of job seekers on the registers of unemployment Exchanges is on the increase.

(b) and (c). Industry is not the only sector concerned with the problem of unemployment. One of the important objectives of industrial policy however has been to have dispersed industrial development so that employment opportunities multiply. In the Five Year Plans great emphasis has also been laid on the development of village and small scale industries which has resulted in the provision of wider scope for increased employment.

Development of Bundelkhand Area

336. **Shri Yageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trede and Company Affairs** he pleased to state :

(a) whether the Central Government have ever conducted a survey for the industrial development of Bundelkhand (Jhansi, Jalaun, Hamirpur, Banda) where unemplopment and acute poverty is rampant, and, if so, the result thereof ;

(b) whether Government have prepared any scheme for the development of the aforesaid area during the Fourth Five Year Plan and, if so, the details thereof ; and

(c) whether sand for manufacturing glass, bauxite, lime-stone, husk, reeds and bamboo for manufacturing paper, building stone etc. are found in abundance in the aforesaid area and, if so, whether Government propose to start factories based on these raw-materials ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The assessment of the potentialities for industrial development in individual districts or parts of a State is undertaken by the State Government concerned through suitable agencies, as considered appropriate for the purpose.

A techno-economic survey of Uttar Pradesh including Bundelkhand area was conducted by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) and it is a priced publication. Surveys with a view to assessing the industrial development potentialities for small scale industries have been undertaken by the State Government in respect of Jhansi and Jalaun districts of Bundelkhand with the assistance of the Small Industries Service Institute and the reports submitted to Government of Uttar Pradesh.

The details of Central Industrial Projects to be set-up during the Fourth Plan are indicated on page 253-260 of the 'Draft Fourth Five Year Plan Report.' The amount proposed to be invested in these projects is also indicated therein. The availability of raw-materials etc. in various localities of the State including the Bundelkhand area are indicated in the report submitted by the National Council of Applied Economic Research (NCAER). The Central Government have no proposal to start industries based on the raw-materials mentioned in Bundelkhand under consideration.

Introduction of New Railway Line Connecting Lalitpur with Bargarh (Central Railway)

337. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several Members of Lok Sabha from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh had submitted a representation for laying a New Railway line connecting Lalitpur with Bargarh (Central Railway) *via* Khajuraho Ajoygarh, Atarra, Behru and Rajapur ;

(b) whether it is also a fact that a survey for the said line had once made during the British regime and the survey slabs are still there ;

(c) whether it is also a fact that 22 years have passed since independence but the line has not been laid ; and

(d) whether one of the main reasons for it is that there is no forceful Minister representing the area in the Centre as a result of which the voice of Bundelkhand area is not being heard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). Yes.

(d) The previous survey revealed that this line will not be remunerative. Since the last survey was carried out, there appears to have been no major development in the area, offering a large volume of traffic. During the present financial stringency it is not possible to consider the construction of this line.

मिश्र धातु और इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस दिये जाना

338. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**　　　　**श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन परिस्थितियों की जांच करा रही है जिन में मैसर्स

बिड़ेला को विदेशी सहयोग से दो मिश्र धातु और विशेष इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ग) जांच की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित की जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेयन ग्रेड लुगदी उद्योग में बिड़लाओं का एकाधिकार

339. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने यह पता लगाया है कि बिड़ला उद्योग समूह ने रेयन ग्रेड लुगदी उद्योग में एकाधिकार स्थापित करने के लिये निश्चित रूप से प्रयत्न किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

यह सुस्पष्ट है कि रेयन कोटि के लुग्दी उद्योग में बिड़ला समूह ने एकाधिकार स्थिति प्राप्त करने के निश्चित प्रयास किये थे ।

(ख) अनुज्ञापन नीति में संशोधन सम्बन्धी औद्योगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति की सिफारिशें सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना

341. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री स० कुन्डू :**
श्री मंगलाथुमाडोम : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बेधड़ बहेरा : **श्री स० कु० तापड़िया :**
श्री ज० अहमद :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में एक पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित इस्पात कारखाने का ब्यौरा क्या है तथा यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 30 लाख टन के लगभग इस्पात पिण्ड की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्य को चौथी योजना के मसौदे में रखा गया है ।

(ख) पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना अथवा उसके स्थान के बारे में निर्णय नहीं किया गया है ।

एशियन केबल्स कारपोरेशन

342. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियन केबल्स कारपोरेशन के उस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिस में इस पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा आयातित कच्चे माल को बेचने और उधार पर दिये जाने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या कच्चा माल उधार देने की अनुमति उस समय लागू कानून के अन्तर्गत दी जा सकती थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी को फालतू कच्चा माल बेचने की अनुमति दी थी ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की हैं कि इस कम्पनी को फालतू कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस क्यों दिया गया था ;

(ङ) क्या सम्बन्धित सरकारी विभाग की सांठगांठ से उक्त कम्पनी द्वारा किये गये कच्चे माल के फालतू आयात को नियमित करने के लिये इस कम्पनी को बाद में विविधता की कोई अनुमति दी गई थी ; और

(च) क्या उपर्युक्त आरोपों की जांच के फलस्वरूप अधिकारियों तथा सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). इस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में बिड़ला कागज मिलों से सम्बन्धित दस्तावेजों में हेर-फेर

343. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई पत्र मिला है कि मध्य प्रदेश में बिड़ला उद्योग समूह द्वारा नियंत्रित कागज-मिलों सम्बन्धी दस्तावेजों में बिड़ला बन्धुओं ने हेर-फेर करने का प्रयत्न किया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर भी आकर्षित किया गया है कि इन दस्तावेजों का सम्बन्ध उस जांच-समिति से है जो कि बिड़ला उद्योग समूह सहित बड़े-बड़े उद्योग समूहों के बारे में जांच कर रही है ; और

(ग) इन दस्तावेजों को अधिकार में करने तथा उन्हें जांच समिति को सौंपने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) राज्य सरकार से इस विषय पर पत्राचार चल रहा है।

कारों के मूल्यों में वृद्धि

344. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या यह सच है कि तीन कार निर्माताओं ने सरकार को बिना बताये ही अपनी कारों के मूल्यों में कुछ वृद्धि कर दी थी ;

(ख) क्या सरकार ने निर्माताओं के लिए कानूनी मूल्य निर्धारित कर दिये हैं तथा कुछ सीमा तक मूल्य में कुछ वृद्धि करने की निर्माताओं की मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माताओं ने कानूनी तौर पर मूल्य नियंत्रण के प्रति विरोध स्वरूप इन गाड़ियों की बिक्री तथा उत्पादन को रोक देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने निर्माताओं को कानूनी मूल्य स्वीकार कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कार निर्माताओं में दो निर्माताओं ने सरकार को बताए बिना अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दीं। तीसरे निर्माता ने ऐसा नहीं किया।

(ख) जी हां।

(ग) नहीं जी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हावड़ा-बरौनी सवारी गाड़ी (329 अप) का समस्तीपुर (पूर्व रेलवे) तक विस्तार

345. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बरौनी सवारी गाड़ी (329 अप) को समस्तीपुर तक बढ़ाने के बारे में सरकार के पास कोई सुझाव आया है ;

(ख) क्या उस विस्तार से भागलपुर और मुंगेर जिलों के निवासियों को समस्तीपुर से चलने वाली गाड़ियां पकड़ने में कोई सहायता नहीं मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यातायात की दृष्टि से औचित्य के प्रश्न के अलावा फिलहाल समस्तीपुर में अपेक्षित पर्यन्त सुविधाओं की कमी के कारण 329 अप/330 डाउन हावड़ा-बरौनी सवारी गाड़ियों को समस्तीपुर तक चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

भागलपुर और मुंगेर जिलों के स्टेशनों से समस्तीपुर तक और वहां से वापसी में सीधे आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा और समस्तीपुर के बीच सीधे जाने वाला तीसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा पहले से ही उपलब्ध है, जो 329 अप/330 डाउन हावड़ा-बरौनी सवारी गाड़ियों और 21 अप/ 22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाया जाता हैं। समस्तीपुर तक और वहां से वापसी के लिए बरौनी में 329 अप/ 330 डाउन गाड़ियों के 1 अप/2 डाउन अवध-तिरहुत मेल गाड़ियों से मेल की व्यवस्था भी की गयी है।

साहिबगंज लूप सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर मसुदन रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग का निर्माण

346. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के साहिबगंज लूप सैक्शन पर मसुदन रेलवे स्टेशन पर रेलवे साईडिंग बनाने के बारे में सरकार को कोई पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों में न निपटाये गये क्रयादेश

347. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1969 को उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कितने क्रयादेश पूरे करने के लिये लम्बित थे ;

(ख) वे किन-किन वस्तुओं के तथा कितने मूल्य के हैं तथा ये क्रयादेश कब प्राप्त हुए थे तथा उनकी क्रियान्विति अब किस स्तर पर है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा इस्पाती प्लाटों के लिये दिये गये क्रयादेश बहुत समय से लम्बित है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात के निर्यात पर प्रतिबन्ध

348. श्री एस० आर० दामानी : इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी के सामान के निर्माताओं द्वारा सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं कि देश में इस्पात की अत्यधिक कमी को देखते हुए उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात की वर्तमान कमी को देखते हुए इंजीनियरी के सामान के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या इस्पात का निर्यात अधिक उचित तथा लाभदायक है अथवा इस्पात से निर्मित इंजीनियरी के सामान का निर्यात ;

(घ) अनुमानित कमी कितनी है तथा अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस्पात पुनर्वेलकों ने विलेट के निर्यात के बारे में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। सरकार की नीति यह है निर्यात बाजार से सम्पर्क बनाये रखने के लिए आवश्यक मात्रा में निर्यात को छोड़कर दुर्लभ किस्म के इस्पात का निर्यात न किया जाय।

(ख) सरकार ने इस प्रकार से होने वाली हानि को रोकने के लिए इंजीनियरी उद्योग को निर्यात के लिए आवश्यक दुर्लभ किस्म के इस्पात उपलब्ध कराने के लिए इसका आयात करने का फैसला किया है।

(ग) यद्यपि साधारण तथा इंजीनियरी सामान का निर्यात इस्पात के निर्यात की तुलना में अधिक लाभप्रद है तथापि यह राष्ट्र हित में न होगा कि इस्पात को बिलकुल छोड़कर केवल इंजीनियरी सामान के निर्यात पर ही पूरा ध्यान दिया जाय। ऐसी नीति से इस्पात निर्यात के बाजार में भारत की स्थिति कमजोर हो जायेगी और वर्तमान कमी की स्थिति खत्म होने पर भी इस्पात के निर्यात को फिर से चालू करना कठिन हो जायेगा।

(घ) कुछ प्रकार के इस्पात की विशेष रूप से कमी है जैसे चपटे पदार्थ। दुर्लभ किस्म के माल को आयात करने के अस्थाई अभ्युपाय के अतिरिक्त ऐसे उत्पादों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन चूंकि इस्पात उद्योग में परिपक्वता-प्राप्ति की अवधि काफी लम्बी होती है इसलिए उत्पादन की मांग के समतुल्य करने में कुछ समय लगेगा।

उत्पादन में 'मध्यम क्षेत्र' वस्तुएं

349. श्री एस० आर० दामानी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी ऐसी विभिन्न वस्तुएं 'मध्यम क्षेत्र' में आती हैं जिनकी 'दत्त समिति' ने बड़े औद्योगिक गृहों से अलग रखने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इस नीति का उत्पादन तथा उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव न पड़े ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने किसी भी उद्योग को विशेष रूप से मध्यम क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रखा है। समिति के अनुसार 'अभ्यंतर क्षेत्र' के उद्योगों के सिवाय अन्य सभी उद्योग तथा वे जो विशेष रूप से लघु स्तर क्षेत्र के लिए सुरक्षित है अथवा जिन पर आगे के लिए लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध है, इस क्षेत्र (मध्यम क्षेत्र) में सम्मिलित होंगे।

(ख) तथा (ग). समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं तथा अपेक्षित पहलुओं और बातों पर विचार करने के पश्चात औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

Aid for Industrial Development in U. P.

350. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Uttar Pradesh has sought assistance to the tune of Rs. 4,000 million from the Central Government for industrial development of the State as reported in a six page statement published in the daily "Aj" dated the 20th September, 1969 ; and

(b) if so, whether a copy of the said Statement alongwith the reaction of the Central Government thereto would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Hiring of Vehicles during Elections

351. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 601 on the 19th August, 1969, regarding the hiring of vehicles during Elections and state :

(a) whether the Election Commission has since considered the various proposals regarding hiring of vehicles during the Elections ;

(b) if so, the broad conclusions reached or recommendations made by the Commission ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Commissson is presently engaged in giving shape to the recommendations which they propose to make in this behalf in the form of specific amendments to the Representation of the People Act, 1951.

Development of Industries

352. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3973 on the 19th August, 1969 and state :

(a) whether the replies sent by the various State Governments and the details of the information compiled by the Central Government have since been typed ; and

(b) if so, the complete details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) 12 copies of the English Version of the Statement referred to in the reply given in Lok Sabha to Unstarred Question No. 3973, were sent to the Department of Parliamentary Affairs on 30-8-1969 and 12 copies of Hindi Version on 24-9-1969.

Complaint against Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi for Practising Untouchability

353. **Shri Molahu Prasad** : Will the Miuister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner has received any complaint about practising untouchability against Shri Kumar Pal, Director, Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is a fact that Shri Kumar Pal dumped dung manure near the windows of the houses of the Scheduled Castes living within the premises of the said Trust, cut off their electric connections, and cut off the tree branches near their houses and got the scavenging work of their houses stopped with a view to get the houses vacated ;

(c) whether some persons have submitted the photograph of the trees and manure the affidavit of Shri Giriraj Prasad Garg and poster of Lok Kalayan Sabha to the Commissioner as a proof thereof ; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The Commissioner for Secheduled Castes and Scheduled Tribes referred the complaint to the Deputy Commissioner, Delhi and the Inspector General of Police, Delhi for investigation. The Superintendent of Police, South District, New Delhi reported that the complainant and two others are tenants of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi. They are not paying rent etc. to the Trust and a case is pending in the Court of the Rent Controller, Delhi. A complaint under section 107/150 Cr. P. C. has also been sent to the S. D. M. Lajpat Nagar against both the parties. The allegation of discrimination on the group of caste has not been substantiated. A suitable reply has also been sent by the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the complainant.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव

354. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से जून, 1969 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कितने घेराव हुए तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कारखाने में बहुधा ऐसा घेराव होने के क्या कारण हैं ;

(ग) अवैध रूप से काम रोकने तथा घेराव करने के परिणामस्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) घेराव करने तथा अवैध रूप से काम को रोकने के कार्य को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जनवरी-जून 1969 की अवधि में 21 घेराव हुए। एक विवरण, जिसमें सम्बन्धित ब्यौरे दिए गए हैं, सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1978/69]

(ख) घेराव इसलिए किए जाते हैं कि प्रबन्धक-वर्ग पर दबाव डाला जाय जिससे वे रखी गई मांगें मान लें। घेराव इस्पात कारखाने में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में दूसरी जगहों पर भी हुए हैं।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेरावों के कारण कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है लेकिन कुछ विभागों में उत्पादन की हानि हुई है।

(घ) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घेरावों को अवैध घोषित किया है। जब कभी घेराव होते हैं उपयुक्त राज्य प्राधिकारियों से कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सहायता के लिए कहा जाता है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए प्रबन्धक-वर्ग मजदूरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सतत विचार-विनिमय भी करता रहता है। वैयक्तिक शिकायतों पर विचार करने के लिए शिकायत निवारण पद्धति भी विद्यमान है।

रेलवे यात्रियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं

355. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में पिछले बजट के बाद की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में उद्योग का विकास

356. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए उपक्रमी पश्चिम बंगाल में व्याप्त औद्योगिक असन्तोष को देखते हुए उस राज्य में उद्योगों को चलाने तथा उन में धन लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं ;

(ख) क्या वहां लघु उद्योग क्षेत्र इस से बहुत अधिक संकट का सामना कर रहा है ; और

(ग) क्या केन्द्र इस मामले में हस्तक्षेप करेगा ताकि राज्य में आर्थिक गति को बढ़ाया जा सके और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स एशियन केबल्स

357. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स एशियन केबल्स को 1000 टन पालिथलीन आयात करने को लाइसेंस दिया गया था, यद्यपि उन की जरूरत केवल 50 टन की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शेष पालिथलीन को काले बाजार में बेचा गया था ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है, और यदि हां, तो इस इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मामले की जांच की जा रही है ।

मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कंपनी लिमिटेड

358. श्री **राम कृष्ण गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स कोमेमन एण्ड कंपनी लिमिटेड का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन प्रशासन को मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कंपनी के चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उक्त कम्पनी ने कोई चन्दा दिया है ; और

(च) यदि हां, तो कितना चन्दा दिया है और किसको चन्दा दिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस कंपनी के निदेश मण्डल का पुनर्निर्माण बम्बई उच्च न्यायालय दिनांक 28 अगस्त, 1969, के निर्णय एवं आदेशानुसार किया गया है । इस निदेशक मण्डल में

11 सदस्य हैं, जिनमें पांच न्यायालय द्वारा, तीन सरकार द्वारा तथा तीन हिस्सेधारियों द्वारा मनो-नीत निम्नप्रकार से हैं :—

(क) न्यायालय के मनोनीत

1. श्री के० टी० देसाई अध्यक्ष

2. श्री एस० एम० दहानुकर

3. श्री के० एस० इन्जीनियर

4. श्री जी० ओ० देसाई

5. श्री जी० डी० पारिख— न्यायालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1969 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया।

(ख) सरकार के मनोनीत

1. डा० आर० के० हजारी

2. श्री एस० एम० कुमार मंगलम

3. श्री एच० एम० त्रिवेदी

(ग) हिस्सेधारियों के मनोनीत

1. श्री मौलिचन्द्र शर्मा

2. श्री नरेन्द्र कुमार

3. श्री ए० के० जैन—प्रारम्भ में डा० एल० एम० सिंघवी, नियुक्त किये गये थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर हिस्सेधारियों के अभ्यंश के प्रति हिस्सेदार निदेशकों के सहवृत द्वारा कर दिये गये हैं।

सर्व श्री एस० पी० जैन, जी० सी० जैन, ए० पी० जैन तथा श्रीमती रामा जैन, को कंपनी के कार्यकरणों में हस्तक्षेप करने तथा अन्तर्क्षेप करने में निमन्त्रित कर दिया गया है।

(ग) हां, श्रीमान् । श्री डी० के० कुन्टे, भूतपूर्व अध्यक्ष ने कम्पनी की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया है।

(घ) कम्पनी के प्रबन्ध के पुनर्गठन की बाबत, न्यायालय के आदेश के लिये कंपनी का संकल्प प्रस्तुत करने में अन्य निदेशकों की असहमति तथा इस बाबत, उनके द्वारा किये गये इस आलम्ब से न्यायालय में आलोचना।

(ङ) और (च). कंपनी द्वारा गत पूर्व तीन वर्षों के मध्य दिये गये चन्दों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में उद्धृत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1179/69]

मुस्लिम वैयक्तिक विधि में सुधार

359. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण वर्ग यह मांग कर रहा है कि मुस्लिम विधि में सुधार किया जाए ;

(ख) क्या मुस्लिम वैयक्तिक विधि में सुधार से उनकी सामाजिक स्थिति सुधर जायेगी तथा उनके लिए राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बन जाना सुकर हो जाएगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) सरकार को ऐसी किसी मांग की जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वे वर्तमान वैयक्तिक विधि के अधीन राष्ट्रीय जीन के अभिन्न अंग नहीं हैं।

सस्ता तथा शीघ्र न्याय

360. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सस्ते तथा शीघ्र न्याय की व्यवस्था करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या सरकार जरूरतमन्द व्यक्तियों को उनके उचित तथा वैध मामलों के लिये विधिक सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए अभिवचन (पापर) के अर्थ में परिवर्तन करने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ग). सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 18 नवम्बर, 1968 को राज्य सभा में पेश किया गया था। इस बारे में विस्तृत जानकारी सिविल प्रक्रिया संहिता पर विधि आयोग की 27 वीं रिपोर्ट में भी उपलभ्य है, जो सदन के पटल पर पहले ही रख दी गई है।

(ख) जरूरतमन्द व्यक्तियों को विधिक सहायता देना राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार का इस विषय से सम्बन्ध नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किया गया स्टेनलैस स्टील

361. **श्री से० ब० पाटिल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाये स्टील प्लांट, दुर्गापुर, ने बहु-प्रचारित 'थैकरन' स्टेनलैस स्टील का

प्रयोगात्मक निर्माण आरम्भ कर दिया है, जिसका लगभग बारह वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आविष्कार किया गया था और एकस्व कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग किस वर्ष में किया गया था और कितनी मात्रा में यह तैयार किया गया और इस आविष्कार के द्वारा वस्तुत: निर्मित स्टेनलैस स्टील का तब बाजार भाव क्या था ;

(ग) इस प्रयोग पर कुल कितना धन खर्च आया और देशी कच्चे माल का मूल्य कितना था तथा प्रयोग में लाये गए आयातित विशेष मिश्रधातु की लागत कितनी थी ;

(घ) क्या इस तरीके से तैयार किये गये स्टेनलैस स्टील की कभी जांच की गई है और यदि हां, तो जांचकर्ता अधिकारी का नाम क्या था और जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ङ) क्या इस प्रकार तैयार किया गया स्टेनलैस स्टील भविष्य में जाँच और निरीक्षण तथा प्रयोग के लिये उपलब्ध है ; और

(च) स्टेनलैस स्टील की अत्यन्त तथा बढ़ती हुई कमी को देखते हुए यह बताया जाये कि यह निर्णय करने में, कि क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के आविष्कार के अनुसार स्टेनलैस स्टील का निर्णय करना लाभदायक होगा या नहीं, बारह वर्षों का इतना लम्बा समय क्यों लगाया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां । दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने के "थैकरन" प्रक्रिया से बे-दाग इस्पात का प्रयोगात्मक उत्पादन आरम्भ किया है ।

(ख) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने ने इस इस्पात का प्रयोगात्मक उत्पादन 1968 में आरम्भ किया था । इन्डक्शन भट्टी में इस प्रक्रिया से 4 टन बे-दाग इस्पात तैयार किया गया । हाल में विद्युत चाप भट्टी में 10 टन माल और पिघलाया गया है । अभी तक यह माल बाजार में बेचने के लिए नहीं भेजा गया है, अत: बाजार भाव मालूम नहीं है । इसी तरह के साधारण बे-दाग इस्पात का बाजार भाव लगभग 20,000 रुपये प्रति टन है ।

(ग) इस प्रयोग पर किया गया कुल खर्च 40,000 रुपये के लगभग था । देशीय तथा आयातित माल की लागत नीचे दी गई है :

	4 टन इस्पात के लिये	प्रति टन
	रुपये	रुपये
देशीय कच्चे माल की लागत	6134.00	1534.00
आयात किये गये इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज की लागत — —	2000.00	5000.00
	8134.00	2034.00

(घ) जी, हां। तैयार किये गये बे-दाग इस्पात का मिश्र-इस्पात कारखाने की प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया है। उसके परिणाम नीचे दिये गये है :

इस्पात अवस्था	आतनन शक्ति	उत्पादन क्षमता	कोणीयान्तर	एरिस्कव कट टेस्ट
तापानाशीतित द्रव्य संक्षरण परिणाम	82 Kg/mm²	57 Kg/mm²	43.0%	11.5 mm

65% शोरे का तेजाब उबलता हुआ	1.66 Rills per month
निम्बु के रस में नमक मिला कर इमली की खटाई और नमक इत्यादि	वैसा हो जैसा कि अमरीकन मानक AISI 302 के बे-दाग के इस्पात पर होता है।
15% गन्धक का तेजाब	संक्षारण को रोकने की शक्ति कम बे-दाग इस्पात AISI 430 के तुल्य

(ङ) जी, हां।

(च) इस विधि से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व, इस विधि की मितव्ययिता, होने वाले उत्पादन, प्राप्त होने वाले रद्दी माल के उपभोग और उपभोक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर और अधिक निर्णायक ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन का सुधार

362. **श्री श्री चन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अच्छे प्रतीक्षालयों तथा जलपान गृह की व्यवस्था करके इस वर्ष चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन को सुधारने का निर्णय किया था ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : चण्डीगढ़ से स्टेशन की नयी इमारत की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। जिसमें प्रतीक्षालय, चाय की दुकान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी।

रेलवे आउट एजेंसियां

363. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से हिमाचल सरकार परिवहन द्वारा गागरेट भारवेन, प्रागपुर, ज्वालामुखी नादौन आउट एजेंसियों तथा सिटी बुकिंग एजेंसी को चलाने के बारे में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर है ?

रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं

(ख) सवाल नहीं उठता।

ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर पेय जल की व्यवस्था

364. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन पर लगा पेय जल का बर्मा (हैंड पम्प) नाली की लम्बाई कम होने के कारण पर्याप्त मात्रा में पूरा पानी नहीं दे रहा है, यद्यपि वहां पर काफी जल है ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार पर्याप्त मात्रा में जल निकालने के उद्देश्य से इसे और गहरा खोदने और लम्बी नाली डालने तथा बिजली का इंजन लगा कर चलाने तथा उच्च तल पर पानी की एक टंकी की व्यवस्था करने का है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कोपर लहर (उत्तर रेलवे) में पम्पिंग स्टेशन

365. **श्री हेमराज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गयी है कि कोपर लहर स्थित पम्पिंग स्टेशन गर्मियों में सूख जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे हटाकर ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर ले जाने और वहां पर एक पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने का है ताकि बानगंगा नदी से पेय जल के लिए तथा इंजनों के लिए पानी की स्थायी रूप से सप्लाई उपलब्ध हो सके ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कोपर लहर में पानी का स्रोत गर्मी में नहीं सूखता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति

366. **श्री जय सिंह :**　　　　　**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदनों की तथा समिति को सौंपे गये कुछ विशिष्ट आरोपों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के विशेष प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमितताओं, कमियों तथा अनौचित्य के दृष्टांत पर तथा बिड़ला समूहों के विरुद्ध विशेष आरोपों जिनके बारे में समिति विस्तृत जांच कराने में सक्षम नहीं थी के बारे में सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ऐसे माप्लों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है। इस प्रस्तावित आयोग की संरचना तथा इसके विचारणीय विषय के बारे में शीघ्र ही घोषणा होगी। औद्योगिक लाइसेंस नीति के संबंध में समिति की अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए योजना में धन का नियतन

367. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में किये गये केन्द्रीय निदेश की प्रतिशतता को पृथक-पृथक बताते हुए क्या पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा भारी उद्योगों के लिए सभी राज्यों को किये गये धन के नियतन सम्बन्धी जानकारी को एकत्र कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कब तक एकत्र कर लिया जायेगा।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां

(ख) एक विवरण ग्रन्थालय में रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1980/69]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टर परियोजना

368. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के इस अनुरोध पर कि भारत सरकार द्वारा चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रैक्टर परियोजना स्थापित की जाये, विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जैसा कि लोक सभा में 12 अगस्त, 1969 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3146 के भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है कि पंजाब सरकार के निवेदन पर अन्तिम निर्णय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के विचार प्राप्त हो जाने और उनकी जांच कर लेने तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात किया जाना था। चैकोस्लोवाकिया के अधिकरण के सहयोग से अपने पिन्जौर एकक में जीटर-2011 ट्रैक्टर बनाने का अब ठोस प्रस्ताव सरकार को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० से प्राप्त हो गया है। सरकार के पास सैन्ट्रल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन निर्मित ट्रैक्टर स्वाराज-20" के बनाने के बारे में भी प्रस्ताव आये हैं (सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिए किस माडल को अपनाया जाए इस दृष्टि से ये दोनों वैकल्पिक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। सरकारी क्षेत्र में तैयार किये जाने वाले ट्रैक्टर के माडल का निर्णय हो जाने के पश्चात ही पंजाब सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।

मैसर्स शुल्टन एण्ड रेवलोन द्वारा प्रसाधन सामग्री का उत्पादन

369. **श्री जय सिंह : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शूटन एण्ड रेवलोन द्वारा भारत में बनाई जाने वाली प्रसाधन सामग्री जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी तथा अगस्त 1969 में प्रश्न का उत्तर देने में क्या कठिनाईयाँ थीं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण के लिए अमरीका के मे० रेवलोन इंटरनेशनल कारपोरेशन के साथ कलकत्ता के मे० अमीचन्द प्यारेलाल के सहयोग प्रस्ताव को दिसम्बर, 1962 में स्वीकृति दे दी गई थी। निर्दिष्ट शर्तों में से एक शर्त उत्पादन शुल्क, बिक्रीकर आदि के अतिरिक्त 50 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन मूल्य के निर्यात की गारन्टी है। किन्तु परियोजना क्रियान्वित न हो सकी।

गोश्रा में लघु उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण के लिए मे० फार्म्स मेसियाज मेजेंज, गोश्रा को मे० शाल्टन ग्रेट ब्रिटेन लन्दन के साथ विदेशी सहयोग करने के लिए 31 दिसम्बर, 1964 को अनुमति दे दी गई थी। स्वीकृति में यह एक शर्त थी कि विदेशी मुद्रा की राशि की लागत में मिलने वाले कच्चे माल तथा विदेशी विनियोजन के लाभांश की दूनी राशि से कम का निर्यात नहीं होना चाहिए।

श्रृंगार प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए मे० लक्में लि० तथा मे० रेवलोन के बीच सहयोग के किसी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं हो गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी

370. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री 12 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी० वी० मुकर्जी द्वारा दिये गये निर्णय को जिसमें भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी० पी० सिन्हा के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील के निर्णय को एक प्रमाणित प्रति अभी सरकार को उपलब्ध नहीं हुई है।

ओलावाकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना

371. **श्री ई० के० नायनार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1669 की हड़ताल के बाद दक्षिण रेलवे में विशेषता ओलावाकोट डिविजन में रेलवे के कितने अस्थायी कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया था ; और

(ख) क्या सरकार इनकी मुअत्तिली पर पुनर्विचार करेगी तथा मुअत्तिल किये गये रेलवे कर्मचारियों को पुन : काम पर आने की सुविधा देगी और यदि हां तो कब तक ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख). सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे पर किसी अस्थाई कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया गया।

लेकिन प्रारम्भ में 296 स्थायी कर्मचारी (जिनमें से 68 ओलावाक्कोड मण्डल के थे) दक्षिण रेलवे पर निलम्बित किये गये थे, इन सभी कर्मचारियों के मामलों पर सरकारी विनिश्चय के अनुसार समय समय पर पुनर्विचार किया गया है और अबतक 260 कर्मचारियों को फिर से काम पर लिया जा चुका है। यह विनिश्चय किया गया है कि ओलावाक्कोड मण्डल के 26 कर्मचारियों को फिर से काम पर न लिया जाय।

राज्यों में वरिष्ठ सदनों का समाप्त किया जाना

372. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में वरिष्ठ सदनों को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में वरिष्ठ सदन समाप्त किये जा चुके हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) 1. पश्चिमी बंगाल और 2. पंजाब।

(ग) पश्चिमी बंगाल राज्य में वरिष्ठ सदन समाप्त कर दिया गया है।

(घ) पंजाब राज्य की विधान परिषद् को समाप्ति सम्बन्धी विधेयक संसद द्वारा विचार किये जाने के लिए लम्बित है।

रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

373. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**　　　　**डा० सुशीला नैयर :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हाल में रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 1969 से 30 अक्तूबर, 1969 तक कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) ये दुर्घटनायें किन किन राज्यों में हुई हैं ;

(घ) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा जख्मी हुए ;

(ङ) प्रत्येक दुर्घटना में रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(च) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (च). 1-1-69 से 31-10-1969 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली 813 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि 1968 के पूरे वर्ष में ऐसी 946 दुर्घटनाएं हुई थीं।

चूंकि राज्य रेल प्रशासनों के लिए प्रशासनिक इकाई नहीं है इसलिये गाड़ी दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार रखे जाते हैं जनवरी, 1969 से अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में जो गाड़ी दुर्घटनाएं हुई उनके रेलवेवार आंकड़े और हताहतों की संख्या तथा उनमें रेल सम्पत्ति को जितनी क्षति हुई उसके आंकड़े नीचे दिखाये गये हैं :

क्रम संख्या	रेलवे	कुल गाड़ी दुर्घटनाएं	हताहत		रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की अनुमानिय रकम
			मरे	घायल	
1.	मध्य	84	3	21	5,86,359
2.	पूर्व	40	6	37	17,73,646
3.	उत्तर	111	36	95	9,27,837
4.	पूर्वोत्तर	74	81	160	11,67,601
5.	पूर्वोत्तर सीमा	116	18	53	9,94,654
6.	दक्षिण	90	21	44	6,70,840
7.	दक्षिण मध्य	130	–	35	12,57,503
8.	दक्षिण-पूर्व	70	91	195	13,19,032
9.	पश्चिम	98	3	47	6,39,542
	जोड़	813	259	687	93,37,014

चूंकि कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण है, इसलिए रेलों के सुरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना जागृत करने और यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि ये कर्मचारी संरक्षा के निर्धारित नियमों को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अलावा, यह देखने के लिये स्थानिक जांच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा के नियमों का उल्लंघन न करें और संक्षिप्त विधि न अपनायें। सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उनके लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों को निवारक दण्ड दिया जाता है। इनके अलावा, यदि किसी जांच से कोई त्रुटि या दोष प्रकाश में आता है तो उनकी आवृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है। सुधरी हुई सिगनल व्यवस्था और अन्तर्पाश रेल पथ परिपथन आदि के रूप में यथासम्भव अधिकाधिक औद्योगिक सुधार भी किये गये हैं। दुर्घटनाएं रोकने के

लिए किये गये उपायों की सफलता का पता इस तथ्य से लगता है कि 1968-69 में चालित 4606 लाख गाड़ी किलोमीटर के पीछे गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार पर घटित दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटि में आने वाली केवल 908 गाड़ी दुर्घटनायें हुईं जबकि 1951-52 में चालित 2982 गाड़ी किलोमीटर के पीछे ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 1939 थी। इस तरह यद्यपि 1951-52 से लेकर यातायात में 54.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि गाड़ी दुर्घटनाओं में 53.2 प्रतिशत कमी हुई है।

रेल दुर्घटना जांच समिति—1968 ने भी अपनी रिपोर्ट के भाग 1 में कहा है कि 1962-63 को समाप्त होने वाली 6 वर्ष की अवधि की तुलना में 1967-68 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों में दुर्घटनाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है।

बिहार में सीमेंट उद्योग

374. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार राज्य में नये सीमेंट उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन उद्योगों को कहां-कहां स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

375. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के पास औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत बिहार राज्य में प्राप्त कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) ये आवेदन पत्र किस किस दिनांक को प्राप्त हुए थे ; और

(ग) इन आवेदन पत्रों के निपटाने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 31 अक्टूबर, 1969 तक बिहार से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों में से अभी 67 आवेदन पत्र निपटाने के लिये पड़े हुए है। इनमें से 41 आवेदन पत्र 1969 में प्राप्त हुए थे जबकि बाकी के पिछली अवधि से संबंधित थे।

(ग) लाइसेंस देने की नीति में ही कुछ बिलम्ब निहित है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व प्रत्येक योजना पर अनेक प्राधिकारियों जैसे विभिन्न मंत्रालय तकनीकी प्राधीकारी तथा संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना होता है। कुछ मामलों में स्थिति गंभीर हो हो जाती है क्योंकि प्रार्थी अपनी योजना के आवश्यक पहलुओं पर से व्यवस्था को निर्माण कार्यक्रम, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना, विदेशी सहयोग की शर्तें आदि की पूर्ण सूचना नहीं देते तथा स्पष्टीकरण के लिए उन्हें प्रायः लिखना पड़ता रहता है। फिर, कुछ मामलों को नीति संबंधी निर्णय लिये जाने के कारण अनिर्णीत रख दिया जाता है। कुछ मामलों में विशेष उद्योग परीवीक्षणाधीन होते हैं और वह सभी आवेदनपत्र एक साथ ही लिये जाते हैं।

सफेद छपाई कागज की कमी

376. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सफेद छपाई कागज की कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कागज की कमी के कारण कीमत बहुत बढ़ गई है ;

(ग) सफेद छपाई कागज का वार्षिक उत्पादन तथा मांग क्या है ; और

(घ) सफेद छपाई कागज की कीमत को कम करने तथा इस की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) नहीं। उद्योगों के अनुसार कीमतों में वृद्धि का कारण उद्योग में उत्पादन मूल्य की वृद्धि बताया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों में छपाई और लिखाई के कागज का वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :

1966		3,81,240 मी० टन
1967		3,77,628 मी० टन
1968		3,91,430 मी० टन
1969	(अनुमानित)	4,00,000 मी० टन

छपाई कागज की वर्तमान उत्पादन पर करीब करीब पूरी मांग । आवश्यकता को पूरा कर रहा है ।

(घ) कागज़ उद्योग की संयुक्त समिति को कहा गया है कि वह सरकार के साथ बिना विचार विमर्श किये मूल्यों में और वृद्धि न करे । सरकारी क्षेत्र में लिखाई तथा छपाई के कागज के लिए क्षमता स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

रेलवे बोर्ड के एक दल का जापान का दौरा

377. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे बोर्ड का कोई दल सितम्बर, 1969 के महीने में जापान गया था ;

(ख) यदि हां, तो दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) जापान में इस दल के दौरे का क्या उद्देश्य था ; और

(घ) किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था और किन किन विषयों का अध्ययन किया गया था तथा किए गए किसी करार का व्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख)(1) श्री जी० डी० खण्डेलवाल, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव ;

(2) श्री के० एस० सुन्दर राजन, वित्त आयुक्त, रेलवे और भारत सरकार के पदेन सचिव ;

(3) श्री के० सी० सूद, सदस्य, इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड, और भारत सरकार के पदेन सचिव ;

(4) श्री० ए० चौधरी, निदेशक, रेलवे योजना, रेलवे बोर्ड ; और

(5) श्री एस० एन० भट्ट, संयु त निदेशक (वित्त) रेलवे बोर्ड ।

(ग) और (घ). इस शिष्ट मंडल का उद्देश्य तथा जिन मामलों पर बहस हुई, उनका सम्बन्ध निम्नलिखित विषयों के अध्ययन से था :

(1) जापान में महानगरीय परिवहन प्रणाली विशेषकर व्यस्त घन्टों में गाड़ियों का परिचालन और उसकी तुलना में डेड-एण्ड टर्मिनलों की सीमाएं तथा जापानी राष्ट्रीय रेलों की तीव्रगामी सवारी गाड़ियां ;

(2) तेज रफ्तार के लिये जापानी राष्ट्रीय रेलों द्वारा अपनायी गयी तकनीक । कोई ठेका नहीं किया गया था ।

बोकारो इस्पात कारखाने को पूरा करना

378. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाना वर्ष 1971 तक बन कर पूरा नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या मुख्य कारण हैं :

(ग) यदि इस्पात कारखाने के बनकर पूर्ण होने में और अधिक देरी होती है तो इस से कितनी हानि होगी ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रूस ने समय पर कुछ मशीनों की सप्लाई नहीं की थी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार द्वारा हाल में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बोकारो कारखाने की प्रथम धमन भट्टी 1971 के अन्त तक तैयार हो जानी चाहिए । बोकारो के 1.7 मिलियन टन का प्रथम चरण सम्पूर्ण रूप से मार्च 1973 तक पूरा हो जायेगा ।

(ख) यद्यपि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम धमन भट्टी दिसम्बर, 1971 तक तैयार हो जायेगी, पिछले निर्माण कार्यक्रम में लगभग 9 मास की देरी हो गई है । यह देरी मुख्यतः कोक भट्टियों के निर्माण के लिए ऊष्मसह की सप्लाई में देरी और सिन्टरिंग प्लांट के लिए प्लेटों का आयात करने की आवश्यकता पड़ जाने के कारण हुई है ।

(ग) वास्तविक हानि यह हुई है कि कारखाने के उत्पादन आरम्भ करने की तिथि बढ़ जाने के कारण उत्पादन तब तक नहीं हो सकेगा ।

(घ) सोवियत संघ के साथ किये गये करार के अनुसार सोवित संघ द्वारा उपकरणों की सप्लाई में कोई चूक नहीं हुई है ।

मैसर्ज एशिया केबल्ज़ को पोलिथीन के पाइप/चादरों का निर्माण करने के लिये तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा अनुमति दी जाना

379. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री बंशनारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास मन्त्रालय के तकनीकी विकास के महा-निदेशक श्री बी० डी० कालेलकर ने वष 1969 में मैसर्ज एशियन केबल्ज को उत्पादन में विविध-करण के लिये पोलिथीन के पाईप एवं चादरें आदि का निर्माण करने की व्यक्तिगत रूप से अनुमति दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अनुमति विद्युत निदेशालय की जानकारी तथा परामर्श के बिना ही दी गई थी ; और

(ग) क्या श्री कालेलकर से सम्बद्ध कागजात विद्युत निदेशालय को नहीं भेजे तथा उन्हें अपने पास ही रख लिया था ; और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ; और

(घ) क्या उत्पादन का विविधिकरण नियमों के विरुद्ध था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). एशियन केबल्ज लि०, बम्बई के महा प्रबन्धक को श्री बी० डी० कालेलकर द्वारा लिखा बताये गये पत्र से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 22 अगस्त, 1969 को इस सदन में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Demand for Tractors

380. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri A. Sreedharan :
Dr. Sushila Nayar :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri K. Lakkappa :
Shri J. H. Patel :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of tractors required in the country and the number of tractors available ;

(b) the number of tractors Government propose to manufacture in private sector and public sector separately and the time by which these would be manufactured ;

(c) the number of tractors proposed to be imported and the names of the countries from which these would be imported during the next two years ; and

(d) the action being taken by the Government to reduce the cost of the tractors ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) According to the latest estimate made by the Department of Agriculture, the requirement of tractors during the current year, which includes the unsatisfied demand over the past few years, is 125,000 Nos. The indigenous production during the current year is expected to be about 20,000 Nos. In addition about 15,500 tractors which were cleared for import last year are expected to be available this year.

(b) There is at present no public sector factory manufacturing tractors. Production by the existing private sector units is expected to be about 20,000 Nos. during the current year.

(c) Arrangements are being made to import about 35,000 tractors during the current year. The sources from which these imports will be made have yet to be finalised and the matter is currently under active consideration. The programme of imports for the next year has not yet been considered.

(d) For various reasons, the cost of production of tractors as of several other engineering products in our country is high compared to the cost of imported tractors. With a larger volume of production in the country and further improvement in the efficiency of production in the manufacturing units, Government hope that the production cost of tractors will go down.

Schools, Colleges and Sarais built by Waqf Board

381. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) number of schools, colleges and sarais built by the Waqf Board for Muslims during the last three years ;

(b) whether any Waqf Board implemented some big schemes for the welfare of Muslims during the last three years ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has been misusing the property and money belonging to the Waqf Board ; and

(d) if so, the action being taken by Government to stop this malpractice ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as received.

रेलवे लाइनों की तोड़ फोड़ की कार्रवाइयां

382. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बंश नारायण सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी वांचू समिति ने कहा था कि राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने रेलवे लाइनों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया था ;

(ख) पुलिस ने वर्ष 1966-67 में 1968-69 तक तोड़-फोड़ के कितने मामले पकड़े ।

(ग) तोड़-फोड़ की इन कार्रवाइयों के लिये कितने अपराधी पकड़े गये थे और कितने मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल रही ;

(घ) तोड़-फोड़ की इन कार्रवाइयों में अन्तर्ग्रस्त राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) सरकार ने तोड़-फोड़ के ऐसे कृत्यों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) 18 मामले ।

(ग) 11 मामलों में 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 7 मामलों में पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा सकी ।

(घ) पुलिस ने इस तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में किसी राजनीतिक दल के शामिल होने की कोई सूचना नहीं दी है ।

(ङ) रेलवे लाइन से छेड़-छाड़ आदि जैसी तोड़-फोड़ की कार्रवाई और अनुचित हस्तक्षेप

के विरुद्ध रेलवे लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मूल दायित्व राज्य सरकार का है लेकिन रेलों का भी इनसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इसलिए रेलों ने भी इन अपराधों की रोक थाम के लिए कुछ उपाय अपनाये हैं जैसे भेद्य क्षेत्रों में पुलिस के सहयोग से रेल सुरक्षा दल और इंजीनियरी गैंगमैनों द्वारा लाइन पर गश्त लगाना तोड़-फोड़ करने वालों के बारे में सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार देना और रेलवे लाइन पर नियुक्त मजदूरों के चाल चलन के बारे में समुचित छान बीन करना। राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि रेलवे लाइन के समीप वाले गांवों में शिक्षाप्रद प्रचार किये जाए, लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गांव वालों पर डाली जाय और जहां कहीं भी ग्राम रक्षा समितियां हों, उनकी सहायता प्राप्त की जाय और गांव की प्राथमिक पाठशालाओं में इन विषयों पर उपयुक्त पाठ शामिल किये जाएं।

Annual Tours Undertaken by Divisional Superintendents on Northern Railway

383. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Divisional Superintendent of the Northern Railway undertook annual tours during the last six months ?

(b) if so, the total expenses incurred on their T. A. and D. A. and the number of members of staff, Division-wise, who accompanied them ; and

(c) the complaints lodged with them during the said inspection tours and the action taken thereon ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Unutilized Wagons in Goods Trains Between Kishanganj (Delhi) and Bhatinda

384. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 50 per cent of the wagons in UP and Down Goods trains running between Kishanganj (Delhi) and Bhatinda, remain vacant ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No. The percentage of empty movement during the last 3 months has varied between 3 to 8% in UP direction (Delhi to Bhatinda) and 25 to 60% in the Down direction (Bhatinda to Delhi).

(b) The major commodities received in the area are coal, iron and steel, fertilisers, cement, firewood etc. Out of these coal, iron and steel, firewood etc. are received in open, BOXs and BFR type wagons which are unsuitable for loading foodgrain traffic offering in the area. As such the released open empties and BFRs from this area are worked empty in the Down Direction to collieries and Steel Plants for further loading of these commodities.

Covered empties released from cement and fertilizer traffic are, however, utilised for loading of foodgrains from this area. During the busy season when rabi and kharif crops are offered for despatch from the area, inward covered empties materialising in the area are not sufficient to cope with the demands, and, therefore, during this period empty covered stock has also to be hauled from Delhi area in the Up direction for clearing foodgrain traffic.

वक्फों की प्रबन्ध, व्यवस्था के लिये राज्य वक्फ बोर्डों को अनुदेश

385. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सम्पत्ति के सीधे प्रबन्ध के बारे में राज्य वक्फ बोर्डों को कोई आदेश जारी किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11-4-69 को वक्फ की सम्पति की सीधे व्यवस्था करने के बारे में वक्फ बोर्ड को निम्नलिखित निदेश जारी की है :

(1) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 43(क)(1) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वक्फ बोर्ड को अपने प्रबन्ध के अधीन 5 वर्ष से अधिक समय तक वक्फ की सम्पत्ति को नहीं रखना चाहिए और प्रत्येक वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ऐसी सम्पत्तियों की व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र उपयुक्त मुलवल्लियों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाए।

(2) बोर्ड के सीधे प्रबन्ध के अन्तर्गत सम्पत्तियों का हिसाब जो बोर्ड के सामान्य अधीक्षण के अधीन वक्फ से सम्बन्धित सम्पत्तियों से अलग रखा जाना चाहिए।

बोर्ड द्वारा बढ़ाए गए ऋण के मामलों में वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 47 के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों से पहले अनुमति प्राप्ति करनी होगी। वक्फ के अतिरिक्त निधि में से धन राशि उधार लेने अथवा बोर्ड के सीधे प्रबन्ध के अर्न्तगत सम्पतियों को निधियों में परिवर्तित करने में बोर्ड के सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए ऋण में वृद्धि करनी होगी तथा यह वक्फ अधिनियम की धारा 47 के उपबन्धों के अन्तर्गत होगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास

386. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो रेलवे के विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय को कब तक किये जाने की आशा है और इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास न दिये जाने के क्या कारण हैं, जब रेलवे अधिकारियों को पहले से ही ऐसे पास मिल रहे हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान इस विषय पर लोक सभा में 27-3-1968 को पूछे अतारांकित प्रश्न 6147 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

दिल्ली/नई दिल्ली और नागपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाना

387. **न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली/नई दिल्ली और नागपुर के बीच राजधानी एक्सप्रेस की भांति एक रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से आरम्भ की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने के लिये मार्गों को प्राथमिकता दी गई है ।

नागपुर में छोटे कारों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

388. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों तथा समवायों ने नागपुर में छोटी कार बनाने के लिये लाइसेंस देने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन की प्रार्थना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देने वाले आवेदकों के नाम क्या-क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार को नागपुर में छोटी कार निर्माण के लिए उपक्रम स्थापित करने का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी महाराष्ट्र सरकार तथा कुछ अन्य संगठनों से प्रस्तावित छोटी कार परियोजना को नागपुर में स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि इन पर इसी आशय के अन्य राज्यों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के साथ छोटी कार परियोजना के बारे में निर्णय कर लिये जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

Contracts for Removal of Cinders and Coal from Stations on the North Estern Railway

389. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number and names of the Stations on the North Eastern Railway, where contracts were given for the removal of cinders and coal ;

(b) the number of the contracts given to the co-operative societies in 1968 and 1969 ;

(c) the number of contractors on whom fines and other penalities were imposed for committing irregularities and the number of times such fines were imposed in case of each contractor ;

(d) whether the contract of any contractor was also cancelled ;

(e) whether it is a fact that the contracts of only co-operative societies were either cancelled or not renewed while in the case of individual contractors, the contracts were not cancelled in spite of irregularities ; and

(f) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (f). The information is being collected from the Railway and will be placed on the Table of the House.

मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

390. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री 22 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को 4200 टन प्रति वर्ष की अस्थायी क्षमता के साथ ही भविष्य में भी ढोल और ड्रम बनाते रहने का काम करने का लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि अगस्त, 1955 में त्रमासिक कोटा 1200 टन तक बढ़ाने की उनकी प्रार्थना सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी और जब की सरकार को यह पता था कि उक्त कम्पनी ने 1957 में अनधिकृत रूप से नई मशीनें लगा ली थीं तथा अपनी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पुरानी मशीनों का नवीकरण कर लिया था।

(ख) क्या उक्त फर्म की अनधिकृत रूप से बढ़ाई गई क्षमता को मान्यता देने से यह संकेत नहीं मिलता कि उसके प्रति अनुसूचित रूप से पक्षपात किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अब उनकी क्षमता 3200 टन प्रति वर्ष रखने का है, जो उक्त कारखाने की गति तथा समय के अध्ययन के आधार पर 31 अगस्त, 1954 को निर्धारित की गई थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को अपना व्यापार चलाने का लाइसेंस दिये जाने की परिस्थितियों के बारे में निर्णय लिये जाने के बारे में 22 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर में लोक सभा को पहले ही बताया जा चुका है। लोक सभा 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) के 85 वे प्रतिवेदन के पृष्ठ 34 से 42 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। प्राक्कलन समिति द्वारा दी कई विभिन्न सिफारिशों के बारे में समिति को सरकार के विचारों से अवगत करा दिया जायेगा और सरकार को समिति द्वारा की गई सिफारिशों से अवगत कराने के बाद इस बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

खराब इस्पाती चादरों का सम्भरण

391. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री 22 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के अनुसार इस्पात निर्माता राज्यों के उद्योग निदेशालयों द्वारा प्रायोजित छोटे कारखानों को खराब किस्म की इस्पाती चादरों की कतरनें देते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि छोटे कारखाने घटिया किस्म की इस्पाती चादरों तथा कतरनों को बाजार में बहुत मंहगे दामों पर बेचते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच करायेगी और उन पक्षों को समुचित दण्ड देगी जो इस इस्पात को अपने कारखानों में प्रयोग में न लाकर बाजार में महंगे दामों पर बेचते हैं ताकि इस प्रकार के उनके कदाचार को रोका जा सके ; और

(घ) क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिससे ऐसी सामग्री वास्तविक उपभोक्ताओं को ही आवंटित की जा सके ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दोषयुक्त इस्पात की चादरों और चादरों को कतरनों के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अतः निर्माता अपनी के अनुसार लोगों को माल बेचने के लिए स्वतंत्र है। फिर भी, हिन्दुस्तान स्टील लि० से कहा गया है कि वे संबंधित राज्य के उद्योग निदेशक की सिफारिशों के अनुसार अपने कारखानों के दोषयुक्त माल का 90% अपने माल गोदामों की मार्फत वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचें। शेष 10% माल पहले के पड़े हुए आर्डरों के भुगतान के लिए दिया जायेगा।

(ख) से (घ). वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आगे माल बेचने का कोई विशिष्ट दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। यदि वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा माल बेचा भी जाता है तो भी कानूनी नियंत्रण न होने से सरकार के लिए दाण्डिक कार्यवाही करना किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। सरकार ने लोहे और इस्पात के वितरण की वर्तमान प्रणाली पर विचार करने और इसमें सुधार हेतु सिफारिशें करने के लिए सरकारी अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

सामाजिक नीति संकल्प

392. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री सामाजिक नीति संकल्प के बारे में 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक विकास परिषद् द्वारा तैयार किये गये सामाजिक नीति संकल्प पर योजना आयोग ने इस बीच अन्तिम रूपेण विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सामाजिक नीति संबंधी वक्तव्य को चौथी योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). सामाजिक नीति राष्ट्रीय विकास-योजनाओं का अभिन्न अंग है। सामाजिक विकास के लक्ष्य चतुर्थ पंच वर्षीय योजना मसौदा के दस्तावेज में भी परोक्ष रूप से विद्यमान हैं। इसलिए, सामाजिक नीति पर एक अलग विवरण इस स्तर पर आवश्यक नहीं समझा गया है।

समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी

393. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5634 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के 146 कर्मचारियों का वर्गवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ग के कुल कर्मचारियों की संख्या में उनकी प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) नीति के रूप में इस विभाग में इन जातियों से संबंधित अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए क्या निश्चित उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क)

	संख्या	प्रतिशतता
श्रेणी I	4	1.3%
श्रेणी II	11	9.32%
श्रेणी III	39	7.51%
श्रेणी IV	92	31.2%

(ख) यदि इन अधिकारियों को सभी मंत्रालयों में बांट दिया जाए तो यह बात हमारे उद्देश्यों के अनुसार होगी तथा उनके अपने हित में भी होगी।

पिछड़े वर्ग-कल्याण महानिदेशालय के कर्मचारी

394. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्ग कल्याण महानिदेशक के कार्यालय में पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उसके अधीन कितने उप-निदेशक हैं ;

(ग) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या निकट भविष्य में सभी श्रेणियों में उनकी संख्या काफी बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) इस समय कार्य कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III
12	8	53

(ख) इस समय 6 उप निदेशक कार्य कर रहे हैं।

(ग)

श्रेणी I		श्रेणी II		श्रेणी III	
अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
1	1	2	—	11	5

(घ) और (ङ). आरक्षण आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात करखाने का निर्माण पूर्ण होना

395. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1971 तक निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उष्मसह ईंटों तथा कारखाने के निर्माण-कार्य में काम आने वाले उपकरणों तथा मशीनों के अत्यधिक अभाव के कारण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मार्च 1971 के बाद एक महीने का विलम्ब होने पर सरकार को इस पर 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के अनुमान में स्थिति क्या है और निर्धारित अवधि में ही निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) हाल में निर्माण कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है और प्रथम धमन भट्टी समुदाय के

निर्माण के दिसम्बर, 1971 तक और 1.7 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता वाले प्रथम चरण के सारे उपकरणों के स्थापन के मार्च 1973 तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) यह देरी मुख्यतः कोक भट्टियों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊष्मसह की आपूर्ति में देरी और सिटरिंग संयंत्र के लिये प्लेटों के आयात की आवश्यकता पड़ जाने के कारण हुई है।

(ग) इस क्षति को केवल देरी की अवधि में संभावित उत्पादन की क्षति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

(घ) जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं जिससे आवश्यक माल की आपूर्ति में शीघ्रता हो और इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। कार्य की प्रगति पर विशेषकर नजर रखी जा रही है।

इस्पात कारखानों को हुई हानि

396. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के अनुसार सभी सरकारी इस्पात कारखानों में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में घाटा होता रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपेक्षित कार्य-परिणामों का ब्यौरे क्या है और उसके आधार तथा कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस्पात कारखाने के कार्य-फल कई बातों पर निर्भर करते हैं- जैसे उपलब्ध क्षमता तैयार किया जाने वाला माल, मांग, विक्रय मूल्य आ-दा लागत, श्रमिक स्थिति आदि। वर्तमान लागत और मूल्यों 1969-70 के उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति तथा अगले चार वर्षों में पूर्ण क्षमता के 90% उत्पादन के आधार पर हिस्दुस्तान स्टील लि० का अनुमान है कि राउरकेला इस्पात कारखाने को 1969-70 1973-74 की अवधि में 65 करोड़ रुपये का लाभ होगा जबकि इसी अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों को क्रमशः 3[illegible] करोड़ और 50 करोड़ रुपये की हानि होगी।

इस्पात की कमी

397. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी मात्रा में नर्म इस्पात को भारत से निर्यात किया जाता है जिससे देश में इसका अभाव हो जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से इस्पात का आयात करने की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति होने के क्या कारण हैं और ऐसी स्थिति पुनः न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में इस्पात की कुछ किस्मों का उत्पादन तो उनकी मांग से अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उस माल का बिन बिका स्टाक बढ़ता जा रहा है, और कुछ दूसरी किस्मों के इस्पात का उत्पादन इतना कम है कि उनका देश में अभाव बना रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उत्पादन कार्यक्रम को देश में इस्पात की मांग के अनुरूप न बनाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). साधारण इस्पात के निर्यात से ऐसी कमी नहीं हुई है जिसको आयात से पूरा करना आवश्यक हो। निर्यात नीति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और नियमानुसार केवल उन्हीं वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है जो घरेलू आवश्यकताओं से अधिक होती हैं और निर्यात बाजार से सम्पर्क कायम रखने के लिये भी कुछ निर्यात किया जाता है।

(ग) और (घ). इस समय किसी भी प्रकार के इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से अधिक नहीं है बल्कि चपटे पदार्थों की काफी कमी है। चूंकि इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के अधिष्ठापित क्षमता में अधिक अदला बदली की गुंजाइश नहीं है अतः मांग के अनुरूप उत्पादन में हेर-फेर करना सम्भव नहीं है।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुई हानि

398. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची को 1968-69 में और अधिक हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की हानि हुई है और मार्च 1969 तक उसे कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) उक्त परियोजना को लगातार घाटा होते रहने के कारण क्या हैं और ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे भविष्य में उसे समुचित लाभ हो ;

(घ) क्या सरकार के मतानुसार उक्त परियोजना की प्रारम्भिक हानि वाली अवस्था समाप्त हो चुकी है और यदि नहीं, तो कब तक इस स्थिति के समाप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों और पर्यवेक्षक की अधिक संख्या, अनावश्यक क्षमताओं पर अलाभकर पूंजीगत खर्च, तथा प्रबन्धकों की असमर्थता तथा लापरवाही से लगातार होने वाला उत्पादन का घाटा उक्त परियोजना के घाटे के मुख्य कारण हैं ; और यदि हां तो घाटे के इन कारणों में से प्रत्येक कारण का सापेक्ष ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी, हां । 1968-69 की हानि 14.66 करोड़ रुपये है तथा मार्च, 1969 तक की कुल हानि 40.73 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस प्रकार की और इस आकार की प्रायोजनाओं की परिपक्वता में काफी लम्बा समय लगता है, जिसमें दक्षता और उत्पादन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है । जिस अवधि में ये हानियां हुई उसमें निर्माण-कार्य चल रहा था और वे उत्पादन के आरम्भिक वर्ष थे जिनमें उत्पादन आरम्भ हुआ ही था । और धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा था ।

(घ) जी, नहीं । इसके अगले दो-तीन वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है ।

(ङ) जी, नहीं ।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर फैक्टरी

399. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने की एक फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब भी ट्रैक्टर बनाने की एक फैक्टरी की स्थापना की मांग कर रहा था ; और

(ग) पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश को वरीयता देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चैकोस्लावाकिया के सहयोग से ट्रैक्टर निर्माण के लिए एक नई परियोजना की स्थापना अभीष्ट थी, उसके लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्थापना स्थल का चयन किया गया था जिसका अन्य वस्तुओं के साथ साथ एक कारण यह भी था कि गंगा सिन्धु क्षेत्र में ट्रैक्टरों की मांग अधिक रहेगी और कि देश के उस भाग में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कोई एकक नहीं था । तदुपरांत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस ट्रैक्टर का निर्माण उनके पिंजौर एकक में किया जा सकता है जहां काफी उपयुक्त क्षमता उपलब्ध है क्योंकि इसमें बिल्कुल नई परियोजना की अपेक्षा बहुत कम विनियोजन की आवश्यकता होगी । ट्रैक्टर के कुछ पुर्जों के निर्माण के लिये सहायक मशीनरी निगम, दुर्गापुर में उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक उद्योगों का विकास

400. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने इंजीनियरों की बेरोजगारी की समस्या

का समाधान करने के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में सहायक उद्योगों के विकास के लिये अनेक योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने तकनीकी जानकारी के लिए अथवा योजना बनाने में मार्ग दर्शन के लिए अथवा धन के रूप में केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र द्वारा किस प्रकार की सहायता दिये जाने का विचार है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में इन उद्योगों के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी और अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5011 के उत्तर में शुद्धि

Correction in Answer to Unstarred Question No. 5011

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी ।

(क) बिहार विधान सभा द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव पास किया गया है, इस बारे में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

बाद में यह पता चला कि बिहार सरकार से यह सूचना रेल मंत्रालय में 18-8-69 को प्राप्त हुई थी, लेकिन गलती से उसे कार्यालय की एक गलत शाखा को भेज दिया गया था । यह सूचना उक्त विषय का निपटारा करने वाली उपयुक्त शाखा में 27-8-69 को मिली, जबकि प्रश्न का उत्तर लोक सभा में 26 अगस्त, 1969 को दिया जा चुका था । अत: पहले दिये गये उत्तर में संशोधन आवश्यक है । सही स्थिति इस प्रकार है :

(क) जी हां ।

(ख) बिहार विधान सभा द्वारा 27-6-69 को पारित एक प्रस्ताव में यह अनुरोध किया गया था कि दो रेलवे मण्डल प्रधान कार्यालयों को उत्तर बिहार में स्थापित किया जाय । यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें 1865 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइन है ।

(ग) बिहार सरकार को 12-9-69 को लिखा गया है कि मण्डलों की संख्या और उनके स्थान-निर्धारण का विनिश्चय रेलवे लाइन की राज्य वार लम्बाई के आधार पर नहीं बल्कि परिचालन दक्षता और प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ खर्च में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

उत्तर बिहार में दो मण्डल कार्यालय एक पूर्वोत्तर रेलवे का और दूसरा पूर्वोत्तर सीमा

रेलवे का स्थापित किये गये हैं, जिनमें से एक समस्तीपुर और दूसरा कटिहार में है । आशा है कि इनसे रेल उपयोगकर्ताओं की सन्तोषजनक सेवा हो सकेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री फेरूमान की मृत्यु

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I call the attention of the minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Delay in taking decision regarding Chandigarh issue by the Government leading to death of Shri Darshan Singh Pheruman."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमन्, 27 अक्तूबर, 1969 को श्री दर्शन सिंह फेरूमान की मृत्यु से सरकार को बहुत दुख हुआ है । उनके मित्रों द्वारा किये गये प्रयासों और प्रधान मन्त्री द्वारा बार-बार अपील किये जाने पर भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा और उनके जीवित रहने तथा व्यापक हितों के लिये काम करने की हमारी आशा दुर्भाग्य से पूरी नहीं हुई ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सभा का यह मन्तव्य था कि पंजाब और हरियाणा, दोनों राज्यों की सरकारें चण्डीगढ़ में काम करें । इसलिये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत इसे संघ राज्य-क्षेत्र बना दिया गया था । बाद में दोनों राज्यों ने चण्डीगढ़ पर दावा किया और दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ विचार-विमर्श के बाद भी दोनों पक्षों को मान्य कोई हल नहीं मिल सका । दोनों राज्यों के लोगों के भावी कल्याण और प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि इस समस्या का हल ऐसा हो जिससे दोनों पक्षों के बीच कटुता न रहे और दोनों के बीच अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध स्थापित हों । सरकार इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयत्नशील है और आशा करती है कि शीघ्र ही एक मान्य हल मिल जायेगा । किसी भी स्थिति में संसद के बजट अधिवेशन से पहले निर्णय कर लिया जायेगा और उसकी घोषणा कर दी जायेगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Chandigarh issue has been pending decision for the last three years. Government exploit such issues to meet their political ends. Now the ruling factions of the congress wants the support of both the parties.

Mr. Speaker : It was agreed last time that the questions will not be preceded by introduction. There will be no debate on call attention notices. Only questions will be put. The hon. Member should ask a question.

Shri Kanwar Lal Gupta : Please go through the record and see how time was given yesterday on during the call attention. You allow a Member to speak for 15 minutes while yon are not allowing me even four minutes. You can not have two different standards.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें आपके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया स्वीकार करनी

चाहिए परन्तु मैं नहीं समझता कि आपने कल यह प्रक्रिया अपनाई थी। यदि आपका यही निर्णय है कि सीधे प्रश्न ही पूछे जायें, तो इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस निर्णय को लागू करने में मेरी सहायता करें।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि आपका निर्णय है, तो वह मान्य होगा। लेकिन यदि हम भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन स्थगन प्रस्ताव लाने की प्रथा की अनुमति न दिये जाने के बाद स्थापित परम्परा को बदलना चाहते हैं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। उस समय दलों के नेताओं और अध्यक्ष के बीच यह तय हुआ था कि चूंकि स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी जाती है, ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकार की जायेंगी और सदस्यों को उन ार प्रसंगोचित प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। कल आपने प्रश्नों की अनुमति दी थी। जब आप यह कहते हैं कि सदस्य को केवल प्रश्न ही रखना चाहिए, तो आप सुस्थापित प्रक्रिया से हट रहे हैं। इसका कोई कारण होना चाहिए और हमें समझाया जाना चाहिए कि यह सभा के हित में है।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने माननीय सदस्य से कहा था कि प्रश्न के चर्चा का रूप लेने के स्थान पर वे नियमित चर्चा की मांग कर सकते हैं।

मैं कड़ाई से इसका पालन कर रहा हूँ कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर प्रश्न पूछते समय प्रश्नों की भूमिका नहीं रखी जानी चाहिए। कल मैंने माननीय सदस्य को अनेक बार रोका और कहा कि प्रश्न चर्चा का रूप ले रहा है। पहला दिन होने के कारण मैं अधिक कठोर नहीं हुआ। माननीय सदस्यों ने स्वयं यह प्रक्रिया निर्धारित की है। इसलिए उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए। मैं इसमें उनका सहयोग चाहता हूँ।

श्री नाथ पाई : नियम समिति में इस पर निर्णय होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस पर हमें नियम समिति में निर्णय करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : Let us discuss it in the Rules Committee.

अध्यक्ष महोदय : मुझे ध्यानाकर्षण सूचनाओं के इतिहास का पूर्ण ज्ञान है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Government have so far not given reasons for not accepting the report of the State Commission. Are there any political considerations behind it ? Government say that the Prime Minister can arbitrate provided both the Chief Ministers agree to it. It is the duty of the Union Government. Why are they evading their responsibility to take a decision in the matter. Where is the need for the minister to act as a arbitrator ? Let her speed out for formula ? Why do they want to wait till the budget session. Will Government appoint a commission to go into this question, the report of which would be binding on the Government as well as the two parties ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The report of Shah Commission should be implemented.

Shri Kanwar Lal Gupta : Will Government give an assurance that no part of Delhi would be transferred into Haryana ? Will you ascertain the opinion of the people of Chandigarh and obtain the opinion of the Attorney General if the transfer of Chandigarh

to any of the two claimant would secessitate amendment of constitution under Article 3 ?
(व्यवधान)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के हल में विलम्ब के बारे में पूछा। प्रश्न पूछने की स्थिति से भी देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना जटिल और विवादास्पद है। हम ऐसा हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे दोनों राज्यों के बीच अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध रहें। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा को दिल्ली का कोई भाग नहीं दिया जायेगा। इस मामले में और न्यायिक आयोग नियुक्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रधान मन्त्री की योजना को उपयुक्त समय आने पर मूर्त रूप दिया जायेगा।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : श्री चव्हाण ने पहले 2 अक्तूबर, 1969 तक भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं किया गया है। इसलिये मुझे बजट सत्र तक चण्डीगढ़ प्रश्न को हल करने के उनके आश्वासन को पूरा किये जाने में संशय है। प्रधान मन्त्री कहती हैं कि उनके पास इसका हल है। लेकिन मालूम देता है कि उन्होंने सत्तारूढ़ रहने के लिये दोनों पक्षों को वचन दे रखे हैं ताकि उन्हें दोनों का समर्थन प्राप्त रहे। इस कारण से मामले को अनिर्णीत रखना देश के हित में नहीं कहा जा सकता है। क्या वे एक अन्तिम तिथि रखेंगे और कहेंगे कि 28 फरबरी तक इस प्रश्न को हल कर दिया जायेगा ? दूसरे यदि कोई हल और निकला है, तो उसके पक्ष में जनमत तैयार दिया जाना चाहिए। क्या विकल्प जनता के सामने रखे जायेंगे और उनकी राय ली जायेगी ? एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन की भेंट चढ़ गई है। प्रधान मन्त्री के दिमाग में हल है, फिर भी इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्हें एक निश्चित तिथि देनी चाहिए।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं एक वक्तव्य दे चुका हूं, जो काफी स्पष्ट है, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि बजट सत्र तक सरकार निर्णय कर लेगी और घोषित कर देगी। इस बीच सरकार एक मान्य हल के लिये भी अवश्य प्रयास करेगी।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : वे एक महान शहीद थे, जिन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। क्या एक मूल्यवान जीवन को इस प्रकार नष्ट हो जाने देना तथा सरकार द्वारा आपराधिक विलम्ब किया जाना एक कारण नहीं है ? प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रश्न को हल करने का उत्तरदायित्व लिये जाने के बाद कितना समय हो चुका है ? वे आग से खेल रही हैं, पंजाब पहले सीमावर्ती राज्य के रूप में पीड़ित रहा है और अब इस विभाजन में उसने नुकसान उठाया है। इन दो राज्यों के लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न किया जा रहा है।

प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव के समय दोनों पक्षों को आश्वासन दिया था कि उनके पक्ष में निर्णय किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निर्णय की सीमा फरवरी तक बढ़ाने से और अधिक जानें नष्ट होने की आशंका है ? दूसरे फेरूमान जी की अस्थियों को पुलिस ने सील कर दिया है और उनके सम्बन्धियों को श्री फेरूमान की इच्छा के अनुसार उनकी अस्थिओं को विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं गृह-मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि श्री फेरुमान की अस्थियां उनके सम्बन्धियों को दे दी जायेंगी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: अस्थियों के सम्बन्ध में, मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में पंजाब सरकार से अवश्य बात करूंगा। मैंने निर्णय के बारे में एक निश्चित तारीख दे दी है। इस बीच सरकार का दृष्टिकोण दोनों पक्ष को मान्य हल ढूंढने का प्रयास किया जायेगा। किसी भी स्थिति में संसद के बजट सत्र से पहले निर्णय की घोषणा कर दी जायेगी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : आगामी सत्र आरम्भ होने से पहले ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसके आरम्भ होने से पहले।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उद्योग विकास तथा विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत विकास परिषदों तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम, 1951, की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित विकास परिषदों के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) कागज लुगदी तथा सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(दो) मशीनी औजार उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(2) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या** एल० टी० 1965/69]

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों में एक कमी रह गई है। इस बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिये सूचना देनी चाहिये थी। मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : We are always permitted to point out any omission in the papers laid on the Table, and also to speak any time on a point of order. Kindly reconsider your ruling.

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन बारे में अधिसूचना

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : डा० कु० ल० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिनांक 6 अक्तूबर 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4054 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 4055 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जिस के द्वारा 'नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण' का गठन किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1966/69]

(2) उपरोक्त न्यायाधिकरण को सम्बोधित दिनांक 6 अक्तूबर, 1969 के पत्र संख्या 12-6-69 डब्ल्यू डी तथा दिनांक 16 अक्तूबर, 1969 के पत्र संख्या 10-1-69 डब्ल्यू डी की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1967/69]

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम 1952, की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 3211 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 3212 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० ओ० 32 5 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 3216 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 9 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी० 1968/69]

(2) व्यापार तथा व्यापार चिह्न अधिनियम 1658, की धारा 12, के अन्ततर्ग व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के 31 मार्च, 1969, को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी त ा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गई। देखिए** संख्या एल० टी० 1969/69]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एम० यूनस सलीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, की धारा 28 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत, निर्वाचकों का रजिष्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 16 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3307 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 3308 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 3835, जो दिनांक 17 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 20 के भाग 'ख' में हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) एस० ओ० 4053 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिस में दिनांक 30 जुलाई, 1969, की अधिसूचना संख्या 282/1/एम वाई/69 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) एस० ओ० 4231, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान-सभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966, की अनुसूची 1 के भाग 'ख' में आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में कतिपय शुद्धियाँ और संशोधन किये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1970/69]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमन, जैसा कि गत् 22 जुलाई, 1969 को इसकी रिपोर्ट दी गई थी, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1969

(2) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1969

(3) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1969

(4) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1969

(5) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1969

(6) बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1969

(7) विदेश विवाह विधेयक, 1969

(8) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1969

(2) श्रीमन, जैसा कि गत् 22 जुलाई, 1969 को इस की रिपोर्ट दी गई थी, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र के दौरान पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) पश्चिम बंगाल विधान परिषद् (उत्पादन) विधेयक, 1969

(2) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1969

(3) बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) विधेयक, 1969

(4) कोयला वाले क्षेत्र (अर्जुन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1969

(5) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1969

(6) संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969

(7) स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1969

(8) आपराधिक तथा निवचिन विधियां संशोधन विधेयक, 1969

(9) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1969

(10) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1969

(11) संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969

नियम समिति

RULES COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री नाथ पाई (राजापुर) : नियम 331 के उप-नियम (1) के अधीन मैं नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ

युवकों में बेरोजगारी तथा उनकी आम शिकायतों के बारे में याचिका

PETITION RE UNEMPLOYMENT AND OTHER GRIEVANCES OF YOUTH

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं युवकों की बेरोजगारी तथा अन्य शिकायतों के बारे में अखिल भारतीय युवक संघ के महामंत्री श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा हस्ताक्षरकृत एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पर १0 लाख से भी अधिक युवकों ने हस्ताक्षर किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पटल पर रख दी गई है।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के समय का बढ़ाया जाना

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय 30 अप्रैल, 1970 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय 30 अप्रैल, 1970 तक बढ़ती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक—(जारी)

KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा खुदाबख्श ओरियन्टल लायब्रेरी अधिनियम पर आगे खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 9

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move my amendment No. 13.

Shri Om Parkash Tyagi (Moradabad) : I beg to move my amendment No. 21.

Shri Shiv Chandra Jha : Here the clause No. 9 says :

"If any nominated member, being an officer of Government is unable to attend any meeting of the Board, he may, with the previous approval of the chairman, authorise any person in writing to do so."

My point is that, the nominated members of the Board of Directors should not be allowed to further nominated their own relatives to act as the members in the Board. A Government Officer, nominated to Board should not be permitted to nominate his relatives to work in the farmers' absence. The hon. Minister may please accept this.

Shri Om Prakash Tyagi : The Government have declared that the Khudha Bakhsh Oriennital Library is an organisation of national importance, and in its Board of Directors you propose to have well specialised and experienced people as also the nominees of the Central Government and the State Government. But you have provided that if an officer,

who is the nominee of the Government, is unable to attend the meetings of the Board, he may nominate any person to work on his behalf. This is principally wrong, since the person so nominated might not be an experienced or specialised man so as to be of any help to this institution. It is also quite possible that he, joined with the chairman, might try to indulge in certain malpractices through back door. So the Government nominee should not be authorised to further nominate to work in the Board on his behalf. Besides if an officer is unable to attend the meetings of the Board, he should resign from the Board. And also, if a member on the Board is unable to attend the meetings continuously for two or three times, his membership should be cancelled automatically.

Hence this clause should be done away with and lines upto 30 and 31 should be elected.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों में कोई औचित्य नहीं है। यह कहना भी न्याय संगत नहीं है कि अध्यक्ष किसी के साथ मिलकर इस संस्थान में गड़बड़ी कर सकता है अथवा कि मनोनीत किया गया व्यक्ति कोई अवांछित व्यक्ति हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिवचन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 तथा श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 सभा में मतदान के लिए रखता हूँ :

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 तथा 21 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 13 and 21 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 (विशिष्ट उद्देश्यों के लिये बोर्ड के साथ कुछ व्यक्तियों का अस्थायी संबंध)

श्री ओम प्राकश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 22 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 11 to 13 were added to the Bill

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, I move my amendment No. 14.

No doubt that this Library should remain in Patna and also under the management of the Patna Municipality put it should not be removed from its Original place. If it is shifted to some other place, the students, professors and other interested people would experience great inconvenience, and it will not be utilized Jully. The present situation of the Library is quite spacious.

डा० वी० के० आर० वी० राव : ग्रन्थालय के विकास के देखते हुए यह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। अत: मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 14 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 14 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16 से 28

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संशोधन संख्या 16 से 28 पर विचार करेगी। श्री शिवचन्द्र झा अपने संशोधन पेश करें तथा अपने विचार प्रकट करें।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 15, 16, 17, 18, 19 तथा 20 प्रस्तुत करता हूँ। संशोधन संख्या 15, मैं चाहता हूं कि खण्ड 16 में :

पृष्ठ, पंक्ति 7, में

(Lines) "(पंक्तियों)" के बाद

'(दुर्लभ पांडुलिपियों का माइक्रो फिल्म बनाने सहित),'

"including the microfilming of rare manuscripts"

शब्द जोड़ दिये जायें (15)

My point is that there are certain rare manuscripts which are in different parts of the world and we cannot being them here. 50 we should make their microfilms and keep the same here with us. In clause 17 also I ask for this same thing.

Clause 18 relates to providing finance for the building of the Library. At least Rs. 5 lakhs should be provided for this purpose. In clause 20, the provision should be made that the money which was not utilised in the previous year should not be deducted from the grant for the next year. This would help the development of the library. Then in clause 22, the returns, statements etc. proposed to be sent to the Central Government, should be sent to the State Government also.

Clause 28 should also specify the working days of the Library and August 15, January 26 and October 2 should be declared as the closed holidays. The opening and closing timings should also be fixed.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य का संशोधन संख्या 15 स्वीकार करने को तैयार हूँ परन्तु उनके द्वारा प्रस्तावित शब्दों को कोष्टक में रखना उचित होगा। उनके अन्य संशोधनों को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि ग्रन्थालय के हितों को देखते हुए उसे किसी अच्छे और खुले स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। अप्रयुक्त धन को अग्रिम वर्ष के अनुदान से नहीं काटने पर धन का उपयोग न करने की वृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी मैं आश्वासन देता हूँ कि जब इस ग्रन्थालय को धन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। राज्यों को भी प्रतिवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस ग्रन्थालय की देख-रेख केन्द्र सरकार करेगी। राज्य सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

संशोधन संख्या 15 को मैं स्वीकार करता हूँ—प्रस्तावित शब्द कोष्टक में रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

(Lines) "(पंक्ति)" के बाद

("दुर्लभ पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म बनाने सहित)"

"including the microfilming of rare manuscripts"

शब्द जोड़ दिये जायें, (15)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 16 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 16 से 20 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 से 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 16 to 20 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 से 28 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 17 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 17 to 28 were added to the Bill

खण्ड 1

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6 में—

"1968" के स्थान पर '1969" पढ़िये (2)

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं । मैं चाहता हूं, कि जहां पब्लिक शब्द आया है वहां नेशनल शब्द रखा जाना चाहिये ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने इसका कल उत्तर दे दिया था । मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1968" के स्थान पर "1969" पढ़िये (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में—

"Nineteenth" (उन्नीसवां) के स्थान पर

"Twentieth" "(बीसवां)" शब्द रखे जायें (1)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में—

"Nineteenth" (उन्नीसवां) के स्थान पर

"Twentieth" (बीसवां) शब्द रखा जाये (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।",

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

Shri Abdul Ghani Dar : Sir, I want to say that in these libraries I find the books, such books which are not in accordance with the Government policy. I suggest that these should be banned.

अध्यक्ष महोदय : इस पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had given a notice of a privilege motion and had assured that I will not raise it the first day. I want to know that whether the hon. Speaker has given any instructions to you that when should I raise the privilege motion.

सभापति महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से कोई निर्देश नहीं हुआ है, मैं उनसे पता करूंगा।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मुझे प्रथम वाचन के समय बोलने की अनुमति नहीं दी गई, अत: तृतीय वाचन के समय मुझे अवश्य अवसर मिलना चाहिये मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य विधेयक का विरोध कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी कुछ समय-सीमा है। हम पहले ही निर्धारित समय से आगे बढ़ चुके हैं।

Shri Abdul Ghani Dar : But you should certainly allow me to say something. Otherwise, it is no use my participating in the discussion.

There are some principles on which I am opposing this Bill. How this sleeping Government have recollected after 23 years that there is a good and valuable store of books in Arabic, Persian and Urdu and we should protect it because it is in the interest of the country. Because the Bihar Government have failed to protect it, therefore the the Government of India is taking it in her control and along with it, she is taking a burden of Rupees one lac also.

Secondly, it is not wise on the part of a Government or any other body to spend money on the books of a Library may be Khudabaksh Library or any other Library which houses religious books. As this is against the policy of the Government. I had written a book "Congress in Danger" when the country was about to get independence. In that book I had only said that as in Kashmir minority and majority have been given equal rights, similarly this should be done in the case of other states also. Minority should be given equal share in Police and Military also. This was not liked by the then Government and my book was prescribed.

The books, existing at present library do not promote secularism. The books contained to the library speak about truth, justice, respect for all religions but this

Government stands against all these virtues. In these circumstances, why the Government is taking a burden of Rupees One lac upon her, particularly when the Government which is minority is dependent upon the people who at the time of struggle for freedom gave a slogan of peoples war and we were talking of do or die Now after 24 years these persons in minority have again come forward to support the government and if the Government do not act according to their ideas it will be doomed. When this Government is in their hands and it wants to run according to them why it wants to preserve Persian, Arabic and Urdu books unnecessarily ?

As regards board, the Government say that she will form it according to her wishes. What is the use of keeping thsse persons in the board who do not possess knowledge of Persian and Arabic. The Government should not preserve those books in the libraries which are against her home policy or foreign policy or whatever polices it may be. It should preserve those books only which are according to the polices of the Government because it is in her interest to do so. If you want to take only these libraries, take them honourably. Little changes will not do. You should take over all the Libraries—Calculla library or other libraries and make them places of pilgrimage. Persons—devotees of books like me will go there. They will not go who are under the protection of communists. We know that at present this Government is functioning only the support of the communists otherwise it is very difficult for it to continue. There is no necessityto keep these libraries under the protection of the Government and there is no place for them also except that those should be show pieces like a museaum. I think Government should think over it with impartiality. Communists are agrieved because I am speaking the truth. They want to rule through back door but we will not allow them to do so.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : The bill regarding Khudabaksh Oriental Library was before the house for many years. I am happy that this bill is going to be passed.

I want to give two or three suggestions to the hon. Minister. Its name is Oriental library. Oriental does not include only Persian, Arabic and Urdu. Urdu comes under Modern Indian languages Oriental literature includes Sanskrit, Pali, and other literature which is of importance in East. The literature and books of this library are of Arabic and Persin. Khan Bahadur Khudabaksh was a great scholar and he gave away his collection to the nation. But in Patna there are many other collections of this type also. You must be knowing the name of Dr. Kashi Prasad Jayaswal who did a great work in the field of literature and wrote a book on Indian Polity for the first time. He has a great collection there on Ancient literature. The collection of works of Rahul Sanskritary a renouned scholar of and linguish who brought mule loads of books from Tibet is also in Patna. I want that this library should become a centre of oriental learning in the true sense and many wings should be opened in it. There should be one Jayaswal wing, one Rahul Sanskritary wing, one Khuda Baksh wing and in this way this library should not be limited to only Arabic and Persian but whole of the oriental literature available in Patna should be collected under this library. Central Government will give grant to it. Manuscripts will be preserved there in a scientific way. I want that other books and literature of this type should also be preserved Arrangements should be made to preserve the collections availabie in Patna and outside so that it may become a National Institution in the true sense.

It has been stated in the bill that persons will be nominated by the central and State Governments. There will be such persons who possess knowledge of library science and administration. This is all right but persons having knowledge of literature and history also should be nominated in the Board. But no such thing has been stated.

My suggestion is that the nominated persons should be scholars of Sanskrit, Persian, Arabic, Chinese, Japanese, Pali etc languages. It will be very useful if they have knowledge and they are historians. It is not sufficient only that the books and Almirahs should be kept clean and arranged properly. They should know that what literature is

kept there and what use can be made of them. Therefore, I want to suggest that scholars and the persons of good qualifications should be nominated in the Board. More and more such institutions in the country are being made institution of national importance by the Government. Expenditure is also incurred on them and the literature existing there is also preserved. But you should see towards its benefits also. India became independent 22 years ago but which history is taught in the colleges and schools even today? The history written by U. S. Smith is taught in the schools and colleges. It is stated that a nation is ruined when its history is ruined. The Britishers destroyed our history to ruin our nationalism. We did not do what we should have done during the 22 years to build our nation We should have done how research in history. We are taught even today that Aryans came from outside. World knows that there is no such evidence in Rigveda that Aryans came from Central Asia or from any other place. A large literature has been prepared in the country. There is a book by Dr. A. C. Das and a book by Dr. Sampurnanand on the Original Country of Aryans". In this way dozons of books have been written and research has been done. There is internal evidence also. Inspite of all these why we are clinging to a theory propounded by Britishers. It would have not been in their favour if they would have said that Aryans are their ancestors and the aryans did not come from outside. They have said this not only from Central Asia but the Aryans have come from Europe and Hungry. Today we are independent. May I know whether Government made any research in this field to find the facts. Today chronology is based on the theory that Alexander came to India in 322 B. C. On the basis of this it is stated that Buddha was born in 520 B. C. According to T. L. Sah Buddha's period was 1800 B. C. In this way they have not accepted the discovery made by Indian scholars and the Alexander's invasion is considered as the basis of chronology. You should do some rethinking on the Indian chronology.

I would like that Indian Government should make this institution a research centre of Indian history. We should know that what the Britishers or the German has said about us is not the gospel truth. We should give thought to what the Indian Scholars have said about the origin and chronology of Aryans so that we can present the Indian history before our children in the true sense. It has no meaning that we do not accept the Indian traditions. The history of all the countries of the world starts from their traditions. Therefore, the Indian traditions are of much importance to us. Keeping it in view this oriental library should be made a research centre in which research should be made in Indian traditions, literature and history. Able scholars should be admitted there so that our money may be used properly and the work should be started which has not been done by the Government of India so far.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It is good that the members of all the parties welcomed this bill. It is my request to those who are supporting this bill and understand that it will be useful to develop this library not to try to down when they listen about Persian or Arabic or Mohamadans. Such things which divide and sow seeds of disunity should not be said. Only than it will be of some significance to support the bill. The Urdu literature is very rich. In our struggle for freedom Urdu language and its literature played an important role. It has enhanced the diginity of the country and emphasised on the emotional integration of the country. Urdu is a language of 12 crore people of our country. It is not a language of Muslims only but it is a language of the country like Hindi, Bangla, Uria and Marathi.

If people of Bihar say that Urdu should be given a proper place, and it should be taught in schools and the Ration cards and voters lists should be published in Urdu, the Jansangh should not oppose it. But unfortunatly they opposed it and promoted riots in Ranchi. It is needed that an increase should be made in the manuscripts and books etc. of this library.

My request is only that communalism should not be spread in the name of Urdu, Arabic, Persian or Muslims

We should enrich the library so that the Indian culture may go ahead and the world should know that India believes in secular democracy.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My first suggestion is that the Government should fix a time limit to complete the work after passing the bil! and making it an Act.

The second suggestion is that the librarian chosen for their institution should be a scholar who should have some initiative. There should not be any sort of inactivity in the work of library.

The third thing is that the Government should lookafter its economic conditions and should continue regularly its monetry help to the library. If you want to make economy, there are other items also for it, but do not make any reduction in the grant to be given to Khudabaksh library. So that its work may not suffer.

Fourthly, I want to say that Government should bring out a publication of the research work of Khudabaksh Sahib and a comprehensive life history should also be published. An essay competition or publication competition should also be conducted on behalf of the Khudabaksh library or this trust so that this may promote its cause.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : I know about Khudabaksh library since my childhood. I am at a loss to know why this library has been given so much preference while there are other libraries also like Dr. Sachidanand Sinha Library, Dr. Srikrishna Sinha Library which are definitly bigger and more popular then this library what have you found in Khudabaksh library. I do not know why you have selected it.

The library should be in accordance with the nature of our secular state. If there is a collection of only Persian and Urdu books, it should also include Hindi, Sanskrit, Bangla, Tamil, Telugu books so that this library may attain a secular form. This library should possess books of all languages.

My suggestion is that atrention should also be paid towards other libraries like Dr. Sachidanand Sinha Library, Dr. Srikrishna Library besides Khudabaksh Library because Dr. Sachidanand Sinha Library is a Unique Library and it possesses unique books. Dr. Sachidanand gave away his all property to the library.

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्री अब्दुल गनी दार ने कहा कि उनकी किताब जब्त कर दी गई थी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि इसे जब्त नहीं किया गया है तो मैं इसकी एक प्रति पुस्तकालय में रखने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक प्रबन्धक बोर्ड का सम्बन्ध है उसमें केवल वे ही लोग नहीं होंगे जो व्यवसायी लाइब्रेरियन हैं बल्कि वे होंगे जिनको साहित्य तथा फारसी, अरबी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान होगा।

वास्तव में खुदाबख्श पुस्तकालय में बहुत पुरानी पांडु लिपियां हैं। हम पांडुलिपियों को ठीक तरह सुरक्षित रखने के लिए काफी तकनीकी कुशलता अपेक्षित है। इन पुरानी पांडु लिपियों को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन साहित्य तथा भाषाओं का ज्ञान होना इतना अधिक महत्व नहीं रखता। जितना कि इनको सुरक्षित रखने की तकनीक का। इसी कारण विधेयक का प्रारूप इस प्रकार बनाया गया। बोर्ड में न केवल व्यवसायी लाइब्रेरियनों को रखा जायेगा बल्कि उनको भी रखा जायेगा जिन्हें साहित्य तथा भाषा का ज्ञान है।

मैं श्री बलराज मधोक के इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हूँ कि इस पुस्तकालय में अरबी, फारसी तथा उर्दू की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की पुस्तकें तथा अन्य संग्रह भी शामिल की जाँय। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस पुस्तकालय का कार्य केवल उन पुस्तकों आदि की ही सुरक्षा करना नहीं है जो उसमें विद्यमान हैं। हम इसे एक विकासशील पुस्तकालय बनाना चाहते हैं। हम केवल उसे ही सुरक्षित नहीं रखना चाहते जो खुदाबख्श तथा उनके पिता ने संगृहीत किया है। हम इसका विकास करना चाहते हैं। इसीलिये हम इसे राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान बनाना चाहते हैं। पटना में एक बहुत अच्छी ओरियंटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है। यह एक बहुत अच्छा पुस्तकालय है।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि उर्दू एक मान्यता प्राप्त भाषा है। भारत सरकार उर्दू के विकास के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है।

श्री वि० प्र० मंडल ने कहा कि खुदाबख्श पुस्तकालय को ही क्यों चुना गया। इस पुस्तकालय में बड़ी मूल्यवान पांडुलिपियां हैं और हम देखते हैं कि पांडु लिपियों की सुरक्षा के संबंध में उपेक्षा की जा रही है। इसीलिये इसको चुना गया। जहां तक अन्य पुस्तकालयों का सम्बन्ध है, डा० सच्चिदानन्द पुस्तकालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसमें बहुत अधिक साहित्य है तथा अन्य पांडुलिपियां हैं। श्री सच्चिदानन्द सिन्हा एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य नागरिक थे।

इस पुस्तकालय का विकास पांडुलिपियों की सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है न कि विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकों की दृष्टि से। अतः यह पुस्तकालय वास्तव में एक बड़ा क्षेत्रीय केन्द्र बन जायेगा, और इसका उपयोग देश के उस भाग के विद्वानों द्वारा किया जायेगा।

मेरे माननीय श्री शिव चन्द्र झा ने कहा है कि अधिनियम पारित होने के पश्चात कार्य निश्चित अनुसूची के अनुसार पूरा हो। मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे इसे संशोधित रूप में पारित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

OIL FIELDS (LEGISLATION AND DEVELOPMENT AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारतीय संविधान की सातवीं सूची के अनुसार तेल क्षेत्र और खनिज तेल का विकास तथा विनियमन सरकार का उत्तरदायित्व है । इसके लिए तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन अधिनियम 948 को कानूनी रूप दिया गया था । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीट्रिक टन स्वामित्व के रूप में दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री ने अपने पंचाट में यह फैसला दिया कि कच्चे तेल आदि के लिए दिया जाने वाला स्वामित्व 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति मीट्रिक कर दिया जाये और यह वृद्धि 1 जनवरी 1968 से लागू होगी । अब इस पंचाट को कानूनी रूप देने के लिए अधिनियम में उचित व्यवस्था की जा रही ।

इस विधेयक में वर्तमान अधिनियम के लिए एक छोटा सा संशोधन है । आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस विधेयक में करों के संग्रह के बारे में भी कहा गया है अतएव यह धन विधेयक है । इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश भी नहीं है । अनुच्छेद 117(1) में कहा गया है कि उपखंडों में उल्लिखित विषयों में कोई व्यवस्था करने के लिए विधेयक अथवा संशोधन बिना राष्ट्रपति के सिफारिश से प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं पाता हूँ ।

सभापति महोदय : हमारे पास दिनांक 15 मई का बुलेटिन भाग दो है जिनमें राष्ट्रपति ने अपनी सिफारिश दी हुई है । श्री हजारिका

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) : इस विधेयक में स्वामित्व की वृद्धि की व्यवस्था है । मैं नहीं समझता कि इस विधेयक से वास्तविक स्वामित्व की वृद्धि हुई है । वाँचू समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आसाम एक पिछड़ा हुआ राज्य है । चूंकि यह पिछड़ा हुआ राज्य है अतएव इसको उन्नत राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ लोगों ने कांग्रेस दल से निकलकर एक अलग कांग्रेस नाम से दल बनाया है । इससे स्थिति हास्यास्पद बन जाती है । सत्तारूढ़ दल भी कांग्रेस है और विपक्षी भी कांग्रेस । मैं जानता हूँ कि चुनाव आयोग को यह निर्णय लेना है कि कांग्रेस कौन सी है । एक विपक्षी दल बनने के लिए अपेक्षित सख्या उनकी भी है ।

श्री मावलंकर ने पहले यह व्यवस्था की थी कि यदि कुछ लोगों का विभिन्न समूह इकट्ठा मिलना चाहता है तो उसको सरकारी विरोधी दल की मान्यता नहीं मिल सकती है परन्तु यहां ऐसी बात नहीं है । सबने एक ही चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा है । परन्तु कांग्रेस सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों कैसे हो सकती हैं । यदि वे अपने नाम के आगे कुछ जोड़ें तो उनमें भिन्नता की जा सकती है प्रश्न बहुत ही सरल है । यदि आप लोग स्वयं निश्चय नहीं कर सकते तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । हम नहीं समझ पाते हैं कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का है या विपक्षी

दल कांग्रेस का है। इनमें एक को कांग्रेस (निजलिंगप्पा) और दूसरे को कांग्रेस (इंदिरा गांधी) कहना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा सुझाव है कि कांग्रेस संसदीय दल को सत्तारूढ़ कांग्रेस दल माना जाये और अन्य को कांग्रेस दल (विपक्षी) का नाम दिया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : उनको कोई नया नाम दिया जाना चाहिए। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Actually the Communist Party wants the reign of Government in their hands. Who knows it is the same Congress Party whose President is Shri Nijalingappa. (*Interruption*.)

श्री स० मो० बनर्जी : वे श्री निजलिंगप्पा का नाम क्यों ला रहे हैं। वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मैं पहले एक व्यवस्था के प्रश्न पर बोल दूं और फिर वे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। कांग्रेस दल दो दलों में विभक्त हो गई है। एक पक्ष के सामने दूसरा विरोधी पक्ष बैठा हुआ है। यह तथ्य कि अध्यक्ष ने उनको पृथक सीटें दे दी हैं, इस बात का द्योतक है कि अध्यक्ष ने इस दल को मान्यता दे दी है। उन्होंने अपने को 'कांग्रेस विरोधी' कहा है। यही उनका नाम है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह एक ही दल सरकार में भी रह सकता है और विरोध में भी।

श्री स० मो० बनर्जी : आप यह मामला महान्यायवादी को सौंप सकते हैं।

सभापति महोदय : यह महान्यायवादी को सौंपा नहीं जायेगा। अध्यक्ष को अपने ही अधिकार में यह निर्णय करना होगा कि इन लोगों को मान्यता दी जाये। चूंकि उनको मान्यता दी गई है अतः उन्हें अलग जगह दे दी गई है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यह जनता का प्रश्न है। उन्होंने विपक्षी और सरकार को चुना है। वे सत्तारूढ़ भी हैं और विपक्ष में भी हैं। फिर हमारा क्या होगा ? क्या हम वास्तव में ही विपक्षी हैं।

श्री सेझियान : मैं जान सकता हूँ कि क्या दल का नाम विरोधी कांग्रेस है। विरोधी कांग्रेसी का तात्पर्य यह है कि वे अब विपक्षी बन गए हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि यह जगह दे दी गई है और उस तरफ स्वतन्त्र, संघ और सिंडीकेट है अतएव वे अपने को सिंडीकेट लिमिटिड कह सकते हैं। यही ठीक नाम होगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : वे हमारे दल के एक वफादार विरोधी हैं।

Shri Abdul Ghani Dar : **

Shri S. M. Banerjee : **

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति इनको कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं प्रस्ताव करूंगा कि श्री दार और श्री स० मो० बनर्जी के बीच हुई बातचीत असंगत है अतएव इनको कार्यवाही वृतांन्त से निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि उनको कार्यवाही वृत्तान्त में न लिया जाये।

श्री जो० ना० हजारिका : इस विधेवक में स्वामित्व को 7 रुपये 50 पैसे से 10 मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। वास्तव में यह कोई वृद्धि नहीं है। आसाम सरकार को पहले कच्चे तेल के लिए स्वामित्व 11 रुपये 85 पैसे प्रति टन मिलता था। तदुपरान्त आयल इंडिया सरकारी क्षेत्र में आया। शोधन शाला स्वामित्व से अधिक नहीं देना चाहती थी। आसाम सरकार ने इसका विरोध किया। अतएव यह निश्चय किया गया कि इसको प्रधान मंत्री के पास सौंपा जाये यह वर्ष 1962 का था। तब से काफी वर्ष बीत गये हैं। इस दर का संशोधन कर देना चाहिये था। 10 रुपये पर्याप्त नहीं हैं और आसाम जैसे निर्धन राज्य के लिए प्रोत्साहन वर्धक नहीं हैं। अतएव इसको बढ़ाकर कम से कम 12 रुपये 50 पैसे कर देना चाहिये। तेल के कीमत निर्धारण के बारे में काफी वाद विवाद रहा है। हमारा सम्बन्ध यहां देश में निकलने वाले तेल से है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 10 रुपये बहुत ही अपर्याप्त हैं क्यों कि अब तेल अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि से निकाला जा रहा है। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में आयल इंडिया ने सभी कुएं खोद दिये हैं। बहुत से लोगों को विस्थापित कर दिया गया है उनको अपना कार-बार छोड़कर जाना पड़ा है। उन्हें रहने के लिए कोई भूमि नहीं दी जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो इससे प्रभावित हुए हैं। परन्तु यदि सरकार को इससे लाभ पहुंचता है तो वे इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने आयल इंडिया को अपनी भूमि स्वेच्छा से दी है। इसी तरह उन्होंने चीनी आक्रमण के समय प्रतिरक्षा विभाग को भूमि देकर सहायता की। इन सब कार्यों से न केवल आसाम को अपितु समुचे भारत को लाभ पहुंचेगा। यदि आप 10 रुपये प्रति टन की दर रखेंगे तो यह आसाम की जनता और उसके सरकार के प्रति अन्याय होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा रहा है इससे लोग प्रसन्न हैं। वे इसके लिए अपनी भूमि दे रहे हैं पर उन्हें क्षतिपूर्ति देने में ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। अन्त में मैं कहूँगा कि यदि विधेयक का संशोधन किया जाये तो मैं इसका समर्थन करूंगा। अन्यथा विरोध करूंगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाले स्वामित्व में संशोधन के परिणाम स्वरूप है जहां कि तेल

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

निकाला जाता है पहले स्वामित्व 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीट्रिक टन की दर से दिया जाता था और अब इसमें संशोधन करके इसको 1 जनवरी 1968 से 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है। इस विधेयक द्वारा तेल निकालने वाले राज्यों को बढ़े हुए दर पर स्वामित्व दिया जा सकेगा और वे फीस आदि निर्धारित तथा वसूल कर सकेंगे। आयल इंडिया कम्पनी लिमिटेड में भारत सरकार के 50 प्रतिशत अंश हैं और इस कम्पनी के साथ यह करार हुआ था कि वित्तीय निदेशक हमेशा ब्रिटिश आयल कम्पनी के होंगे। यह विदेशी कम्पनी इस व्यवस्था का लाभ उठाकर काफी धन विदेशों में भेजकर लाभ कमाती थी। मैं इसका कोई कारण नहीं जानता कि इसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में क्यों न मिला दिया जाये, जो कि वही कार्य कर रही है। क्या कारण है कि ब्रिटिश आयल कम्पनी को हमारे देश के कुछ भागों में तेल निकालने का कार्य सौंपा गया है? मेरा सुझाव है कि आयल इंडिया लिमिटेड को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ मिला दिया जाये ताकि उससे होने वाला लाभ इसी देश में रहे।

राज्यों को दिये जाने वाले स्वामित्व की दर पर्याप्त नहीं है। जहाँ तक मेरे राज्य आसाम का संबंध है, वहाँ बहुत से कुएं खोदे गये हैं और उनमें से तेल निकाला जा रहा है। इस प्रकार कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि उनसे ले ली गयी है। इससे आसाम राज्य सरकार पर उनको अन्यत्र बसाने का बोझ बढ़ गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आसाम सरकार को दी जाने वाली स्वामित्व में वृद्धि की जाये।

मेरा यह सुझाव है कि यह दर 12 रुपये 50 पैसे कर दिया जाये और तेल कम्पनियों को यह चाहिए कि वह राज्य सरकार को क्षति पूर्ति दें। इस प्रकार राज्य सरकार धन का उपयोग पुनर्वास कार्य में कर सकती है। अन्त में मैं यही कहूँगा कि सरकार तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे और स्वामित्व 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये 50 पैसे कर दे।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रधान मन्त्री ने पंचाट दिया है कि स्वामिस्व की दर 7-50 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपया कर दिया जाय।

यदि माननीय मन्त्री इस विधेयक को अस्थाई साधन मानने को तैयार हैं तो हमें इसके पुरःस्थापित किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। यदि वर्तमान पद्धति को बने रहने दिया जाय तो समय-समय पर इसी प्रकार के विधेयक सभा के समक्ष आते रहेंगे तथा सभा को इस विषय पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। अतः इस विधेयक को एक अस्थाई उपाय माना जाय तथा यह मन्त्रालय इस बारे में एक स्थाई विधेयक लाने को तैयार रहे जिसमें अधिकार शुल्क निर्धारित करने की पद्धति को पुनरीक्षित किया जाय।

मैं वर्तमान पद्धति को दोषपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इसके अनुसार समय-समय पर प्रधान मन्त्री सही मूल्य या स्वामिस्व के बारे में अपना निर्णय देंगी। किन्तु यह आवश्यक नहीं सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो और यदि ऐसी स्थिति में प्रधान मन्त्री को स्वामिस्व निर्धारित करने का कार्य सौंपा जाय तो इससे उनके हाथ में बहुत अधिक राजनीतिक शक्ति तथा कार्य पालिका शक्ति पहुंच जायेगी। साथ ही कांग्रेसेतर दलों की सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस स्थिति में राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग भी किये जाने की सम्भावना है।

प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये पंचाट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे तो मानना ही होता है । साथ ही अधिकार शुल्क निर्धारित करने का कोई आधार या सिद्धांत भी नहीं है अतः ऐसी स्थिति को क्यों बने रहने दिया जाय जिसमें संसद को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है ?

मेरा सुझाव है कि अधिकार शुल्क तेल या गैस के मूल्य की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया जाय । ऐसा करने से बार-बार अधिकार शुल्क में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा ।

मैं यह सुझाव और देता हूँ कि केवल प्राकृतिक गैस या तेल के मामले में ही अधिकार शुल्क नहीं होना चाहिए अन्य प्राकृतिक साधनों पर भी यही सिद्धाँत लागू होना चाहिए । इसके अतिरिक्त अधिकार शुल्क निर्धारित करने के लिए एक स्वतन्त्र निकाय बनाना चाहिए जो देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक साधनों के बारे में अधिकार शुल्क निर्धारित करे ।

***श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश)** : दक्षिण भारतीय भाषाओं के भाषणों के साथ-साथ अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के लिये मैं अध्यक्ष महोदय तथा उनके सचिवालय के प्रति आभारी हूं ।

आज सदन में तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया है जिसके द्वारा 1-1-1968 से कच्चे तेल पर लगी रायल्टी को 7.50 रुपये प्रति मि० टन से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति मि० टन करने का प्रस्ताव है । मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य के नाते मैं गुजरात गया, जहां हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ प्रतिष्ठान देखे । हमने देखा कि प्राकृतिक गैस जलकर बादल बन रही है । मैं चाहता हूँ कि इस अपव्यय को रोकने के उपाय किये जायें ।

मैं यहाँ गुजरात के किसानों की कठिनाइयों का वर्णन करना चाहता हूँ, जिनकी भूमि तेल की खोज के लिए अधिगृहित की गई । भूमि आवश्यकता से अधिक मात्रा में अधिगृहित की गई । प्रति पूर्ति भूमि के मूल्यानुसार अत्यन्त कम है । यह थोड़ी प्रतिपूर्ति भी समय पर नहीं दी गई । उन्हें दोहरी हानि उठानी पड़ी ।

एक कृषक के नाते में कह सकता हूँ कि कोई भी किसान अपनी थोड़ी सी भूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण न किया जाय तथा प्रतिपूर्ति शीघ्र दी जाय ।

अब यह बात सर्वथा सिद्ध हो गई है कि निकट भविष्य में भारत अपने तेल स्रोतों में आत्म निर्भर हो जाएगा । खम्भात की खाड़ी में तटीय तेल की खोज की बात चिरकाल से सुनने में आ रही है उसकी सफलता के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है । कावेरी में भी तेल की खोज का कुछ कार्य हुआ था । हम हर जगह सफल नहीं हो सकते । परन्तु हमें अपने प्रयत्न व्यापक रूप से विस्तृत क्षेत्रों में जारी रखने चाहिएं । तेल की तनिक सम्भावना पर भी हमें खोज प्रारम्भ कर देनी चाहिये ।

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।

Summary translation of the English Translation of the original Tamil speech.

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम अध्यक्ष महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने तात्कालिक अनुदान की व्यवस्था लोक सभा में आरम्भ की है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : हम अध्यक्ष महोदय को तात्कालिक अनुवाद की यह सुविधा देने के लिए आभारी हैं। और आशा करते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं की भी यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध होगी।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं डा० त्रिगुण सेन के इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। साथ ही मेरा निवेदन है कि देश को असम राज्य से बहुत बड़ी मात्रा में तेल प्राप्त होता है। उस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला तेल शोधक कारखाना भी है। किन्तु वहां की जनता ने दूसरे कारखाने की भी माँग की थी तथा गत मास 9 लाख व्यक्ति इस मांग के समर्थन में जेल भी गये थे। सरकार ने इस बारे में एक विशेषज्ञ समिति बिठाई थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार से मेरा अनुरोध है वह शीघ्र से शीघ्र उस पर अपना निर्णय दें।

भारत सरकार से मिले आंकड़ो के अनुसार इस समय असम राज्य में 680 लाख टन क्रूड तेल है। असम सरकार बहुत दिनों से यह मांग कर रही थी अधिकार शुल्क का पुनरीक्षण होना चाहिए। प्रधान मन्त्री ने अपने पंचाट में यह शुल्क 7.50 रुपयो से बढ़ाकर 10 रुपये किया है जबकि असम सरकार की माँग 15 रुपयों की थी।

महोदय : असम एक पिछड़ा राज्य है। उसमें बड़े उद्योगों की स्थापना भी की गई है। चाय बागानों के मालिक भी या तो अंग्रेज हैं या बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनके मुख्यालय कलकत्ते में हैं। असम को तो आयकर भी प्राप्त नहीं होता।

भौगोलिक रूप से असम राज्य घाटी में बसा हुआ है तथा इसकी जनसंख्या भी कम है। यद्यपि इस राज्य में तेल, कोयला आदि भारी मात्रा में मिलता है तथापि इसकी दशा अच्छी नहीं है। साथ ही यद्यपि हम तेल आदि के उत्पादक हैं किन्तु हमें उसका अधिक मूल्य देना पड़ता है। आशंका इस बात की भी है कि सरकार के अधिकार शुल्क में वृद्धि करने से मूल्यों में और भी वृद्धि होगी। इससे असम सरकार को तो लाभ हो सकता है किन्तु असम के उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस बात का आश्वासन दे कि वह किसी भी शोधित उत्पाद के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होने देगी।

***श्री जे० एच० पटेल** (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय मातृ भाषा कन्नड़ में बोलने की सुविधा देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चिरकाल से क्षेत्रीय भाषाओं के भाषणों के साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था के लिए आन्दोलन करता रहा हूँ।

मैं भूतपूर्व अध्यक्ष श्री संजीव रेडी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री खाडिलकर तथा सचिव श्री शकधर को इस व्यवस्था को चालू करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

* मूल भाषण कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।
Summary translation of the English translation of the original Kannada speech.

Shri Randhir Singh (Rohtak) ; * * *

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : तात्कालिक अनुवाद की यह सुविधा के दूसरी भाषाओं में दी गयी है उसे आसामी और उड़िया में दे दिया जाना चाहिये । ऐसा न कर गलती की गयी है महोदय ; यद्यपि स्वामित्व में यह वृद्धि गुजरात तथा असम राज्य सरकारों की मांग के अनुसार नहीं की गई तथापि मैं इस विधेयक का भारी हृदय से स्वागत करता हूं ।

मेरा निवेदन है कि सरकार को अधिकार शुल्क के बारे में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए तथा इस वृद्धि के विषय में प्रति वर्ष विचार विमर्श होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह विधेयक समाजवादी विधेयक है । मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि वह सम्पूर्ण तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे । दुर्भाग्यवश श्री मालवीय जी के समय में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कुछ करार हुये थे तथा उन करारों के लिये स्वदेशी हितों को बलिदान कर दिया गया था ।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि असम राज्य गरीब राज्य है तथा वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । अतः यह स्वाभाविक है कि वहां के लोग अधिक अधिकार शुल्क की मांग करें । असम सरकार ने 12-50 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से अधिकार शुल्क मांगा था तथा मेरा निवेदन है कि सरकार उसकी इस मांग पर फिर से विचार करे अन्यथा इस सरकार के प्रति वहाँ के लोगों में संदेह उत्पन्न हो सकता है ।

असम राज्य में डुम डुमा, नजारी तथा टिग्रोक आदि क्षेत्रों में तेल के निक्षेत्रों का पता चला है । अतः इन नये क्षेत्रों की खोज के कारण वहां से प्राप्त कच्चे तेल को शुद्ध कराने के लिये एक अन्य तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता है । असम सरकार ने मांग की है कि यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलना चाहिए । मेरा निवेदन है कि सरकार इस न्यायसंगत मांग पर उदारतापूर्वक विचार करे । विशेषज्ञ समिति ने इन नये तेल सम्पन्न स्थानों को ध्यान में नहीं रखा है अतः सरकार को इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए । साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार सम्पूर्ण तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महोदय, तेल शोधक कारखाने तो इतने बूरे नहीं हैं कि तेल निकालने का ढंग बहुत दोष पूर्ण है । साथ ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है । वहां के श्रमिकों की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता । उनके लिये न कोई नियम है और न कोई कानून । यदि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सुधार के लिये यदि उसके मुख्य अधिकारी को निकालना पड़े तो सरकार को ऐसा करना ही चाहिये ।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया वहां पर कूएं खोदने का ढंग बड़ा दोषपूर्ण है । आवश्यक तथा उपयुक्त उपकरणों के अभाव के कारण एक कूंआ खोदने में महीनों लग जाते हैं तथा लाखों रुपये खर्च करने पर भी वह कूएं अनुपयोगी सिद्ध होते हैं ।

भूकम्पीय सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ था कि कावेरी बेसिन में बहुत तेल है किन्तु जब वहां

**हरयाणवी में बोले ।
Spoke in Haryana Language.

पर कूएं खोदे गये तो वहां पर बहुत कम तेल निकला । एक दुःखद बात यह भी है कि दूर-दूर के क्षेत्रों में कूएं खोदने का कार्य किया जाता है जिससे वहां पर उपयुक्त उपकरण पहुंचाना कठिन होता है । वास्तव में अकलेश्वर में सड़क के किनारों पर अच्छी मात्रा में तेल मिल सकता है तथा वहां उपकरण आदि भी पहुंचाना सरल रहेगा ।

जहां तक काबेरी बेसिन का प्रश्न है सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि वहां पर प्रचुर मात्रा में तेल है किन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दक्षिणी राज्यों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है । इस बारे में मैंने मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा था और उसकी प्रति मद्रास के तत्कालीन मुख्य मन्त्री को भी भेजी थी । हमें इस मामले की जांच करनी होगी । मेरा सरकार से निवेदन है कि वह मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों की ओर ध्यान दे तथा सभी समस्याओं को हल करे । रायलटी की दरों में वृद्धि का जो प्रस्ताव है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इससे राज्यों को फायदा होगा ।

Shri C.M Kedaria (Mandir): Sir, I want to express my strong resistance to the policy which Government of India have been adopting towards the Gujarat State. It has been mentioned in this Bill that the rate of royalty will be considered after the period of four years. The period of the award given by late Jawahar Lal Nehru expired in 1966 and, therefore, it was the duty of the present Prime Minister to fix the rates of the royalty just after the expiry of the period covered by the previous award. Though the award given by the Prime Minister is applicable with retrospective effect, yet she has not covered the period from 1st November, 1966 to 31st December, 1967, under her award. During this period the Government of Gujarat had to bear the loss of Rs. 85 lakhs I request that this award should be made effective from the 1st November, 1966.

Secondly, if you take into account the average full posted price in this regard you will find that the price of the crude oil will be Rs. 11.09 but under the award of the Prime Minister the royalty has been revised from Rs. 7.50 to Rs 10 only. It means the Government of Gujarat will have to bear the loss of Rs. 31.63 lakhs, per year.

I also want to say that the Headquarters of the ONGC are situated at Dehra Dun oil is not produced. The Headquarters of this Commission should be shifted to Assam because Assam has a high potentiality of crude oil.

It is said that the Government believes in progressive socialism but don't you think that the co-operative sector is the best weapon or means for achieving the goal of socialism. According to my personal experience it has been noticed that pumps and other equipments are generally provided to private sector and that co-perative societies are ignored. This is a wrong practice and the Government should give it up.

In the end, I would like to request that the policy regarding the reservation of posts for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Government departments and ONGC and other undertakings should be effectively implemented. So many qualified persons belonging to Scheduled Tribes and the Harijans are unemployed. If the Government are really interested in improving the standard of living of these people they should be given the posts which are reserved for them.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, I welcome this Bill and request the Government that the enhanced royalty should be made effective from the year 1962.

It is disheartening that we could not attain self-sufficiency in oil and consequently we have to pay huge amounts to foreign companies which earn undue profit. Due to the high profit-earning attitude of foreign companies the people of our country have to pay more price for oil. But the burdon of this royalty does not affect the public. May I know the

reasons for not establishing refineries at various places where crude oil is found. Jaisalmer is an oil-bearing area but the Government do not want to agree to this fact. The work of drilling was undertaken by the Government but unfortunately it was dropped. May I know the reasons for stopping this work ? Actually the Government yield to the disruptive forces. The people of Rajasthan are submissive and peace-loving and only for this reason the Government do not pay any heed to their interests.

It may also be mentioned that the Government are not prepared to supply gas to consumers at lower price, even after the repeated strikes and other things. If the price of gas is reduced a bit, so many factories can be run with the help of gas and the consumption of coal can be reduced.

In the end, I would like to warn the Government that treatment given to the Indian engineers is worse. They are ill-paid while foreign engineers are over-paid. Not only this, foreign engineers are provided with all kinds of facilities It is quite strange that the Bill of Rs. 15,000 was passed without any hesitation. This Bill was submitted by a foreign engineer against the medical aid given to his wife who had been suffering from toothache. I want to say that the burden of foreign engineers is heavy while our own engineers are ill-paid and low-paid. This tendency of the Government is against the interest of our own country and for the benefit of our countrymen. Government will have to leave this tendency.

Shri P. G. Sen (Purnea) : Sir, the importance of oil in the progress of the country cannot be denied. It is also correct that the demand of oil in the country has been increasing day by day.

It has been noticed that almost all the State Governments have been facing paucity of funds. State Governments want to develop their rural areas but due to the inadequate funds they are not able to meet the demands of the people. Three Five Year Plans have been implemented but the work of rural electrification has not been completed in a sufficient measure as yet. Apart from this the Oil and Natural Gas Commission have failed in their duty to make Kerosene Oil available to the poor people of rural areas. I request that the Government should make attempts to supply at least Kerosene Oil to the villagers.

I also want to say that according to an expert report, Indo-Gangatic plans in an oil-bearing area. May I know ths reasons for not extracting oil from that area. An experiment was made in Purnea district and a well was also drilled in Rotahat. But how can we say that a single well is sufficient to decide whether a particular area has oil potentiality or not ?

I have come to know that gas is being insured or wasted at the places where it is produced. But it is not available for consumption at places like Dehra Dun, Delhi, etc.

I want to invite the attention of the Government towards the fact that on the one hand forests have been cleared up, as consequence of which the quantity of fuel has been reduced and on the other hand gas is being wasted in a large quantity.

One of the distressing policy adopted by the Government is that the work of distribution of the products being produced by the public sector undertakings has been given in the hands of private agencies.

The Government of Gujarat have written to the Central Government regarding this wrong practice and have said that the distribution work should be assigned to co-operative societies of the Gujarat State. I request that the Government should sympathetically consider this demand.

In the end, I request that the royalty should be fixed at Rs. 12.50 and not at Rs. 10.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I am not against the enhancement of royalty but at the same time I do not agree to the proposal of fixing the rate of royalty

after every four years. I suggest that the Finance Commission should be made a permanent body and the rate of royalty should be evaluated by this Commission every year. Besides, the royalty should be evaluated in keeping with the demand of the States in order to instil a sense of equality in the people of various States. The Government should give up the dogmatic approach because it would not be helpful in the progress of the country. The decision of revising the rate of royalty only after a period of four years, simply because it was the policy of Late Jawahar Lal Nehru, shows that their approach is dogmatic.

I also suggest that the whole oil industry should be nationalised. The Government will have to impose a limit on the royalty earned by foreign collaborators. Foreign oil companies have been exploiting us and the Government will have to stop this exploitation. If the Government are really in favour of bringing in socialism in the country they will have to adopt a clear and unequivocal policy so far as the oil is concerned.

In the end, may I know whether the Government have prepared estimates regarding the total potentiality of oil in our country and the total requirements of the country ?

श्री बेदब्रत बरुग्रा (कलियाबोर) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । हम हमेशा से इस बात पर बल देते ग्रा रहे हैं कि ग्रसम जैसे पिछड़े राज्यों के लिये रायल्टी की दर ग्रधिक होनी चाहिए जिससे वे राज्य ग्रपने कार्य को सुविधापूर्वक चला सकें ।

मैं कुछ विदेशी कम्पनियों की ज्यादती की ग्रोर ग्राप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 'स्टेट्समेन' समाचारपत्र में यह समाचार प्रकाशित हुग्रा था कि ग्रसम के तेल वाले क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया है । एक क्षेत्र तेल तथा प्राकृतिक जैसे ग्रायोग के ग्रन्तर्गत ग्राता है तथा दूसरा 'ग्रायल इन्डिया लि०' के ग्रन्तर्गत । 'ग्रायल इन्डिया लि०' ने ग्रसम राज्य में निहित स्वार्थों को उत्पन्न करके ग्रधिक लाभ कमाने का बन्दोबस्त कर लिया है । गौहाटी तेल शोधक कारखाने को ग्रधिक मूल्य पर कच्चा तेल खरीदना पड़ता है ।

ग्रसम से ग्रो० एन० जी० सी० को किसी भी कारण से हटाना ग्रनुचित है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सदन को ग्राश्वासन दें कि इस प्रकार की कोई बात 'ग्रायल इण्डिया लि०' से नहीं की जायेगी । यह विदेशी कम्पनी हमें पूर्णतः ग्रन्य देशों पर ग्राश्रित करना चाहती है तथा स्वयं भारी लाभ कमाना चाहती है ।

समाचार मिला है कि सरकार 40% ग्रंश लेकर ग्रसम से तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग को हटाना चाहती है । असम की जनता की ग्रोर से तथा देश को विदेशियों के पंजे से मुक्त रखने की भावना से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे किसी के साथ इस प्रकार के सुझाव ग्रादि पर कोई बात न करें ।

पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : श्री हजारिका ने विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त मुग्रावजा दिलाने का ग्रनुरोध किया है । मेरा निवेदन है कि जब किसी क्षेत्र का ग्रर्जन किया जाता है तो उसे भूमि ग्रर्जन ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत ही किया जाता है । इस सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकार को निर्णय करना होता है कि विस्थापितों को कितना मुग्रावजा दिलाया जाय । ग्रतः इस मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग या भारतीय उर्वरक निगम दोषी नहीं हैं ।

जहां तक उनके रायल्टी की दर में वृद्धि करने के ग्रनुरोध का सम्बन्ध है इस बारे में प्रधान मंत्री ने ग्रपना पंचाट दिया है ग्रौर मुझे खेद है कि ग्रब उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती ।

श्री अमीन ने सुझाव दिया था कि अधिनियम में प्रधान मंत्री द्वारा मध्यस्थ करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि अधिनियम में प्रधान मंत्री के नाम का उल्लेख नहीं है। उसमें केवल सरकार या संसद का उल्लेख किया गया है। भविष्य में इस बारे में समय-समय पर अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी।

श्री विश्वनाथन ने कहा कि गुजरात में बहुत सी गैस जल जाती है या व्यर्थ जाती है। मेरा निवेदन है कि असम तथा गुजरात में गैस व्यर्थ जाती अवश्य है और उसका कारण यह है कि कुआं खोदते समय गैस मिलती है किन्तु उस समय गैस के पर्याप्त ग्राहक नहीं होते। वैसे हम निजी उद्योगपतियों को वहां अपने उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहें हैं।

श्री कलिता ने मांग की है कि सरकार इस बात का आश्वासन दे कि रायल्टी में वृद्धि होने से पैट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि रायल्टी की दर में वृद्धि करने के कारण तेल शोधक कारखानों को कच्चा तेल अधिक मूल्य पर नहीं दिया जाता। अतः इससे मिट्टी के तेल के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उपभोक्ता को पहले ही मूल्यों पर तेल मिलेगा। जहां तक पैट्रोलियम-उत्पादों का सम्बन्ध है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा।

शांतिलाल शाह समिति का प्रतिवेदन मुझे इस मास की पहली तारीख को प्राप्त हुआ है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।

श्री नम्बियार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रशासन तथा खुदाई पद्धति में त्रुटि की शिकायत की है। वह जानते हैं कि हम संगठन में सुधार करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री केदारिया ने गुजरात को रायल्टी की अधिक दर देने के बारे में कहा था क्योंकि उनका कहना था कि गुजरात राज्य को लगभग 93 लाख प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। इस बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने पंचाट देते समय अन्य कई राज्यों तथा गुजरात राज्य के दृष्टिकोण को अपने समक्ष रखा था।

जहांतक समाजवाद का सम्बन्ध है मैं इसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूंगा। मैं बातों में नहीं बल्कि क्रियान्विति में विश्वास रखता हूँ।

जहांतक कच्चे तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1961 में केवल 10,000 मीटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन होता था जोकि आज बढ़कर लगभग छः लाख मीटरी टन हो गया है। अनेक देश तेल में आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि पैट्रोलियम के उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परन्तु इस मामले में इस समय लगभग आत्म-निर्भर ही हैं।

जहां तक मैं जानता हूँ इस समय देश के किसी भी गाँव में मिट्टी के तेल की कमी नहीं है। इस वर्ष हमने राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

श्री झा ने प्रस्तावित दरों का चार वर्ष के बजाय 8 वर्ष बाद प्रवरीक्षण करने का सुझाव दिया है परन्तु पंचाट के कारण हम ऐसा कर नहीं सकते। जहांतक राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, शायद चार वर्ष के पश्चात् हम ऐसा कर सकें।

आयल इण्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच हुए समझौते को देखते हुए दोनों का विलय नहीं किया जा सकता ।

श्री जो० ना० हजारिका (डिब्रुगढ़) मैं जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है ;

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस विधेयक को यह दो सत्रों से सभा में पेश करने का प्रयत्न कर रहा हूँ परन्तु मैं सफल नहीं हो सका । राज्यों को इस रायल्टी का भुगतान करते रहे हैं यद्यपि यह विधेयक पास नहीं हुआ है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3, 4, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3, 4, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री जो० ना० हजारिका : मैंने अनुसूची में एक संशोधन की सूचना दी थी ।

सभापति महोदय : अनुसूची खण्ड 4 का भाग भी । इसके अतिरिक्त आपने समय पर संशोधन की सूचना नहीं दी थी ।

डा० त्रिगुण सेन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पास किया जाये ।"

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : हमें परिपत्र भेजा गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी भाषा में बोलना चाहे तो उसे आधे घण्टे की सूचना देनी चाहिये यह नियम उचित नहीं है क्योंकि कई बार अन्य सदस्यों की बातें सुनने के पश्चात् सदस्य को एकदम बोलना पड़ जाता है । ऐसे मामले में सम्बन्धित सदस्य आधे घण्टे की सूचना नहीं दे सकता । मेरा निवेदन यह है कि इस नियम में परिवर्तन किया जाये । दूसरे द्विभाषियों को हर समय तैयार रहना चाहिए । अब मैं विधेयक पर अपनी भाषा में बोलता हूं ।

*हमारे महान देश में 14 भाषाएं हैं जिनका अब सौभाग्यवश इस सदन में प्रयोग किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था के प्रबन्धकों के प्रति मैं आभारी हूं।

मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी कि कावेरी बेसिन में तेल की व्यापक खोज की जानी चाहिए। रूसी विशेषज्ञों द्वारा 1967 में तट दूर तेल खोज अभियान के अन्तर्गत दिये गये अपने प्रतिवदेन में कृष्णा-गोदावरी डेल्टा में तेल पाने के कई सम्भावित स्थलों का उल्लेख किया हैं। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में व्यापक खोज होनी चाहिए।

इस विधेयक में 'रायल्टी' शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हमारे देश में राजे-महाराजे नहीं रहे, अतएव 'रायल्टी' भी नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह विधेयक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में लाया जा रहा है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही सरकार तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये विस्तृत विधेयक रखेगी। "आयल इण्डिया" तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन आदि नामों में विभिन्न संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है कि इनमें परस्पर विवाद चलते रहते हैं। सम्पूर्ण तेल उद्योग का ही राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जो० ना० हजारिका : इस बात के बावजूद कि सभी ओर से इस मांग का समर्थन किया गया है कि रायल्टी को दस रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये कर दिया जाये मुझे खेद है...

सभापति महोदय : क्या आप तृतीय पठन पर बोल रहे हैं।

श्री जो० ना० हजारीका : जी हां।

सभापति महोदय : इसके लिए आपने मेरी अनुमति नहीं ली है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मैं दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु मेरे विचार में अभी भी हम अपनी आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग आयात से ही पूरा करते हैं।

इस बात का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिये कि किस क्षेत्र में तेल की खुदाई पहले तथा किस क्षेत्र में खुदाई बाद में की जानी चाहिये। यह बात आयोग के उच्च अधिकारियों पर नहीं छोड़ दी जानी चाहिए।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खुदाई के कार्य में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। सरकार के समक्ष इस समय दो अथवा तीन विकल्प हैं। सरकार को इस बारे में तुरन्त निर्णय करना चाहिए।

आयल इंडिया की तेल खुदाई की लागत की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की खुदाई की लागत बहुत अधिक है हालांकि दोनों में भारतीय तकनीशन ही काम करते हैं। श्री नम्बियार ने उक्त आयोग के कार्यसंचालन के बारे में अनेक शिकायतें की हैं परन्तु माननीय मन्त्री

*मूल तेलुगु के अंग्रेज़ी अनुवाद से अनूदित।
Summary translation of the English translation of the Original Telugu speech.

ने केवल इतना ही कहा है कि वह आयोग के कार्यसंचालन में सुधार करने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N Tiwary *in the Chair*]

यदि आयोग के कार्यसंचालन में सुधार कर दिया जाता है तो खुदाई की लागत को कम करना सम्भव होगा मेरे विचार में ऐसा करने की काफी गुंजायश है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में हमारे देश में कच्चे तेल का मूल्य बहुत अधिक है। अतः खुदाई की लागत को कम करने की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री जो० ना० हजारिका : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मन्त्री ने रायल्टी को दस से बढ़ाकर 12.50 रुपये करने की बात को स्वीकार नहीं किया है हालांकि सभी ओर से इसका समर्थन किया गया है। मुझे विश्वास है कि आसाम के लोग इसका विरोध करेंगे। आसाम सरकार ने रायल्टी को पन्द्रह रुपये प्रति टन करने को कहा था परन्तु हमने केवल इसको साढ़े बारह रुपये ही करने का सुझाव दिया है और खेद की बात है कि सरकार ने इसको भी स्वीकार नहीं किया है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं विधेयक के उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हुं परन्तु रायल्टी में वृद्धि की जो मांग की गई है मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। जिन राज्यों में तेल तथा प्राकृतिक गैस होती है वे राज्य अपने विकास के लिए रायल्टी पर ही निर्भर करते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को रायल्टी इस प्रकार निर्धारित नहीं करनी चाहिए कि वे राज्य घाटे में रहें। अतः मैं समझता हूँ कि आसाम की मांग न्यायोचित है।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबांस तथा बांकुरा क्षेत्रों में तेल निकालने के बाद के लिए भरसक प्रयत्न नहीं किये गये हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

यदि हम अपने साधनों का पूरा प्रयोग करें तो हमारे देश में कच्चे तेल की कमी नहीं है। देश के किसी न किसी भाग में मिट्टी के तेल की कमी बनी रहती है। लोगों की ऐसी मूल आवश्यकताओं को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग पूर्णतया मिट्टी के तेल पर ही निर्भर करते हैं।

देश में तेल के उत्पादन को इसलिए भी बढ़ाया जाना चाहिए कि हमें विदेशी तेल कम्पनियों पर निर्भर न रहना पड़े। ये तेल कम्पनियां हमारे अहित में ही काम करती हैं। ये तेल कम्पनियां मूल्य सम्बन्धी ऐसी नीति का अनुसरण कर रही हैं जो कि हमारे हितों के विरुद्ध है।

पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि में जो आरोप यहां पर लगाये गये हैं उनकी पूरी जांच की जानी चाहिए। सरकारी क्षेत्र को इस ढंग से कार्य करना चाहिए जिससे लोगों में इसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पहलू पर विचार करेगी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) . रायल्टी में वृद्धि करने की मांग का मैं समर्थन करता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में शीघ्र ही संशोधन प्रस्तुत करेगी।

गुजरात यात्रा के समय अनेक किसानों से मेरे से इस बात की शिकायत की थी कि उनको रायल्टी का पूरा लाभ नहीं दिया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसमें उन किसानों को जिनकी भूमि से तेल निकलता है रायल्टी का कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। अमरीका में ऐसी प्रथा प्रचलित है।

मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में तेल निकालने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा गोदावरी बेसिन से भी तेल निकालने का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए।

मिट्टी के तेल के मूल्यों को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। क्या ऐसा करना माननीय मन्त्री के लिए सम्भव नहीं है।

इस उद्योग के विकास के लिए एजेन्टों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों का चयन करते समय सरकार को राजनैतिक दबाव तथा पक्षपात पूर्ण रवैये से दूर रहना चाहिए। इनकी भर्ती वाणिज्यिक ढंग पर की जानी चाहिए और इसमें सभी वर्गों के लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों की ओर ध्यान दिया है और सरकार के लिए जो कुछ भी सम्भव होगा, सुझावों को कार्यान्वित किया जायेगा।

गोदावरी-कृष्णा डेल्टा के बारे में मैंने मुख्य मन्त्री को भी लिखा है। मैंने आन्ध्र प्रदेश के एक वैज्ञानिक को, जिसका यह विचार है कि इस डेल्टे में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है, सलाह दी है कि वह देहरादून आयें और विशेषज्ञों से बातचीत करें। यदि तकनीकी रूप से यह सुझाव दिया जायेगा, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। दिसम्बर के अन्त तक फ्रांस से विशेषज्ञ आ जायेंगे जो वर्त्तमान आंकड़ों को पुनः व्याख्या करेंगे।

कुछ सदस्यों ने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है। राष्ट्रीयकरण करने से पहिले हमें यह देखना पड़ता है कि कच्चा माल भी उपलब्ध हो सकेगा या नहीं। दूसरी बात है कि उत्पादित वस्तुओं को देश में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

जैसा कि आप सब जानते हैं तेल उद्योग में अशोधित तेल की कमी है। इसलिये देश और उपभोक्ता दोनों की दृष्टि से तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण ठीक नहीं होगा।

शान्तिलाल शाह समिति ने अपने प्रतिवेदन में मिट्टी के तेल की कीमत के बारे में अवश्य उल्लेख किया होगा। परन्तु यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमें अशोधित तेल बाहर से किस मूल्य पर मिलता है। कच्चे माल की सप्लाई और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कम कीमत पर उत्पादों को उपलब्ध सुनिश्चित किये बिना मैं तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में नहीं सोच सकता।

जहां तक तेल की खोज का सम्बन्ध है, मैंने सलाहकार समिति को भी कहा है कि हम

देश के विभिन्न भागों में छिद्रण-कार्य कर रहे हैं। हम रूस और फ्रांस के वैज्ञानिकों की सहायता से वैज्ञानिक खोज करने की योजना बना रहे हैं और मुझे आशा है कि हम कुछ महीनों में ऐसा कर सकेंगे।

माननीय सदस्य, श्री कंडप्पन ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की लागत की आयल इण्डिया की छिद्रण लागत से तुलना की है। परन्तु इस प्रकार की तुलना सम्भव नहीं है। आयल इण्डिया का एक सीमित क्षेत्र है जब कि तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग आसाम सहित समूचे देश में तेल की खोज कर रहा है। इस आयोग का देश के विभिन्न भागों में 45 रिंग हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जिनका इन दोनों संगठनों की छिद्रण लागत पर प्रभाव पड़ता है।

मैं सभा को बताना चाहूँगा कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 31 मार्च, 1970 तक खम्भात की खाड़ी के बेसिन में पहले कुश की खुदाई करेगी। हम इसको बिना किसी विदेशी सहयोग के करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक

PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि पंजाब राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिए तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा परिणामी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत पंजाब विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर यह विधेयक इस संस्था के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि सभा को पता है कि विधान सभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों के परिषद में भी उसके विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाता है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये, जहां परिषद के समक्ष विधेयक हैं परन्तु जिन पर परिषद ने अभी तक विचार नहीं किया है। यह उपबन्ध किया गया है कि ये विधेयक विधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से पारित समझे जायेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri N. N. Patel (Balsore) : I rise to support the Bill because it is in public interest. Sardar Patel had unified large number of Indian states and it is highly deplorable that the fissiparous tendencies are in sight of late as is borne by the fact that so many new states have been created after the advent of independence.

In one of the Committee loiters, I had the opportunity to meet the common people of

the Punjab. There is a feeling of great resentment and dissatisfaction among them after the division of the composite Punjab into Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, the reason being that they have to seek separate permits for entering into other areas. The expenses of having separate Governmental machinery, separate Governor and Legislative Council etc. are overous for a small State like Punjab and are not commensurate with the size and population of the State.

The Punjab Legislative Assembly consists of 104 members and hence for such a small Assembly the Legislative Council is not at all warranted. I would like to emphasise that the process of segmentation of a State after its bifercation should be stopped fourthwith so that a Bill of this nature is not brought before Parliament in future.

श्री विक्रम चन्द महाजन (छम्ब) : मैं पंजाब सरकार को बधाई देता हूँ कि उसने राष्ट्र की माँग के अनुसार यह साहसिक कदम उठाया है और मैं आशा करता हूँ कि संसद एक दिन राज्य सभा की समाप्ति के लिए भी ऐसा कदम उठायेगी।

दूसरी सभा का विचार 19वीं शताब्दी का है। हमने इस विचार को अपने यहां इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू किया था कि विशेष हितों वाले वर्गों, जैसे स्थानीय निकाय, अध्यापक वृन्द आदि, का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि इस सभा के विचार विमर्श में उनके विशेष ज्ञान का योगदान हो सके। परन्तु समय के साथ साथ कानून के मामले में इन वरिष्ठ सदनों ने कुछ भी योगदान नहीं किया। इसका कारण यह था कि इन वरिष्ठ सदनों के लिए सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और इसलिए वे लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

राज्य विधान मण्डलों में ये वरिष्ठ सदन केवल अपने हितों की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी योगदान नहीं कर रहे हैं। इन सदनों के सदस्य अधिकांशतया मुख्य मन्त्रियों अथवा राज्य विधान-मण्डलों का नियंत्रण करने वाले किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ये सदस्य देश के लोगों की मांगों को नहीं समझ सकें। वरिष्ठ सदनों के निर्वाचन क्षेत्र नहीं होते हैं इसलिए उनका एक मात्र ध्येय उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना होता है जो उनका चुनाव कराते हैं। भारत में कम से कम आधे राज्यों में वरिष्ठ सदन नहीं हैं परन्तु इसके अभाव में ऐसी बात नहीं है कि उनके कानून किसी प्रकार से दोषपूर्ण हों। इसलिए वरिष्ठ सदन की क्या आवश्यकता है।

इन वरिष्ठ सदनों पर किया जाने वाला अत्यधिक व्यय देश के विकास, रोजगार के अधिक अवसर बनाने और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के काम में आ सकता है। समूचे विषय पर पुर्नविचार करने का समय आ गया है। मैं बंगाल और पंजाब सरकारों को इस मामले में देश का मार्गदर्शन करने के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि केन्द्र भी केवल एक सदन रखने की प्रणाली को अपनायेगा।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : I congratulate the coalition Government of Punjab and its Legislative Assembly for the daring step taken by them in the matter of abolition of the Legislative Council of the State. It is an unnecessary chamber and a burden on the economy of the State. Such Upper Chambers exist in the Centre and in some of the states too. The Constitution of our country came into existence in 1950. The reason for the creation of the Upper House, as the framers of the Constitution and Legislative experts thought, was that haste should not be made in the legislative business and that every law should be passed and enacted after thoroughly taking all its aspects into consideration. But the idea of creating the Upper House according to the legislation does not seem to be safe. It is made clear in clause 5 of article 171 of the Constitution as to how to nominate reported

and distinguished persons to the people to the Upper House. But unfortunately it has been observed that even the primary objective has not been achieved in having the Upper House, rather these houses have been represented heavily by the vested interests and the such persons, and political parties that are far away from the people. Therefore, all that is done in the Upper Houses is in haste from political point of view. We should spend money for the welfare of the people of our country. We can look at our imbalanced economy and abolish the Upper Houses at the Centre and in the States too. In this way we can cut down infructuous expenses and can provide relief to the economy of our country.

These Upper Houses could be retained and utilised only if Government contemplated to appoint a Law Commission of specialists, which after a thorough study and due consideration could advise the Government in organising the second Chamber, as sound footing. The experts in different branches of knowledge should be nominated to the second Chambers who could find representation in the Upper House. But the position is altogether different Rajya Sabha is of no use to the Lok Sabha. These Upper Houses are serving no useful purpose and therefore, these Chambers should be abolished.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I rise to support the Bill which is before the House. It is a well-known fact that the per capita income of a poor farmer and of a Harijan is less than fifteen paise. When such is the financial position of the people in our country, the luxury of having second Chambers is shortly burden on the economy. Moreover, the Legislature Councils have become useless because only rich people are seen in the Legislative Councils because of the influence of money they have passes. These rich people spend huge amount of money simply to become M. L. C. as they think that becoming an M. L. C. is a big qualification. Therefore more corruption has spread in the elections to the Legislative Councils than to the Legislative Assemblies. No consideration is taken into account as to whether a candidate for a seat in the Legislative Council is well qualified or expert in Science, Literature or Arts and/or other field of knowledge. Constitution is being misused, and even an altogether ignorant man represents and becomes an M. L. C.

It has been observed particularly in Punjab that Congress Party is in majority in the Legislative Council whereas the coalition of the Akali Dal and Janasangh dominates Punjab Legislative Assembly. The Akalis and the Janasangh, combined together want to do away with the Congress dominated Legislative Council by abolishing the Chamber. It is good and wise step, because the persons, who were defeated and rejected by the people in the general elections were nominated to the Upper House because of the vested interests of the political parties. In this manner the Upper Houses have become rest-houses for these defeated and rejected legislators. They have no representation of the people. Therefore the process of misusing the power and corruption should be stopped. The Upper Houses in the States should be abolished, and the Central Government should also follow suit for abolishing the Rajya Sabha, as these Upper Houses are white elephants and great burden on the economy of the Country.

***श्री चित्ति बाबू** (चिंगलपेट) : पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक 1969 के औचित्य पर मैं कुछ नहीं कहता। प्रजातन्त्र में जनता की वाणी ही परमेश्वर की वाणी है। इस प्रकार भारत सरकार ने पंजाब की जनता की इच्छाओं का सम्मान ही किया है। इस कदम का समर्थन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

हम देखते हैं कि परिषद् के उत्सादन के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और दूसरी ओर परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाने के बारे में तमिलनाडु विधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।
Summary translation of the English translation of the Original Tamil speech.

नहीं किया गया। यह भारी भेदभाव है। दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव केन्द्र में विधि मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को भेजा गया था। तमिलनाडु की जनता की इच्छाओं को वैधानिक रूप देने के लिए कुछ नहीं किया गया। विधि मंत्रालय को वहां की जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

विधान परिषद् में समाज के विभिन्न प्रतिभा-सम्पन्न वर्गों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। विधान सभाएं अपने बहुमत के कारण किसी विधेयक को शीघ्रता से पारित कर सकती हैं। परिषद् इस पर रोक लगाती है। परिषदों को प्रजातन्त्र में महत्वपूर्ण कार्य करना है।

हमें इन मामलों पर राजनीतिक दृष्टि से निर्णय नहीं लेने चाहिए। राजनैतिक सत्ता बदलती रहती है। संसद् को ऐसे मामलों पर जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभक्त हो गई है। शायद इसी कारण तमिलनाडु की जनता की प्रार्थना स्वीकार करने में विलम्ब हुआ। अब इस बारे में विधेयक शीघ्र रखा जाये। इस निवेदन के साथ मैं विचाराधीन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : पंजाब के लोगों की इच्छा को देखते हुए पंजाब विधान सभा में विधान परिषद् को भंग करने से सम्बन्धित विधेयक का मैं भी समर्थन करता हूँ। परन्तु एक बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि संविधान में विधान परिषद् को गठित अथवा भंग करने की व्यवस्था क्यों की गई थी। संविधान की धारा 169 के अन्तर्गत यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जबकि जनता के प्रतिनिधि आवेश अथवा जल्दबाजी में आकर अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकते हैं और ऐसी स्थिति में कानून को अन्तिम रूप देने के लिये बड़े-बड़े राज्यों में इस प्रकार की एक अन्य परिषद् होती है, अत: किसी राज्य की राज्य परिषद् को भंग करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिये तथा परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात् उस राज्य को अपनी परिषद् भंग करने का प्रस्ताव लाना चाहिए।

दूसरे इस परिषद् का गठन, जनता की इच्छा के अनुसार, निम्न सदन के द्वारा पारित किए गए विधान पर नियंत्रण तथा सन्तुलन बनाए रखने के लिए किया गया है और यह सबको स्वीकार्य था। धारा 169 को संविधान में सम्मिलित करने का यही मूल कारण था।

इसका एक अन्य कारण यह भी है कि राज्यों में विभिन्न प्रकार के अल्प संख्यक लोग रहते हैं और सम्भवतः इन अल्प संख्यकों का निम्न सदन में पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता जहां कि वे अपनी कठिनाइयों को बताएं और किसी विशेष विधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें। ऐसी स्थिति में उनके हितों पर प्रभाव पड़ता है। भाषा अथवा धर्म के आधार पर किसी राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से ही संविधान में इस की व्यवस्था की गई थी। देश में व्याप्त वर्तमान विचारधारा यह है कि क्योंकि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से निर्धन और अल्प विकसित है इसलिए हम राज्य परिषद् को कायम रखने

में असमर्थ हैं ऐसा कहा जाता है कि निम्न सदन में आए लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें सरकार तथा प्रशासन चलाने का पूर्ण अधिकार है तथा ऊपरी सदन के सदस्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, वे जनता के हितों से बहुत दूर हैं और उनमें लोगों के प्रतिनिष्ठा नहीं है। यह बात पूर्ण रूप से असंगत और गलत है। आज क्या हो रहा है जो जनता के प्रति निष्ठावान हैं वे भावनाओं के वेग में बढ़ते हैं, जो लोग सुशिक्षित हैं, विद्वान हैं तथा सरकार की नीतियां बनाते हैं जनता के प्रति निष्ठावान नहीं है तथा जनता के हितों से बहुत दूर रहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। लोक सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुद्धवार 19 नवम्बर, 1969/28 कार्तिक 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November, 19, 1969/Kartika 28, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6,